सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन

योजना एवं बजट

वर्ष 2002–2007

जनपद – रामपुर

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विवरण	पृ0सं0
1	जनपद की पृष्ठ भूमि	1 – 6
2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	7 – 17
3	नियोजन प्रक्रिया	18 – 41
4	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	42 – 47
5	समस्याऐं एवं रणनीति	48 – 56
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार	57 – 64
7	शिक्षा गारन्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा ब्रिज कोर्स	65 – 111
8	ठहराव वृद्धि के लिये कार्यक्रम	112 – 129
9	गुणवत्ता संवर्द्धन	130 – 173
10	परियोजना क्रियानवयन एवं अनुश्रवण	174 – 195
11	परियोजना लागत वर्ष 2002 से 2007 तक	196 – 200
12	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2003-04	201 – 204
13	परियोजना लागत का सारांश	205 –

अध्याय – 1

जनपद की पृष्ठ भूमि

जनपद रामपुर मुरादाबाद मण्डल का एक भाग है। इसका क्षेत्रफल 2367 वर्गमीटर है। जनपद रामपुर के पूर्व में जनपद बरेली पश्चिम में मुरादाबाद उत्तर में नैनीताल और दक्षिण में बदायूँ जिले स्थित हैं। जनपद से लगभग 40 किलोमीटर दूरी से, नवगठित राज्य उत्तरांचल प्रारम्भ हो जाता हैं। उत्तरांचल राज्य का जनपद उधमसिंह नगर उत्तर में स्थित है। अतीत में जनपद रामपुर काफी लम्बी अवधि तक नवाबों के शासन अधीन रहा ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी सामाजिक संरचना सामन्ती प्रवृत्ति की है। इस जनपद की अधिकतर जनसंख्या कमजोर वर्गों की है। जनपद रामपुर कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक पुराना शहर है। यह, , , , , महाभारत के समय का पॉचाल देश का एक भाग था तथा द्रोपदी की मातृभूति है।इस पर कई वर्षो तक राजपूत राजा राज्य करते थे। उसके बाद रोहेला राजा तथा नवाबों ने शासन किया। इसके वंश ने 175 साल तक शासन किया। यह शासन सन् 1775 से प्रारम्भ होकर 1 दिसम्बर 1949 तक चला। इसका आखरी शासक मोहम्मद रजा खॉ ने अपनी रियासत का भारत के गणतंत्र में शामिल किया। रामपुर पहली रियासत थी जो भारतीय गणतंत्र में शामिल हुई थी।

रामपुर जनपद में 5 तहसील और छः विकास खण्ड हैं । यह तहसील मिलक, स्वार, सदर शाहबाद और बिलासपुर है। इस प्रकार छः विकास खण्ड चमरव्वा, बिलासपुर, स्वार, शाहबाद

मिलक और सैदनगर है। जिले में कुल 75 न्याय पंचायतें हैं। 580 ग्राम और 1153 राजस्व ग्राम हैं। इसमें एक बन्द ग्राम भी सम्मिलित है।

जनपद की तहसीलों के नाम

क0सं0	तहसील का नाम
1	सदर
2	मिलक
3	शाहबाद
4	स्वार टांडा
5	बिलासपुर

जनपद के विकास खण्डों की संख्या

क0सं0	विकास खण्ड का नाम
1	चमरुवा
2	मिलक
3	शाहबाद
4	बिलासपुर
5	सैदनगर
6	स्वार टांडा

सारणी 1.4

क0सं0	विवरण	इकाईयों की संख्या
1	तहसील	5
2	विकास खण्ड	6
3	न्याय पंचायत	75
4	ग्राम सभायें	580
5	राजस्व ग्राम	1097
6	बस्तियों की संख्या	1140
7	नगर पालिका	5
8	टाउन एरिया	3
9	वार्ड	138

स्त्रोत – सांख्यिकी पत्रिका जनपद रामपुर ।

सामाजिक आर्थिक संरचना :

जनपद रामपुर की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि जनपद की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। जनपद की कुल कृषि योग्य भूमि का आधा हिस्सा सामन्ती व्यवस्था होने के कारण 14.4 प्रतिशत लोगों के पास है तथा शेष आधा हिस्सा 85.6 प्रतिशत कृषकों के पास है।

जिसके कारण इस जनपद में आर्थिक विषमता पाई जाती है। आर्थिक विषमता के कारण निम्न वर्गीय लोग कुटीर उद्योगों में जैसे पैचवर्क, बीडी बनाना, चाकू बनाना, एवं जरदोजी आदि व्यवस्था में लगे हैं। इसी आर्थिक कमजोरी के कारण इन वर्गो के बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। यदि जाते हैं तो बीच में पढाई छोड देते हैं। जनपद में परम्परागत सामाजिक व्यवस्था होने के कारण महिलाओं तथा बालिकाओं की दशा अत्यन्त शोचनीय है।इनकी सामाजिक हिस्सेदारी केवल घरेलू कार्यो तक सीमित है। इसका मुख्य कारण सामान्तवादी व्यवस्था तथा लम्बे समय से शासन करने वाले नवाब शासक है। इसी कारण सामाजिक हिस्सेदारी में इनकी कोई भूमिका नही है, न ही सामाजिक कार्यो में रूचि लेती है। जनपद में कृषि में उगाई जाने वाली फसलें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, गन्ना, बाजरा, उरद, ज्वार इत्यादि है। इसके कारण यहां के निवासी गाय, भेड, बकरी तथा मुर्गी पालते हैं।

जनसंख्या :

2001 की जनसंख्या के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 19,22,,450 है । जिसमें 75.02 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 24.98 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है । 2001 की जनसंख्या के अनुसार कुल जनसंख्या का 48.62 प्रतिशत भाग मुस्लिम आबदी है । इसके अतिरिक्त 51.38 प्रतिशत हिन्दू तथा अन्य धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। 10 वर्षो में जनपद में वृद्धि का 27.48 प्रतिशत है तथा जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या18.15 प्रतिशत है।

सारणी 1.4

1991 की जनसंख्या

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	कुल जनसंख्या			अनूसूचित जाति की कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	स्वार	144955	125010	269965	19395	16700	360095
2	बिलासपुर	78926	67567	146493	11714	9903	21617
3	सैदनगर	73351	62784	136135	7244	6131	13375
4	चमरव्वा	80956	68074	149030	8431	7007	15438
5	शाहबाद	109519	91041	200590	26598	22113	48711
6	मिलक	111811	92701	204512	23852	19461	43313
7	योग नगर क्षेत्र	207452	185264	392716	8963	7609	16572
8	योग वन क्षेत्र	1419	1281	2700	12	11	23
	महायोग	808419	693722	1502141	106209	88935	195144

जनपद सांख्यिकीय के अनुसार

सारणी 1.5

2001 की जनसंख्या

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	कुल जनसंख्या			अनूसूचित जाति की कुल जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	स्वार	185518	159987	345505	24821	21372	46196
2	बिलासपुर	101009	86472	187481	14991	12673	27664
3	सैदनगर	93879	80350	174229	9270	7846	17116
4	चमरख्वा	103607	87121	190728	10789	8967	19756
5	शाहबाद	140206	116514	256720	34040	28300	62340
6	मिलक	143095	118638	261733	30525	24906	55431
7	योग नगर क्षेत्र	265497	237100	502597	11470	9737	21207
8	योग वन क्षेत्र	1818	1639	3457	15	14	29
	महायोग	1034629	887821	1922450	135921	113815	249736

जनपद सांख्यिकीय के अनुसार

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

इतिहास इस बात का साक्षी है कि रियासत के नवाबों ने इस जनपद में लम्बे समय तक शासन किया। शिक्षा के ऊपर अतीत में विशेष ध्यान नही दिया गया। रामपुर जनपद शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछडा है। जनपद में वर्ष 1971 मे साक्षरता की दर 12.90 प्रतिशत थी। 1981 में बढकर 16.35 प्रतिशत हो गयी और 1991 में बढकर 25.37 प्रतिशत हो गयी। तथा इसी प्रकार 2001 में जनपद की साक्षरता दर 38.95 प्रतिशत है। जनपद में पुरूषो की साक्षरता दर 27.87 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद की एक दशक में साक्षरता दर वृद्धि 13.98 प्रतिशत हुई है। 1991 से 2001 में पुरूषो तथा महिलाओं की साक्षरता दर में कमशः 14.83 तथा 12.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिला दर तथा पुरूषो की साक्षरता दर का तुलनात्मक विवरण देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद में पुरूषो की अपेक्षा महिला साक्षरता दर की वृद्धि हुई है। फिर भी महिला साक्षरता दर काफी कम है। महिला साक्षरता दर कम होने क` कारण जनपद में जुलाई 1999 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0–।।) प्रारम्भ हुआ। गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकरण के विशिष्ट उद्देश्य रखे गये हैं जिनका लाभ शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने में मिल रहा है। वर्ष 1991 में और 2000–2001 की हम नामांकन वृद्धि देखे तो निश्चित ही यह निष्कर्ष डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम लागू होने का परिणाम है।

इस कार्य में और तीव्रता एवं प्रगति लाने के उद्देश्य से इस शिक्षा अभियान का शुभारम्भ इसलिये किया जा रहा है। जनपद में 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 38.95 प्रतिशत हैं। जिसमें 27.87 प्रतिशत महिलायें एवं 48.62 प्रतिशत पुरूष हैं।

साक्षरता सम्बन्धी विवरण सारणी 2.1 विकासखण्ड दर विवरण

जनपद सारणी 2.1

क0सं0	विवरण	दर प्रतिशत
1.	कुल साक्षरता दर	38.95
2	ग्रामीण साक्षरता दर	32.78
3	नगरीय साक्षरता दर	56.36
4	कुल पुरूष साक्षरता दर	48.62
5	कुल महिला साक्षरता दर	27.87

क0सं0	विवरण	पुरूष	महिला	योग
1	ग्रामीण साक्षरता दर	41.02	23.0	32.73
2	नगरीय साक्षरता दर	56.36	41.9	56.36

नोट :– 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 38.95 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता दर 48.62 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता 27.87 प्रतिशत है। एक दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

सारणी 2.2

विकास खण्ड / नगर क्षेत्रवार साक्षरता दर

क0सं0	विकास खण्ड का दर	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग
1	स्वार	27.1	9.8	18.8
2	बिलासपुर	35.7	16.8	26.7
3	सैदनगर	20.9	3.7	13.4
4	चमरव्वा	22.4	3.9	14.6
5	शाहबाद	27.5	5.4	17.6
6	मिलक	34.0	8.3	22.6
7	नगर क्षेत्र	49.0	34.0	42.0

नोट– जनगणना 2001 के अनुसार विकास खण्ड दर/नगर क्षेत्र की साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है।

स्त्रोतः– जनपद की सारणी पत्रिका 1991

प्राथमिक विद्यालय का नामांकन –

प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में शौक्षिक वर्ष 2002–03 की नामांकन की स्थिति निम्नवत् है जो सारणी संख्या 2/7 में हो गयी है।

सारणी–2.3

जनपद का प्राथमिक विद्यालय का जी0ई0आर0 का विवरण

वर्ष	6–11आयु वर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्र संख्या			जी0ई0 आर0 दर	अनुसूचित जाति का छात्र नामांकन			जी0ई0 आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	
2002–03	151961	122212	274173	13322	101256	232578	84.82	24675	16450	41125	84.82

जनपद का जी0 ई0आर0 नामांकन निम्नाकिंत है।

जू0हा0

सारणी–2.4

जनपद का उ0प्रा0 विद्यालय का जी0ई0आर0 का विवरण

वर्ष	6–11आयु वर्ग की कुल संख्या			पंज़ीकृत छात्र संख्या			जी0ई0 आर0 दर	अनुसूचित जाति का छात्र नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	दर	बालक	बालिका	योग
2002–03	70685	56506	127191	68154	52045	120199	94.5	11234	9198	20432

सारणी–2.5

क्र0 सं0	विवरण	परिषदीयसं0 शास0 विद्यालय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग विद्यालय			गैर मान्यता प्रात विद्यालय		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्राम	श0	योंग	ग्राम	श0	योंग	ग्राम	श0	योंग
1	प्राथमिक विद्यालय	1098	66	1164	355	193	548	1345	259	1604	38	3	41
2	उ0प्रा0वि0	274	5	279	63	50	13	242	55	297	–	–	–
3	मा.विद्यालयों से सम्बद्व प्राईमरी	1	–	1	–	2	2	1	2	3	– –	– –	– –
4	मा0वि0से सम्बद्व उ0 प्र0 वि0	8	11	19	40	15	55	48	26	74	– –	– –	– –
5	केन्द्रीय विद्यालय	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
6	हाईस्कूल	5	5	10	29	3	32	34	8	42	–	–	–
7	इण्टर	3	5	9	12	11	23	15	17	32	–	–	–
8	पोस्ट ग्रेजुएट कालेज	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	आई0टी0आई0	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	कम्प्यूटर	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–
11	आंगनबाडी	706	–	706	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	मकतब मदरसे	–	–	–	78	4	82	–	–	120	–	120	–
13	पुरस्कृत पाठशालाये	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
14	विकलांग बच्चों की शिक्षण संस्था	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
15	एन.पी.आर.सी.भवन	75	–	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	बी.आर.सी.भवन	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

शिक्षकों की उपलब्धता

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय प्राथमिक (विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या,रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नांकित है:–

	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्रों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	3691	1815	1876	734
उच्च प्राथमिक विद्यालय	390	306	84	–

स्त्रोत– विभागीय आंकडे

विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्धता सारणी 2.5 में दर्शायी गई है:–

सारणी–2.6

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1किमी से कम दूरी	1किमी से अधिक किन्तु	रिक्त 15 से	प्रस्तावित प्रा0वि0
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी	पर विद्यालय	1.5 किमी0 स कम दूरी	अधिक	ई0जी0एस0
आबादी 300 से अधिक है।		पर विद्यालय उपलब्ध		
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी	656	646	2	0
आबादी 300 से कम है।	85	56	15	0

श्रोत विभागीय आंकडे

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3किमी.से कम दूरी पर उच्च प्रा0वि0विद्यालय	3किमी.से अधिक दूरी पर उच्च प्रा0वि0विद्यालय	3 किमी की दुरी तक 800 की आबादी के मानक के अनुसार वांछित विद्यालयों की संख्या–12
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	193	0	0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है।	130	15	0

स्त्रोत विभागीय ऑकडे

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण 2.9 में दिया गया है।

सारणी–2.9

प्राथमिक स्तर

प्राथमिक विद्यालय	
1– प्राथमिक विद्यालय –	1164
2– एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	6
3– दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	943
4– तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	213
5– चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	2
6– पॉच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–

मरम्मत योग्य विद्यालय कुल विद्यालय 315/स0 लघु मरम्मत योग्य विद्यालय 105 वृहत मरम्मत योग्य विद्यालय 210

शौचालय – शौचालय युक्त विद्यालय– 1064, शौचालय विहीन –100

हैण्ड पम्प– हैण्ड पम्प युक्त– 1139, हैण्ड पम्प विहीन –25

चहारदीवारी– चहारदीवारी युक्त–0, चहारदीवारी विहीन–0

उच्च प्राथमिक स्तर

1– उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल विद्यालयों की सख्या–275

2– मरम्मत योग –47, लघु मरम्मत –15, वृहत–32

3– एक कक्षीय विद्यालय– 1

4– दो कक्षीय विद्यालय – –

5– तीन कक्षीय विद्यालय– 31

6– चार कक्षीय विद्यालय– 102

7– पॉच कक्षीय विद्यालय– –

8– शौचालय–259, शौचालय विहीन–20

9– हैण्ड पम्प–259, हैण्ड पम्प विहीन–20

10– चहारदीवारी–0,चहारदीवारी विहीन–0

भौतिक सुविधाओं की मॉग

सारणी–2.10

क्र0सं0	आइटम सुविधा	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी.पी.ई.पी. वित्त प्राविधान	मॉग	कमी	डी.पी.ई.पी. पसई / वित्त आयोग वित्त प्राविधान	मॉग
1	नवीन विद्यालय	–	–	–	–	–	–
2	विद्यालय पुनर्निर्माण	50	78	50	–	–	–
3	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष प्रतिशिक्षक / प्रतिकक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्वि	3405	–	1000	34		34
4	पेयजल सुविधा	–	–	25	–	–	20
5	शौचालय	–	–	100	–	–	30
6	चहारदीवारी	–	–	–	–	–	–

श्रोत विभागीय ऑकडे

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकडे व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स(रामपुर)
ई0 एम0 आई0एस0 से प्राप्त आंकडे के अनुसार विगत वर्षो मे परिस्थित निम्नवत् है:–

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
कक्षा–1	63189	64219	69128	78219
कक्षा–2	48719	50114	53215	59525
कक्षा–3	33529	36415	39318	45212

कक्षा–4	17107	19118	22217	27775
कक्षा–5	13214	14975	18998	21847
	175758	184841	202876	232578
जी0आई0आर0	–	–	–	–
कुल	69.61	71.12	75.94	84.82
बालिका	50.00	50.00	73.00	82.85
एन0ई0आर0	–	–	–	–
कुल	59.63	61.23	67.83	74.87
बालिका	42.85	42.95	62.76	74.23

डी0पी0ई0पी0 संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्वि का विवरण निम्नवत् हैः–

	1999–2000	2003–2004	प्रतिशत वृद्वि
प्राथमिक विद्यालय परिषदीय	978	1164	19%
प्राथमिक अध्यापक परिषदीय	1917	1815	5.32%

ड्राप आउट दर

वर्ष	कुल	बालिका
1998	53.5	60.7
1999	61.6	47.3
2000	44.8	40.9
2001	36.4	32.2
2002	25.51	24.2
2003	20.27	17

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएँ पूर्ण करने मे औसत वर्षो की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षांए पूर्ण करने में औसत वषी की संख्या
2001–02	3.2	4.6
2002–03	2.5	3.6
2003–04	2	2.5

अध्यापक–: छात्र अनुपात वर्ष 2003–05
छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2003
प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात –रामपुर

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	(3.4) योग	अनुपात
ग्रामीण	1098	275	8	283	4.17
नगरीय	66	4	11	15	4.12
योग	1164	279	19	298	4.17

माध्यामिक विद्यालयों के 6–8 अनुभागों को भी सम्मानित करने पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 4.17 आता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जर्जर प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की विकास खण्डवार संख्या।

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	निर्माण वर्ष	संख्या
1	मिलक	1962 से 1971 तक	6
2	स्वार	1962 से 1971 तक	10
3	सैदनगर	1962 से 1971 तक	6
4	शाहबाद	1962 से 1971 तक	10
5	चमरव्वा	1962 से 1971 तक	10
6	बिलासपुर	1962 से 1971 तक	8
	योग		50

अध्याय – 3

नियोजन प्रकिया :–

सर्वशिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध एवं मिले जुले प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को सभी लोगों तक पहुँचाने सम्बन्धी बहु प्रतीक्षित लक्ष्य को प्रयास करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से देश में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की अपेक्षा की गयी है। इस अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6–14 वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय पर आधारित है। यह एक शिक्षा का मिशन है। इस कार्यक्रम में स्त्री, पुरूष की असमानता पर सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना की गयी है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी इन सभी प्रयासों को एक सूत्र में लाने क प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेगें कि जिससे समुदायिक सहभागिता बढाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्दीकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज जिसमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, की स्वीकृत प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि बगैर सरकारी संगठन, स्वयं –सेवकों, कलाकारों, महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जबावदेही के क्षेत्र में विस्तार करें ।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजनाः–

उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजना की प्रकिया को अधिक महत्व दिया गया हैं।जिससे प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार में 6–11 वय वर्ग के बालकों तथ बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्रामों के उत्साही प्रबद्व व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्य तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। और प्रत्येक ग्रामों में बस्तियों की सूची तैयार की गयी है। जनपद में सर्वप्रथम 2000–2001 में सूक्ष्म नियोजना ग्राम वासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी,एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित आंकडों ,सूचनाओं का विश्ले ण करके समस्यायों और आवश्यकताओं की पहचान की गयी । सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक गॉवों के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयी ।

- ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढने वाले बच्चों की संख्या।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द न जाने का कारण।
- यदि ग्राम में विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं।
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है। ,

- यदि नहीं तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं।
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र –अध्यापक अनुपात क्या है।
- क्याा अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आतें है।
- शिक्षण कार्य की स्थिति/ शिक्षा की गुणवत्ताा के विपय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचनायें एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये ।

1–परिवार सर्वेक्षण

2– स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्रण।

3– सूचनाओं का विश्लेषण।

4– ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

शैक्षिक मानचित्रण / विश्लेषण , ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी :–

जनसहभागिता के आधार पर योजना निर्माण हेतु प्रकिया अपनाई गयी है। जनसंख्या हेतु परिचर्चा हुई है। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक – युवतियों , शिक्षकों / शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गॉव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकता पर चर्चा की गयी। समूह द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र के माध्यम से गॉव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात ग्राम शैक्षिक मानचित्र का कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र–संकल्प प्रपत्र (सार) भी प्राप्त हो गये हैं जिसके अन्तर्गत ग्राम सर्वेक्षण कराया गया जिससे न्याय पंचायत में कुल बालक बालिकाओं की संख्या विद्यालय न जाने वाले बालक बालिकाओं की संख्या तथा उनके विद्यालय न जाने का कारण के साथ–साथ विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

ग्राम सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता से वर्गीकृत व विकास खण्डवार संकलित किया गया हैं जिसमें 0–6 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बालक / बालिकाओं , 6–11 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बालकों / बालिकाओं तथा 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित ई0सी0सी0ई0 केन्द्र , शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा ,नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या संकलित की गयी है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की भी संख्या संकलित की गयी है जो कामकाजी हैं जो पैतृक व्यवसाय में अपने माता– पिता की सहायता करते हैं अथवा ऐसी बालिकाओं को चिन्हित किया गया जो घरेलू कामकाज में मॉ–बाप की सहायता करती हैं अथवा घुमन्तु बच्चों का चिन्हांकन किया गया।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों के आधार पर उन बस्तियों की सूची तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसी बस्तियॉ , जिनमें मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जा सकते , में शिक्षा गारन्टी केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रकार सर्व

शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक स्वीकृत सूचनायें एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी हैं तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकन करते हुये उनकी शिक्षा हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय से सूक्ष्म नियोजन का अध्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजन की प्रथम वार्षिक योजना 2001–02 के कियान्वयन के दौरान पूर्ण कराया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकडों एवं सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–03 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु (किया जायेगा) जहॉ तक नगरीय क्षेत्रों में शैक्षिक आंकडों का सम्बन्ध है। इन क्षेत्रों में परियोजना के पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। आशा है कि कि इससे शीघ्र पूर्ण कर देगें। इस सवेक्षण से प्राप्त आंकडों का सारणीयन किया जायेगा तथा निष्कर्ष का उपयोग 2002–03 की वार्षिक कार्य योजना का बजट तैयार करते समय किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान :–

जनपद में जुलाई 2001 में बालक / बालिकाओं के नामांकन वृद्धि को बढाने व ड्राप आउट समाप्त करने के उद्देश्य से 2001–02 से स्कूल चलो अभियान चलाया गया जिससे शैक्षिक वर्ष 2001–02 के समय बालिकाओं के नामांकन में आशानुकूल वृद्धि हुई जिसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत रामपुर जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रो एवं ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराया गया जिले में शत प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। स्कूल चलो अभियान दो चरणों में चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 6–14 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके प्राथमिक शिक्षा हेतु चिन्हित कर नामांकन कराना है। प्रथम चरण 01 जुलाई से 15 जुलाई तक तथा द्वितीय चरण

16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया गया। प्रथम चरण में जिला अधिकारी महोदया की अध्याक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाते हुये सभी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक / ब्लाक समन्वयक , न्याय पंचायत समन्वयक एवं प्रधान अध्यापकों का एक ग्रुप न्याय पंचायत स्तर पर गठित किया गया जिसका उद्देश्य न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चें को चिन्हित करना था। जिले में 75 न्याय पंचायतों हेतु 75 कोर ग्रुप का गठन किया गया तथा दिनांक 01 से 15 जुलाई तक सभी जनपद की न्याय पंचायतों में 6–14 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया गया एवं इस चिन्हांकन की आकस्मिक जॉच न्याय पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर उप जिला अधिकारी, तहसीलदार , नायब तहसीलदार द्वारा तथा बी0डी0ओ0 एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा किया गया। दिनांक 5–7–2001 को जिला स्तर पर रैली का आयोजन माननीय मंत्री जी की अध्याक्षता में किया गया। उसी क्रम में दिनांक 7,9,11 जुलाई 2001 को प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जनपद के अधिकारियों के सहयोग से गोष्ठियॉ, नाटक आदि का कार्यक्रम किया गया। गोष्ठियों में ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों से अपने–अपने ग्राम में सत् प्रतिशत नामांकन कराने की अपील की गयी। सभी न्याय पंचायतों पर भी रैली एवं गोष्ठी का आयोजन का अभियान सफलतापूर्वक किया गया। अभियान के द्वितीय चरण में (दिनॉक 16–07–2001 से 31–07–2001 तक) सभी चिन्हांकित बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने का कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें जनपद में छात्र नामांकन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जिसमें छात्र, छात्रओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुये विकेन्द्रीकरण कृत नियोजन प्रणाली अपनाकर शैक्षिक योजनायें बनाने की कार्यवाही की गयी।

जनपद रामपुर में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये–:

सर्व प्रथम परियोजना तैयार करने हेतु छः सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इस टीम को गठित करने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान को प्रारम्भ करने से पहले समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है ? उसकी शिक्षा से क्या–क्या अपेक्षाएं हैं तथा समाज शिक्षा में किस प्रकार से सहयोग कर सकता है ? इन विषयों पर समुदाय की तक जानना है । एफ0जी0डी0 प्रक्रिया से उन राय क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा का पर्स पेक्टिव प्लान तैयार किया जा सके। एफ0जी0 डी0 के माध्यम से सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान स्वंयसेवी संस्थाओं की पहचान तथा पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की पहचान आदि की जानकारी की जो प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुई।

परियोजना से पूर्व जिये में एफ0जी0डी0 टीम का गठन किया जिसमें वे अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने प्लान बनाने के लिये सीमेट में होने वाली कार्यशालाओं में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त डी0पी0ई0 पी0 के समन्वय ऐ0 बी0 एस0 ए0, एस0 डी0 आई0, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों एवं क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा उनको विभाग के अधिकारियों एव जन प्रति निधियों का सहयोग प्राप्त हुआ। एफ0जी0डी0 के निष्कर्षों से प्लान को कीड बेस्ट बनाया जा सकें। प्लान में प्राथमिक गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक यह सन्देश एन0पी0आर0सी0 के द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को यह अवगत कराया गया कि कार्यक्रम पूरी तरह समुदाय की सहयोगिता पर निर्भर करता है। इसकी योजना एफ0जी0डी0 के जरिये समाज की आवश्यकताओं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर तबके के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन / प्रबन्धक सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होने अनुशुलभ एवं मूल्यांकन सम्बन्धित की उनकी साझेदारी होगी एवं सेवी स्वैन्धित संस्थाओं की समस्त भागीदारी होगी जिसमें अभियान का सीधा सम्बन्ध जनता से हो सकें।

शैक्षिक नियोजन के अनेक स्तर ह ोते हैं। यह नियोजन जनपद स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद पर निर्धारित किया गया है। जिसमें जनपद की के स्वरूप पर विशैष ध्यान दिया गया है। जनपद में डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम विगत चार वर्षो से संचालित है उसी के फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया है। जिन विकास एजेन्सीज से हमें डी0पी0ई0पी0 में सहयोग मिला है और जो विभाग मानव संसाधनों का सृजन करते हैं उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला शिक्षा समिति के साथ बैठक माननीय सांसद व माननीय विधायक गण तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा समिति के सदस्यों के साथ विचार विमश्र किया गया। इससे अतिरिक्त शिक्षक संगठनों अभियान के विशिष्ट समूहों अल्प संख्यक समुदाय के सदस्यों से तथा स्वंयसेवी संगठनों से भी विचार विमर्श किया गया।

नियोजन प्रकिया में सहयोगिता हेतु कार्यवाही का विवरण :–

क0 सं0	जनपद / ब्लाक / ग्राम स्तर	तिथि	प्रतियोगियों की संस्था	स्थान	विचार विमर्श के मुख्य बिन्दु
1	ग्राम स्तर	29.09. 2001	अधिकारी–2 महिला प्रधान–1 बहुउद्देशीय कर्मी–1 अध्यापक–1	अजीतपुर	बालिका शिक्षा पर बालक / बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव बालिकाओं का नामांकन ड्राप आउट

			अभिभावक–6 कुल–11		कम करने पर बल
2	ग्राम स्तर	13.10. 2001	अधिकारी–2 प्रधान–1 ग्राम पंचायत सदस्य–3 अभिभावक–4 कुल – 10	धमोरा	बालिकाओं के ड्राप आउट दर कम करने पर विचार
3	ग्राम स्तर	14.10. 2001	अधिकारी–1 पंचायत सदस्य–2 अभिभावक–4 योग–7	खेमपुर	अल्पसंख्यक बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण सामाजिक संगठन
					बालिका शिक्षा में नांमाकित किया जाना अनिवार्य है।
4	ग्राम स्तर	15.10. 2001	अधिकारी–2 अध्यापक–3 प्रधान–1 अभिभावक–10 योग – 16	खौद	बालिका शिक्षा हेतु अभिभावक को प्रेरणा । बालिकाओं को शिक्षा के साथ–साथ कार्यनुछेद सम्बन्धित को मूल।
5	ग्राम स्तर	15.10. 2001		केमरी	आर्थिक दशा के कार्य शिक्षा के कार्य करने जरूरी विद्यालय समय में पूरा समय देने सम्बन्धी।

6	पटवाई	16.10. 2001	अधिकारी–2 प्रधान–1 बहुउद्देशीयकर्मी– 1 अध्यापक–6 अभिभावक–6 कुल – 16	पटवाई	शिक्षा की उपयोगिता पर सन्देह । आर्थिक एवं सामाजिक पिछडे वर्ग के कारण शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी कम होगी।
7	ब्लाक स्तर पर	17.10. 2001	अधिकारी–4 प्रधान–1 पंचायत सदस्य–1 अभिभावक–6 कुल–12	खौद (सैदनगर)	अल्पसंख्यक बाहूल्य क्षेत्र होने के कारण पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कठिनाईयों के कारण बालिकाओं के अधिकतर संख्या में अशिक्षित होना। पिछडापन होने के कारण शिक्षा का अभाव।
8	जनपद स्तर पर	18.10. 2001	जि0 पंचा0 अध्यक्ष–1 अधिकारी–1 बी0एस0ए0–1 लेखाधिकारी–1 कुल – 4	रामपुर जिला पंचायत कार्यालय	गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आपेक्षित बाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था कम साक्षरता वाले ब्लाक में
					सुदृण शिक्षा व्यवस्था

9	जनपद स्तर	18.10. 2001	बी0एस0ए0–1 डिप्टी बी0एस0ए0–2 ए0ए0 ओ0–1 ए0बी0एस0ए0–1 एस0डी0आई0–1 समन्वयक–4 योग–10	रामपुर	गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बल देना ।आवश्यक पिछडा पन के कारण शिक्षा का अभाव
क्र0 सं0	जनपद स्तर/ ब्लाकस्तर /ग्राम स्तर/न्याय पंचायत स्तर	तिथि	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	स्थान	विचार विमर्स से उभरे विन्दु
1–	ब्लाक स्तर	20.10. 2001	अधिकारी–6 क्षेत्र के निवासी–20 कुल–26	सैदनगर	1–अभिभावकों की सोच में परिवर्तन जिससे बालक/बालिकाओं का भेद खत्म हो। 2–शिक्षा रोजगार परक हो जिसमें

					बुनाई–कढाई,सिलाई आदि सिखाया जाय। 3–विद्यालय का दूर होना 4–महिला शिक्षकों की अनु0
2–	ग्राम स्तर	21.10. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी –12 कुल–14	बगरौआ	1–अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता 2–विद्यालय का आकपक न होना 3–पढाई रूचिकर न होना 4– विद्यालयों में खेल कूद पर विशे ध्यान न देना
3–	न्याय पंचायत स्तर	21.10. 2001	अधिकारी–3 न्याय पंचायत के निवासी–12 कुल –15	करनपुर	1–महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने पर बल। 2–शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार आपेक्षित । 3–आर्थिक पिछडापन 4–विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव
4–	ग्राम स्तर	21.10. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी–8	दरियागढ	1–गरीबी के कारण बच्चो

			कूल–10		को स्कूल न भेजकर घरेलू कार्यो में लगाना। 2–पाठ्य–पुस्तकें प्राप्त न होना 3–शिक्षक एवं अभिभावक से सर्म्पक स्थापित न होना।
5	न्याय पंचायत स्तर	21.10. 2001	अधिकारी–03 अभिभावक–15 व अन्य कुल–18	सेन्टा खेडा	1–शिक्षको की कमी विशेवकर महिला शिक्षको की 2–शिक्षको द्वारा गंणवत्ता परक शिक्षण न देना । 3–पाठयकम रूचिकर न होना 4– उम्र में अधिक लडकियो को विद्यालय न भेजने की समंस्या ।
6–	ग्राम स्तर	2210. 2001	अधिकारी–02 अभिभावक–10 व अन्य कुल–12	आरसल –पारसल स्वार वि0ख0	1–बिना भेदभाव के बालक व बालिकाओं की शिक्षा पर बल। 2–बालिकाओं का विद्यालय में अधिक नामांकन

					3–बालकों का विद्यालय में ठहराव बना रहे हैं।
7–	ग्राम स्तर	23.10. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी–8 कुल–10	करखेडी	1–अनुसूचित एवं मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर विशे बल दिये जाने की आवश्यकता । 2–शिक्षा द्वारा अन्ध विश्वास मिटाना चाहते है। 3–गुणवत्ता परक शिक्षा अपेक्षित।
8	ग्राम स्तर	23.10. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी–10 कुल–12	लाडपुर (स्वार)	1–मेहनत मजदूरी करने के कारण शिक्षा के लिए समय नहीं मिलपाता। 2–आर्थिकव सामाजिक पिछडापन।
9.	ग्राम स्तर	24.10. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी–12 कुल–14	मेवलाफार्म(स्वार)	1–विद्यालय वातावरण आकर्पक न होना। 2–अध्यापकों का मानक के अनुपरूप होना। 3–शिक्षा का रोजगारपरक होना चाहिए।
10.	ग्राम	2.10.	अधिकारी–	कासमगंज	1–अध्यापक/अभिभाकों

	स्तर	2001	ग्रामवासी–9 कुल–11	(बिलासपुर	एवं छात्रों में सामंजस्य न होना। 3–सतत् मूल्याकंन का अभाव 3–सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव
11.	ग्राम स्तर	23.10. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी–11 कुल–13	नवाबगंज बिलासपुर	1–प्रभावी नरीक्षण/ र्पवेक्षण न होना। 2– अध्यापकों का अन्य विभागों के कार्य में व्यस्त होना। 3– अध्याापकों का मानम के अनुरूप न होना।
12.	ग्राम स्तर	20.0. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी–10 कुल–12	मुहम्मदपुर कदीम मिलक	1–शिक्षा के साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल सिखाना। 2– लिंग भेद समानता करना चाहते है। 3–अभिभावक बालिकाओं के नामांकन नहीं करातें।
13.	न्याय पंचायत	21.10. 2001	अधिकारी–3 अभिभावक व	धमौरा मिलक	1–बालिकाओं के शिक्षा के प्रति उदासीनता है।

	स्तर पर		अन्य–13 कुल– 16		2–बालकों का विद्यालय में ठहराव बना रहे। 3–शिक्षण रूचि पूर्ण हो।
14.	ग्राम स्तर	22.10. 2001	अधिकारी–2 अभिभावक–9 कुल–11	कमौरा मिलक	1–मेहनत मजदूरी के कारण शिक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता । 2– पूरे समय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। 3– शिक्षा के साथ दस्तकारी सम्बन्धी शिक्षा देनी चाहिए।
15.	ग्राम स्तर	22.10. 2001	अधिकारी–2 अभिभावक व अन्य–11 कुल– 13	रास मिलक	1–विद्यालय में शौचालय व चहारदीवारी का होना आवश्यक है। 2–शिक्षकों मे व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी। 3– विद्यालय का वातावरण आर्क ाक न होना। 4– अध्यापकों से अन्य विभागों का कार्य कराना।

16.	न्याय पंचायत स्तर	25.10. 200	अधिकारी–3 अभिभावक–14 कुल–17	शंकरपुर चमरौआ	1– गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य–पुस्तकों का न होना। 2–अध्यापकों का राजनीति में सम्मिलित होना। 3– मानक के अनुसार अध्यापक न होना। 4– विद्यालय का आकर्षक न होना ।
17.	ग्राम स्तर	26.10. 2001	अधिकारी–2 अभिभावक व अन्य–9 कुल – 11	वहपुरी चमरव्वा	1–विकलॉग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था 2–बाल श्रमिकों के अभिभवकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव 3–बच्चों की व्यक्तिगत रूचि में कमी
18.	ग्राम स्तर	27.10. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी–7 कुल – 9	किसरौल चमरव्वा	1–अध्यापकों की कमी 2–विद्यालय वातावरण में आकर्षण की कमी 3–अरूचिपूर्ण शिक्षा 4–शिक्षा का

					रोजगारपरक न होना
19.	ग्राम स्तर	27.10. 2001	अधिकारी–01 ग्रामवासी–9 कुल – 10	कल्यानपुर चमरव्वा	1–बालिकाओं का नामांकन कराने में अभिभावकों की उदासीनता 2–महिला शिक्षकों की कमी 3–गरीबी के कारण बच्चों का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध न होना
20.	ग्राम स्तर	27.10. 2001	अधिकारी–2 ग्रामवासी–11 कुल – 13	कलराज चमरव्वा	1–शिक्षा का गुणवत्तापरक न होना 2–विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव 3–शिक्षणविधि अरूचिकर होना
21.	न्याय पंचायत	19.10. 2001	अधिकारी–1 प्रधान–4 अभिभावक–6 पंचायत सदस्य–2 योग – 13	चमरव्वा	1–विद्यालयों में भौतिक साधनों का अभाव की पूर्ति 2–चहारदीवारी की कमी के कारण विद्यालय की सुरक्षा में कमी।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सी विभागों से समन्वय व सहयोग–:

बैठकों की संख्या

विकासखण्ड का नाम	7–10–2001	4–10–2001	5–10–2001	6–10–2001	8–10–2001	9–10–2001	10–10–01	11–10–01
सैदनगर	5	8	3	4	2	3	6	6
स्वार	4	5	9	7	6	8	7	4
बिलासपुर	6	9	4	5	5	9	8	3
चमरौआ	4	3	8	9	6	8	7	5
मिलक	3	8	7	5	9	5	4	7
शाहवाद	7	9	4	3	7	6	3	9

बैठकों की संख्या

विकासखण्ड का नाम	12/10/01	13/10/01	14-10-01	15-10-01	16-10-01	17-10-01	18.10.01	19.10.01	20.10.01	21.10.01	22.10.01	23.10.1	24.10.01	25.10.01
सैदनगर	3	4	2	3	6	4	7	4	6	3	2	4	3	6
स्वार	2	3	4	6	4	5	6	5	9	25	3	5	6	5
बिलासपुर	8	5	7	7	5	6	8	6	7	5	6	7	4	7
चमरौआ	6	4	3	9	7	4	9	9	6	4	7	2	5	3
मिलक	4	3	6	5	8	3	6	8	4	3	4	4	3	6
शाहबाद	5	6	5	6	9	2	5	7	3	2	5	5	7	4

शिक्षा के विकास एवं उन्नयन में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका :–

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में छात्र / छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। चिन्हित रोगी , छात्र / छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके। स्वास्थ्य कार्ड का रख रखाव विद्यालय पर किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग :–

समाज कल्याण विभाग, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग से समाज कल्याण द्वारा प्राईमरी के छात्रों को 300 /– रूपये प्रति माह जूनियर हाईस्कूल के छात्रों को 420 /– रूपये प्रति माह की दर से छात्रवृति दी जायेगी।

ग्राम पंचायत का समन्वय :–

असेवित क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि निःशुलक प्रदान की जाती है जहॉ पर विद्यालय निर्माण किया जाता है।

जल निगम एवं एग्रो से समन्वय :–

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प की स्थापना की जाती है।

जिला ग्राम विकास अभिकरण से सहयोग :–

शिक्षा के उपयोग हेतु विद्यालय भवन के निर्माण में 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग द्वारा एवं 60 प्रतिशत धनराशि जिला ग्राम विकास अभिकरण से प्राप्त की जाती है।

विकलॉग विभाग :–

विकलॉग कल्याण विभाग द्वारा विकलॉग छात्र / छात्राओं को उपकरण (बैसाखी ट्रायसाईकिल) उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाता है।

युवा कल्याण विभाग का सहयोग :–

युवा कल्याण विभाग के सहयोग से छात्र / छात्रओं की कीडा प्रतियोगिता के माध्यम से खेल भावना का विकास किया जाता है। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समिति व स्थानीय संमुदाय की सहभागिता विकसित की जाती है ।

आई0 सी0 डी0 एस0 का समन्वयः–

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा , स्वास्थय कर्मी एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला सन्दभ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई0सी0डी0सी0 एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

1–आंगनवाडी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

2–आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय परिसर में या उसके निकट की जाती है।

3–आंगनवाडी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

4–केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।

5–केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

पिछडा वर्ग कल्याण विभाग का सहयोग–

पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछडी जाति के प्रभावशाली छात्रों को300/रू0 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग–: अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को 300/रू0 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

परिवार सर्वेक्षण :–

जनपद रामपुर में वर्ष 2002–03 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा परिवार सर्वेक्षण कराया गया। परिवार सर्वेक्षण का कार्य ब्लाक स्तर पर एस0डी0आई0/ए0बी0एस0ए0/डी0सी0 नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर अध्यापकों के माध्यम से सम्पन्न कराया गया। जिसकी समीक्षा समय–समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी।

परिवार सर्वेक्षण में 5–6 वर्ष, 7–10 वर्ष तथा 11–14 वर्ष तक विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित कराया गया तथा किन कारणों से चिन्हित किये हुए बच्चे उक्त वय वर्ग के विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनका पता लगाया गया। परिवार सर्वेक्षण में चिन्हांकन के समय 5–6 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं की संख्या 32,382, 7–10 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं की संख्या 36,517 एवं 11–14 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं की संख्या 13,725 थी। इस प्रकार सभी वय वर्ग के बालक/बालिकाओं की संख्या 94,736 बच्चे चिन्हित किये गये। स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत 82,157 बच्चे 31 जुलाई 2003 तक नामांकित कराये जा चुके हैं।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन जनपद- रामपुर

ब्लाक का नाम | हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित बच्चें | 31जुलाई,20003 को नामांकित बच्चे

	5-6		7-10		11-14			5-6		7-10		11-14		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
स्वार	2837	2174	3050	3800	3597	3406	18864	2069	1948	2660	2725	1803	1529	12734
सैदनगर	1634	1651	2428	2971	1707	2190	12581	1579	1529	2320	2743	1561	1886	11618
चमरौआ	1369	1467	2286	2041	1928	1935	11026	2144	2644	1563	1416	1230	1263	10260
बिलासपुर	3121	2927	2719	2564	1671	1686	14688	2809	2637	2442	2311	1503	1517	13219
मिलक	2577	2595	1810	1381	1252	1268	10883	2448	2465	1720	1312	1189	1205	10339
शाहबाद	3184	3018	3133	3089	2427	2501	17352	3062	2997	3102	3068	1998	1456	15683
नगर क्षेत्र	2437	1172	2796	2459	429	745	10038	1673	1012	2663	2251	297	408	8304
कुल योग	17159	15004	18222	18305	13011	11230	95422	15784	15232	16470	15826	9581	9264	82157

spo139

जिला समन्वयक(वै0शि0)
डी0पी0ई0पी0,रामपुर

जिला समन्वयक (प्रशि0)
डी0पी0ई0पी0,रामपुर

जिला समन्वयक(समे0शि0)
डी0पी0ई0पी0,रामपुर

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
रामपुर

सारणी संख्या 7.3

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन की स्थिति (31.7.2003 तक)

ब्लाक का	5 से 6 वय वर्ग			7 से 10 वय वर्ग			11 से 14 वय वर्ग			5 से 14 वय वर्ग		
नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
स्वार	2837	2174	5011	3050	3800	6850	2698	3406	6104	8585	9380	17965
सैदनगर	1834	1651	3485	2428	2961	5389	1707	2190	3897	5969	6802	12771
चमरौआ	1369	1467	2836	2286	2041	4327	1928	1935	3863	5583	5443	11026
बिलासपुर	3121	2927	6048	2719	2564	5283	1671	1680	3351	7511	7171	14682
मिलक	2577	2595	5172	1810	1381	3191	1252	1268	2520	5639	5244	10883
शाहबाद	3184	3037	6221	3133	3089	6222	2427	2501	4928	8744	8627	17371
नगर क्षेत्र	2437	1172	3609	2796	2459	5255	429	745	1174	5662	4376	10038
योग	17359	15023	32382	18222	18295	36517	12112	13725	25837	47693	47043	94736

अध्याय –4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा–1से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक हेतु राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान सचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुनर्नि–धारित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85.15 दशम पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75.50 प्रति 0 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा–1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप निर्धारित किये गये लक्ष्यों को जनपद में यथावत स्वीकार किया गया है।

1– वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय ,शिक्षा गारन्टी केन्द्र,वैकल्पिक स्कूल,बैकट् स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन्।

2– वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराना।

3– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराना।

4– गुणवत्तापूरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कराना।

5– बालक–बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्रप्ति में अन्तर समाप्त करना।

6– वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्त अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिए भी मान लिया गया है। उक्त लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे भी दियागया है।

नामांकन का लक्ष्य

बच्चों की संख्या तथा नांमाकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गई विधि

जनगणना– 2001 से पेद्रश की जनपदवार जनसंख्या के आंकडे प्राप्त हो गये हैं जनगणना 1991 की जनसंख्या के आंकडों का आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में वृद्वि के आधार पर नीपा नई दिल्ली के माड्यूल मुं वर्णित कम्पाउन्ड रेट आफग्रोथ से जनपद की वार्षिक वृद्वि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्वि दर 2.79 प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्वि, से वर्ष 2002 से 2007 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेषित की गयी है।

जनसंख्या– 2001 के आयुवार जनसंख्या के आकडे अभी प्राप्त नहीं हैं अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए व्रर्ष 2001 तक इसके आगे की प्रेक्षिपित जनसंख्या 6–12 वर्ष बालसंख्या ज्ञात करने लिए 15.2 प्रति0 तथा 11–14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञान होने के लिए 6.5 प्रतिशत का अनुपात लिया गया हैं वर्ष 2001 की जनगणना के विभिनन आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण नगरीय अनुसूचित जाति/जनजाति के विशिष्टि आकडो उपलब्ध होने पर इन आंकडों का पुर्नवलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता हैं

नांमाकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए नीपा,नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेंट रेशियोमेथ से 2002 से 2007 तक का जी0ई.आर0 प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथ प्रेक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षे–पित किया गया है प्राथमिक स्तर (6–11)के लिए व्रर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11–14) के लिए वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया हैं चूँकि कुल नामांकन के कुल ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होगें । अतः जी0आई0आर का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बादी जी0ई0आर में वृद्वि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6–11 वर्ष व 11–14 वर्ष में बढेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढेंगे।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन का लक्ष्य

6–11 वय वर्ग के कुल बच्चे				6–11 वय वर्ग का कुल नामांकन			
वर्ष	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	जी0ई0आर0
2002–03	166133	138274	304407	168035	112024	280059	92%
2003–04	171205	142491	313696	168778	140231	308109	98.21%
2004–05	176273	146708	322981	176273	146708	322981	100.00%
2005–06	181551	151050	332601	217521	145014	363535	109.00%
2006–07	186924	155521	342445	219696	146464	366160	110.00%

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन का लक्ष्य

11–14 वर्ग के कुल बच्चे				कुल नामांकन			
वर्ष	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	जी0ई0आर0
2002–03	68598	53503	122096	53722	43955	97677	60%
2003–04	70685	56506	127191	68154	52045	120199	94.50%
2004–05	72777	61860	134637	710089	158163	129252	96.00%
2005–06	74931	64440	139371	76487	60097	136584	98.00%
2006–07	77148	67118	144266	77148	67118	144266	100.00%

प्राथमिक विद्यालय

रामपुर

क्र0सं0	वर्ष	6–11वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालयसे बाहर जो बच्चे विद्या0 में नहीं जा रहे है(वर्षवार)	जी0ई0आर0	बालिका अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
1	2002–03	302531	294141	79399	214742	8390	97.22	129911
2	2003–04	313696	308109	80379	227730	5587	89.21	134421
3	2004–05	322981	322981	80021	242960	0	100	141008
4	2005–06	332542	332542	72862	259680	0	100	143828
5	2006–07	242384	342384	65554	276800	0	100	146705

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र0सं0	वर्ष	परिषदीय विद्यालयों में कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान स्वीकृत शिक्षक	वर्तमान स्वीकृत शिक्षामित्र	योग (3+4)	40:1 की दर से शिक्षक	40:1 की दर से शिक्षक	शिक्षक	शिक्षामित्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2002–03	214742	3691	734	4425	5368	943	472	471
2	2003–04	227730	4163	1186	5348	5693	345	173	
3	2004–05	242960	4336	1357	5693	6074	381	191	362
4	2005–06	259690	4527	1547	6074	6492	418	209	209
5	2006–07	276800	4736	1756	6492	6920	428	214	214
6									

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति

क0सं0	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चे	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चे	परिषदीय विद्यालयोंक में जा रहे बच्चे	जो बच्चे विद्यालय में नही जा रहे हैं	जी0ई0आर0	बालिका अनु0 जा0/बालक का प्रति0 परिषदीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2002–03	122096	97677	48995	48682	24044	60 प्रति	64437
2	2003–04	127191	120199	59000	61199	6992	94.5 प्रति	80533
3	2004–05	126413	136413	61386	75027	0	100 पति0	91396
4	2005–06	141425	141425	56570	84855	0	100पति0	94755
5	2006–07	144547	144547	57819	86728	0	100 पति0	96486

ड्राप आउट दर

वर्ष	कुल	बालिका
1998	53.5	60.7
1999	616	47.3
2000	44.8	40.9
2001	36.4	32.2
2002	25.51	24.2
2003	20.27	17.9

अध्याय–5
समस्यायें एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये सर्वेक्षण एवं फोकस ग्रुप डिसकशन में प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गयी है जिसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की नियुक्ति , नये भवनों का निर्माण, नये पाठ एवं उच्च भवनों का निर्माण, जर्जर भवनों का निर्माण, विद्यालय भवनों की मरम्मत , हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सोन्दर्यीकरण एवं विद्यालयों के सुदृढीकरण का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों के बाहर बच्चों को जो किन्ही कारणवश स्कूल नही जा पा रहे हैं उन्हें वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जायेगा।

1–आर्थिक एवं सामाजिक पिछडापन

रामपुर जनपद की अधिकतर आबादी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछडे हुये लोगों की है। बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सौच म परिवर्तन लाने के लिये जनचेतना के प्रयास किये जायेगे। इस काय्र में महिला मंगल दल , महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना, कार्यकत्री, एनएनएम,कला जत्था, जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं जागरूक व्यक्तियों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

2–शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध है

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का व्यवसायिक शिक्षा के काय्रक्रमों से जोडा जायेगा। जिससे छात्रों को आत्म निर्भर एवं सीखने की आदत का विकास हो सके और आथ्रिक पिछडापन दूर हो सके जिससे वे रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका आर्थिक पिछडापन भीदूर हो सके। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिये सिलाई, कढाइ, फलसंरक्षण, बुनाई,स्थानीय काफट एवं नगरीय क्षेत्र में इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्र में मेहदी , फाईन आर्ट , चटाई का निम्रण , जूट और कपडे के बैग

सीखाने का प्रबन्ध किया जायेंगा। सिलाई शिक्षा के लिय मशीनों की व्यवस्था प्रस्ताव में है। जनपद में पूर्व परियोजना, प्रौढ शिक्षा के उन शिक्षण निलयन कार्यक्रम में उपलब्ध करायी गयी है। कढाई एवं बुनाई को शिक्षा का परम्परागत ढंग से जनपद में पूर्व परियोजना प्रौढ शिक्षा के जन नियलम कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी है। कढाई एवं बुनाई की शिक्षा परम्परागत ढंग से न कराकर मशीनों की सहायता से कराई जानी प्रस्तावित है। इसके लिये परियोजना में मशीनों की मरम्मत एवं रख रखाव विद्यालय से अनुदान कराया जायेगा।

3–असेवित एवं मलिन बस्तियों में
विद्यालय की सुविधा में न होना :–

105 कि0मी0 तथा 300 कि0 मी0 की आबादी वाली बस्तियों में उन गॉवों में प्राथमिक विद्यालयो की व्यवस्था तथा 6–8 वर्ष के 300 बच्चों में 3 कि0मी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिये ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में द्विपालीय योजना एवं किराये के भवनों में चलाने वाले विद्यालय जहॉ छात्र संख्या कम है उन्हें असेवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुनः स्थापित किया जायेगा।

4–भौगालिक कठिनाई जैसे नदी,नाले, जंगल
आदि के कारण शिक्षा में अवरोध :–

भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा केन्द्रों के खोलने जाने तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोडा जायेगा।

5–विद्यालयों में भौगोलिक संसाधनों का अभाव
जैसे फर्नीचर, बिजली,नामांकन के सापेक्ष
उपस्थिति के आधार पर कक्षा–कक्षों की
उपलब्धता शौचालय, पेयजल एवं चहार
दीवारी की कमी।

छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल , शौचालय एवं चहारदीवारी नहीं है वहॉ इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिये काष्ठोपरण की व्यवस्था उपलब्ध हैं। अभाव जैसे – फर्नीचर, बिजली , नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा–कक्षों की अनुपलब्धता, शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी की कमी।

6–शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चों
में जागरूकता का अभाव अभि–
भावक की यह सोच कि बच्चा
शिक्षित होकर रोजगार से जुडे

शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास है न कि एकमात्र रोजगार उपलब्ध कराना है, जबकि अभिभावक की सोच है कि बच्चा पढ लिखकर नौकरी करे। यथास्थिति में रोजगार के सीमित अवसर हैं। इस सोच में सकारात्मक सोच पर बंल दिया जायेगा।

7–बच्चों के व्यक्तिगत
रूचि में कमी :–

बच्चों को विद्यालय बोझ न लगे जिस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा जैसे खेल द्वारा शिक्षा क्रियाशील आधारित पाठयक्रम का निर्माण करना। समय सार्थक बनाकर बच्चों में रूचि उत्पन्न करना। सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्रिया कलापों का समायोजन एवं क्षेत्र भ्रमण आदि को समावेष्टित किया जायेगा।

8–शिक्षक की व्यवहार
व्यक्तित्व में हास :–

शिक्षक को छात्र / छात्राओं के प्रति मृदु व्यवहार हो। शिक्षक की छवि छात्र / छात्राओं के मस्तिक में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिष्ठ प्रभावकारी हो। इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया

छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल , शौचालय एवं चहारदीवारी नहीं है वहॉ इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिये काष्ठोपरण की व्यवस्था उपलब्ध है। अभाव जैसे – फर्नीचर, बिजली , नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा–कक्षों की अनुपलब्धता, शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी की कमी।

6–शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चों
में जागरूकता का अभाव अभि–
भावक की यह सोच कि बच्चा
शिक्षित होकर रोजगार से जुडे

शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास है न कि एकमात्र रोजगार उपलब्ध कराना है, जबकि अभिभावक की सोच है कि बच्चा पढ लिखकर नौकरी करे। यथास्थिति में रोजगार के सीमित अवसर हैं। इस सोच में सकारात्मक सोच पर बल दिया जायेगा।

7–बच्चों के व्यक्तिगत
रूचि में कमी :–

बच्चों को विद्यालय बोझ न लगे जिस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा जैसे खेल द्वारा शिक्षा क्रियाशील आधारित पाठयक्रम का निर्माण करना। समय सार्थक बनाकर बच्चों में रूचि उत्पन्न करना। सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्रिया कलापों का समायोजन एवं क्षेत्र भ्रमण आदि को समावेष्टित किया जायेगा।

8–शिक्षक की व्यवहार
व्यक्तित्व में हास :–

शिक्षक को छात्र / छात्राओं के प्रति मृदु व्यवहार हो। शिक्षक की छवि छात्र / छात्राओं के मस्तिक में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिष्ठ प्रभावकारी हो। इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया

जायेगा। जिससे विषयवस्तु के ज्ञान में लगातार वृद्धि हो तथा वह शिक्षण कार्य को ओर अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षक को समुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल होना पडेगा। इसे प्रशिक्षण में जोडा जायेगा। जिससे विषयवस्तु के ज्ञान में लगातार वृद्धि हो तथा वह शिक्षण कार्य को ओर अधिक प्रभावी

9–विद्यालय की छात्र संख्या के सापेक्ष
अध्यापकों की कमी :–

ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जायेगी। 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। पूव्र माध्यमिक में जहॉ पर पूर्व मा0 विद्यालय के साथ प्राथमिक विद्यालय संचालित हो सके वहॉ पूर्व माध्यमिक विद्यालय का ही प्रधानाध्यापक सम्पूर्ण प्रबन्धतंत्र का समय विभाजन चक्र होगा। कक्षा–1 से 8 तक के पाठयक्रम से भलीभॉति परिचित होगे। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के साथ जुडने का प्रयास करेगे।

10–अध्यापक से अपने विभाग के कार्यो के साथ–साथ
अन्य विभागों के कार्यो का निष्पादन कराया जानाः–

किन्ही विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय महत्तव के कार्य अध्यापकों से कराये जाये। जिससे उनके शैक्षणिक कार्यो में व्यवधान न उत्पन्न हो तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर अपने कार्यो को उपेक्षित महसूस न करे। अध्यापकों को पठन पाठन के लिये पूण्र उत्तरदायी बनाया जायेगा। बच्चों की प्रगति में अध्यापकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। कमजोर छात्रों को विद्यालय अवकाश के बाद शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। एम0एल0एल0 को आधार मानकर अध्यापक की सेवा पंजिका में वार्षिक प्रविष्ठ की जायेगी तथा प्रतिकूल प्रविष्टि पर वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जायेगा। इस प्रकार अध्यापक की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी।

11–विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना :–

बच्चों को समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान में 6बाई6 की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकतानुसार कय की जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों की

सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरूप होगी। इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालयो में कृषि एवं बागवानी सम्बन्धी काय्र छात्रों से कराये जायगे। प्रत्येक कक्षा के लिये खेलकूद का सामान निर्धारित होगा। बच्चा घर पर न रहकर विद्यालय की ओर उन्मुख होगा। जब बच्चों में यह भावना जाग्रत होगी तो ड्राप आउट की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

12–गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठय पुस्तक का न होना :–

कक्षा–1 से 8 तक के समस्त छात्रों को पाठय पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगी।

13–अध्यापकों का छात्रानुपात मानक के अनुरूप होना :–

विद्यालय में अध्यापकों की कमी अथवा अधिक छात्रों के कम अध्यापकों के कारण पठन पाठन 40:1 के मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। पूव्र माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी के फलस्वरूप गणित / विज्ञान / अंग्रेजी एवं संस्कृत / उर्दू की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। बालिकाओं के लिये गुहा विज्ञान के अध्यापकों का अभाव है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

14–अध्यापकों का विद्यालय में कम ठहराव :–

अध्यापक सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट कर रहे हैं । इसके लिये विभागीय सूचनायें विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेगी। विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी। जिससे उसे पहुँचाने का बार–बार लगने वाला समय एवं श्रम कम होगा तथा ठहराव बना रहेगा।

15–अध्यापकों का शिक्षण कार्य में अरूचि :–

अध्यापकों की विषय वस्तु पर आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा। और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा। समय–समय पर

होने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में दक्षतारोक / वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जायेगी।

16–छात्रों की गणवेशो को उपेक्षित करना :–

गणवेश के अभाव में विद्यालय परिवेश का अनुकूलन संम्भव नहीं है। साथ ही साथ समाजिक एकरूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत। नर्सरी विद्यालयों में अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते हैं। अतः स्वच्छ गणवेश मुखरित करेगी।

17–अध्यापक अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न होना :–

अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक से सम्पर्क बना रहे। इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं / विशेषकर अपवंचित / उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटीपरक शिक्षा पर बल दिया जायेगा। तथा उनके विचारों / समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। नियमित अभिभावक एवं अध्यापक गोष्ठी की जायेगी। जिसमें शिक्षा समिति का विशेष योगदान होगा।

18–सतत मूल्यांकन का अभाव :–

कोटीपरक शिक्षा के लिये सतत एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्तवपूण्र है। मूल्याकंन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के प्श्चात कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था छुटिटयों में की जायेगी। प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिये प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों कं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा।

19–शैक्षिक निरीक्षण / पर्यवेक्षण की कमी :–

एन0 पी0 आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 , प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सहायक बेसिक शिक्षा एवं डायट अभीकर्मी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण , निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेगे।

20–सकिय समाज के सहभागिता का अभाव :–

अभिभावकों / ग्रामवासियों में यह सोच विकसित होगी कि यह विद्यालय हमारा है।विद्या0 में अच्छी पढाई से ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और इसी से आने वाले समय में गॉव की प्रगति हो सकेगी। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्कूलों का सतत मूल्यांकन करेगी। साथ–साथ पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। माइक्रोप्लानिंग एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु गांव के जानकार लोगों की मदद ली जायेगी। विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश, स्वच्छता, अनुशासन, विद्यालय की बागवानी एवं साज–सज्जा को सकिय सहभागिता ली जायेगी। अध्यापकों के अभाव में गांव के पढे लिखे लोगों की मदद ली जायेगी। उन्हें व्यवस्था देखने हेतु गुण–वत्ता के अनुश्रवण हेतु विद्यालय में आंमत्रित किया जायेगा। गरीब बच्चों को गणवेश स्लेट कापी पेन्सिल तथा प्रतिभावना बच्चों को पुरस्कार हेतु समुदाय हेतु समुदाय को प्रेरित किया जायेगा।

21–बाल श्रमिक तथा अभिभावक में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव :–

6–14 वय वर्ग के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्तव की जानकारी देकर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा जिससे बच्चा व्यवसाय में न जाकर विद्यालय में प्रवेश ले तथा शिक्षा पूण्र करें। श्रम विभाग सर्वेक्षण काय्र द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा द्वारा अपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध कराकर बच्चों को मुख्य धारा से उनकी योग्यता की परीक्षणोपरान्त जोडा जायेगा।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपदकी भविष्य में आने वाली शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए रणनीति बनायी जायेगी

23–रात्रिकालीन शिक्षा केन्द्र :–

बाल श्रमिकों हेतु रात्रिकालीन शिक्षा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है जिससे वे बाल श्रमिक अपने कार्य से निपटने के उपरान्त शिक्षा ग्रहण कर सके।

अध्याय–6
शिक्षा की पहुँच का विस्तार

1– प्राथमिक स्तरपर नवीन प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण एवं आवश्यकता

शिक्षा के सार्वभौमिक कारण की दृष्टि से 6–11 वय वर्ग के छोटे बच्चों को उन की आयु के अनुसार निकट विद्यालय होना शिक्षा की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है। इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। वर्ष 1999 से प्रारम्भ हुआ ।
परियोजना के प्रारम्भिक वर्ष 1999–2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्ग 10 नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुऐ जिनका चयन असेवित बस्तियों से कर निर्माण कार्य वर्तमान समय में पूर्ण कराया जा चुका है तथा वर्ष 2000–01 में 07 नवीन विद्यालय स्वी–कृत हुऐ जिनका चयन असेवित बस्तियों से करके निर्माण कार्य वर्तमान समय में पूर्ण कराया जा चुका हैं इसके अतिरिक्त संघन क्षेत्र तथा 10 वें तथा 11 वै वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में 62 तथा.2002–03 में 92 प्राथमिक विद्यालयों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शेष बची 16 असेवित बस्तियों का चयन कर लिया गया हैं । इस प्रकार वर्ष 2003–04 में इसस जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की सम्पन्न 1164 हो जायेगी तथा कोई भी बस्ती असेवित नहीं शेष रहेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में 75 नवीन विद्यालय स्वीकृत हुए थे जिसमें से केवल 16 विद्यालयों का निर्माण होगा।शेष विद्यालय असेवित वस्ती न होने के कारण वापस किये जायेगे।
उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण एवं आवश्यकता–

इस जनपद में बच्चों को कक्षा 6–8 तक की शिक्षा पूर्ण कराने के लिए विभिन्न वर्ष में 10 वे तथा 11वें वित्त आयोग तथा सघन क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च प्रा0 विद्यालय असे वित बस्तियों में खोले गये । वर्ष 200–01 में 88 ,2001–02 में 15 तथा सघन क्षेत्र के अन्तर्गत 65 कन्या जूनियर हाई स्कूल ,2002–03 में 91 उच्च प्रा0विद्यालय का निमार्ण कराया जा रहो हैं। वर्तमान समय में 2003–04 में शासन के मानक के अनुसार इससे जन पद में कोई भी असेवित बस्ती नही रहेगी। और न ही इस जनपद में उच्च प्राथमिक विद्या

लय खोलने की आवश्यकता हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 99 नवीन उच्च प्रा0विद्यालय स्वीकत हुऐ हैं। असेवित बस्ती न होने कारण इनको वापस कियाजा रहा है।

जनपद में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	विवरण	विद्यालयों की सं0	ग्रामीण	शहरी	योग्य
1	वर्तमान समय में प्रा0 विद्यालयों की संख्या	1164	1098	66	1164
2	वर्तमान समय में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	279	275	4	279

वर्तमान समय में इस जनपद मे कोई भी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्या लय के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

क0सं0	विवरण			विद्यालयो की संख्या	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता			–	–	–	–
2	वर्तमान प्राथमिक विद्यालय			1164	1098	66	1164
3	नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता			–	–	–	–
4	एक दो के अनुपात में उच्च			582	582	–	582
5	प्राथमिक विद्यालय की संख्या वर्तमान						
6	कुल आवश्यकता			–	–	–	–

अतः सर्वशिक्षा अभियान में कुल 130 उच्च प्राथमिक विद्यालया प्रस्तावित है। इन विद्यालयों की स्थापना के पश्चात् सभी असेवित बस्तियों के लिए विद्यालय उपलब्ध हो जायेंगे।

शिक्षक व्यवस्था–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था प्रस्तावित हैं जो बाद में छात्र संख्या के अनुपात में बढाई जाएगी। प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक तथा दो सहायक अध्यापकों सहित कुल पॉच अध्यापकों की व्यवस्था स्थापित है। चार अध्यापकों में सकस एक विज्ञान एवं गणित तथा बलिका शिक्षों को प्रभावित करने के लिए एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जाऐगी

विद्यालय उपकरण–

प्रत्येक नवीन विद्यालयों को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार 10 हजार रू0 उपलब्ध कराये जाएगें उस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री ग्राम शिक्षा स–मिति द्वारा खरीदी जाएगी। धनराशि के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति को नियोजन स्तर से से किया जायेगा।

1– टाट पट्टी
2– श्यामपट
3– मेज कुर्सी
4– अध्यापकों के लिए अलमारी
5– सन्दूक
6 आवश्यकता रजिस्टर
7– खेल–सामग्री
8– पुस्तकालय हेतु पुस्तके
9– अन्य सामग्री

उपर्युक्तानुसार सामग्री क्रय करने का कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर होगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में साज–सज्जा के लिए मानक के अनुसार 50 हजार रूप्ये का प्रावधान किया गया है जिसमें नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपकरण हेतु निम्नलिखित सामग्री ग्राम शिक्षा समिति द्वारा क्रय की जायेगी। धनराशि का स्थानान्त रण जनपद स्तर से ग्राम शिक्षा समिति के खाते में किया जायेगा।

1– काष्ठोपकरण– मेज कुर्सी,श्यामपट ,लकडी की अलमारी इत्यादि।
2– शिक्षण सामग्री– बच्चों को प्ढाने के लिए, ग्लोब ,चार्ट, नक्शें इत्यादि।
3– खेल सामग्री– पुस्तकालय के लिए लोक की अलमारी,पुस्तके आदि।
4– पुस्तकालय की स्थापना – पुस्तकालय के लिए लोह की अलमारी,पुस्तक आदि।
5– अन्य सामग्री– बाल्टी,लोटा, पानी पीन वाला मग तथ अन्य सामग्री इत्यादि।

उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति द्वारा क्रय की जायेगी ग्राम शिक्षा समिति का सचिव (प्रधानाध्यापक) विद्यालय की आवश्यकता को ग्राम शिक्षा समिति के समक्ष प्रस्ता वित करेगा। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा सामग्री क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।

पेयजल शौचालय एवं चहारदीवारी

सर्व शिक्षा अभियान प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में पहुॅचाने के लिए के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पानी–पीने की व्यवस्था हेतु इण्डि या मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाए जायगे जिससे विद्यालय में पढने वाले बच्चे स्वच्छ पानी पी के प्रत्येक विद्यालयों में जॅहा पर बालक/बालिकांए एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन बालक/बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं

की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथाा विद्यालयों को सुसज्जित एवं आकर्षक और सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा।

निर्माण कार्यदायी संस्था

सर्व शिक्षा अभियान एक सामुदायिक सहभागिता पर आधारित एक कार्यक्रम है। शिक्षा जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा ग्राम शिक्षा समिति को ययह दायित्व दिया है कि विद्यालय भवनों का निर्माण चाहे वह प्राथमिक स्तर का हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर का हो यया विद्यालय के विकास से सम्बन्धित सभी कार्य(निर्माण कार्य) ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा। विद्यालय के निर्माण का कार्य ग्राम शिक्षा समिति को सौंपा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता दर्शायी गयी है पूर्व में संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, तथा शौचालय आदि यथासम्भव उपलब्ध है। जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना एक अनुपात दो के आधार पर बनाई गई है। सम्यक विचारो–परान्त यह निर्णय लिया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जाऐगी जिससे प्राथमिक विद्यालयो में उपलब्ध करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जाएगी। जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भवन, हैण्डपम्प , शौचालय ,चहारदीवारी आदि भौतिक संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जा सके फलस्वरूप नवीन उच्च प्रा0 विद्यालय की स्थापना में हैण्ड पम्प,,शौचालय आदि मदों में बचत की जा सके।

निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यो के तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जाएगा । इस सम्बन्ध में व्यवस्था का विवरण अध्याय 10 परियोजना,कियान्वयन,और अनुश्रवण में दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्षा का निर्माण–

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा काग्रक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो में क्रमशः अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया 99–2000–80,2000–2001 मे 125, 2001–02 में 197 ,2002–03 में 25 कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है। आगामी वर्षे में छात्र/सख्या की वृद्वि को देखते हुए 1000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण–

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या की वृद्वि को देखते हुए आगामी वर्षो में 34 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की बजट में व्यवस्था की गई।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण–

राज्य सरकार के मानक के अनुसार 1.5किमी0 की दूरी तथा 300 की आबादी के मानक पर प्रा0 विद्यालय की स्थापना की जायेगी। स्कूल मेपिंग व माइक्रोप्लानिंन के आधार पर स्थान का चयन वैज्ञानिक रीति से किया जायेगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 300 किमी0 दूरी व 800 आबादी पर की जायेगी। स्कूल मैपिंग व माइक्रोप्लानिगं के माध्यम से स्थान का चयन किया जाऐगा। स्थान के चयन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से स्थल का चयन किया जायेगा इस प्रकार विद्यालयों की स्थापना में आवश्यकता और विकेन्द्रित प्रणा–ली की अनुसरण किया जायेगा।

सर्व प्रथम शिक्षा अभिसयान के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाएगी इसके ष्चात बस्ती में छात्र/छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए जनपद में नवीन प्राथमिक एवृं उच्च प्राथ–मिक विद्यालयों की आवश्यकता एवृं विद्यालयों मं भौतिक सुविधा के आंकलन हेततु एक सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जाएगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवृं वार्षिक कार्य–योजना में नवीन विंद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण के लिए रूपये दो लाख का वित्तीय प्रावधान प्रति वर्ष रखा गया है। सर्वे–क्षण से प्राप्त आंकडो /सूचनाओं का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष में किया जाएगा जिससे जनपद की प्राथमिक स्तर तक की आवश्यकताओं का आंकलन कर अगले वित्तीय वर्ष में सुविधाएं को उपलब्ध कराया जा सके।

निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यो के तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभ्यिन्त्रण सेवा/लघु सिचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जाएगाा । इस सम्बन्ध में व्यवस्था का विवरण अध्याय 10 परियो–जना,क्रियान्वयन,और अनुश्रवण में दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्षा का निर्माण–

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा काय्रक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो में कमशः अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया 99–2000–80,2000–2001 मे 125, 2001–02 में 197 ,2002–03 में 25 कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है। आगामी वर्षे में छात्र/सख्या की वृद्वि को देखते हुए 1000/– अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण–

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या की वृद्वि को देखते हुए आगामी वर्षो में 34 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की बजट में व्यवस्था की गई।

अध्याय –7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा/ब्रिजकोर्स)

भारतीय संविधान में 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एव् निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को बच्चे का मेल अधिकार बना दिया गया है।

भारतीय संविधान के संकल्प की पूर्ति के लिए सर्व प्रथम अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये प्रयास का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक किया जाना प्रतीत होता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमी करण के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त करने के लिए विगत कुछ वर्षो में सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं।प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण करने के उद्देश्य से बढती आव–श्यकताओं को पूरा करने हेतु 1997–80 से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। इसके अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नहीं जा पाये हैं,या जिनके छत्रों में विद्यालय उपलब्ध नहीं है या किन्ही कारण वश विद्यालय छोड दिय है,को औपचारिक शिक्षा के सम–तुल्य शिक्षा उपलब्ध करायी गयी । यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछडे राज्यों,मलिन बस्तियों और पर्वतीय जनजातियों तथा रेगिस्थानी क्षेत्रों में विशेष रूप से चलाई गयी ।

अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत सह शिक्षा वाले केन्द्र 60:40तथा बालिकाओं के केन्द्र हेतु 90:10 के अनुपात में केन्द्र सरकार और सम्बन्धित राज्यों द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से संचालित थे। यह योजना 9 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के संचालित की गयी । पूरे देश में 2.90 लाख अनौपचारिक केन्द्रों मे 7250000बच्चे नामांकित थे। इन केन्द्रों में 1.18लाख केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए शिक्षा सुलभ करा रहे थे।

उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया। प्रदेश में 591 परियो–जनाएँ संचालित थीं। प्रत्येक परियोजना में एक सौ अनौपचाचिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये। जनपद रामपुर के सभी छह विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाा संचालित थी। जिनमें 600 केन्द्र संचालित थे।

विश्लेषण

जनपद में प्रति परियोजना 100 केन्द्र संचालित किये गये। प्रत्येक केन्द्र में 25 बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार एक परियोजना मे 2500 छात्रों का नामांकन दो वर्षो के लिए किया गया। कक्षा –5 की परीक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 1200 छात्र प्रति परियोजना सम्मिलित हुए। उनमें से केवल 350 बच्चे ही प्रतिवर्ष प्रति परियोजना कक्षा–6 में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा में जुडते रहें है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ड्राप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना था जिसकी सम्प्राप्ति अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकी ।

सर्वेक्षण

जनपद में मई एवं जून 2003 में परिवार सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया गया। परिवारसर्वेक्षण के अन्तर्गत विद्यालय से बाहर ब्लाक वार चिन्हित बच्चों का विवरण नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया

सारणी 7.1

परिवार सर्वेक्षण के अन्तर्गत चिन्हित स्कूल से बाहर बच्चों का ब्लाक वारविवरण

स्कूल से बाहर बच्चों का विवरण

ब्लाक का नाम	5 से 6 वय वर्ग			7 से 10 वय वर्ग			11 से 14 वय वर्ग			महायोग 5 से 14 वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
स्वार	2837	2174	5011	3050	3800	6850	2698	3406	6104	8585	9380	17965
सैदनगर	1834	1651	3485	2428	2961	5389	1707	2190	3897	5969	6802	12771
चमरौआ	1369	1467	2836	2286	2041	4327	1928	1935	3863	5583	5443	11026
बिलासपुर	3121	2927	6048	2719	2564	5283	1671	1680	3351	7511	7171	14682
मिलक	2577	2595	5172	1810	1381	3191	1252	1268	2520	5639	5244	10883
शाहबाद	3184	3037	6221	3133	3089	6222	2427	2501	4928	8744	8627	17371
नगर क्षेत्र	2437	1172	3609	2796	2459	5255	429	745	1174	5662	4376	10038
योग–	17359	15023	32382	18222	18295	36517	12112	13725	25837	47693	47043	94736

स्त्रोत जिला / विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामपुर।

सारणी संख्या–7.2

स्कूल से बाहर बच्चों का कारण सहित विवरण

कारण												
	5 से 6 वय वर्ग			7 से 10 वय वर्ग			11 से 14 वय वर्ग			5 से 14 वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1–अपने घर के कार्यो में	4593	4419	9012	8771	7474	16245	6952	7840	14792	20316	19733	40049
2–मजदूरी में लगे रहना	424	350	774	744	718	1462	2030	1418	3448	3198	2486	5684
3–भाइ बहनों की देखभाल	2994	3331	6325	4254	5023	9277	2193	2441	4634	9441	10795	20236
4–विद्यालय दूर होने के व	719	747	1466	456	513	969	354	426	780	1529	1686	3215
5–अन्य	8629	6176	14805	3997	4567	8564	583	1600	2183	13209	12343	25552
योग	17359	15023	32382	18222	18295	36517	12112	13725	25837	47693	47043	94736

स्त्रोत :जिला / विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामपुर।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन जनपद– रामपुर

ब्लाक का नाम | हाऊस होल्ड सर्वे में चिन्हित बच्चें | 31जुलाई,20003 को नामांकित बच्चे

	5–6		7–10		11–14			5–6		7–10		11–14		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
स्वार	2837	2174	3050	3800	3597	3406	18864	2069	1948	2660	2725	1803	1529	12734
सैदनगर	1634	1651	2428	2971	1707	2190	12581	1579	1529	2320	2743	1561	1886	11618
चमरौआ	1369	1467	2286	2041	1928	1935	11026	2144	2644	1563	1416	1230	1263	10260
बिलासपुर	3121	2927	2719	2564	1671	1686	14688	2809	2637	2442	2311	1503	1517	13219
मिलक	2577	2595	1810	1381	1252	1268	10883	2448	2465	1720	1312	1189	1205	10339
शाहबाद	3184	3018	3133	3089	2427	2501	17352	3062	2997	3102	3068	1998	1456	15683
नगर क्षेत्र	2437	1172	2796	2459	429	745	10038	1673	1012	2663	2251	297	408	8304
कुल योग	17159	15004	18222	18305	13011	11239	95422	15784	15232	16470	15826	9581	9264	82157

जिला समन्वयक(वै0शि0)
डी0पी0ई0पी0,रामपुर

जिला समन्वयक (प्रशि0)
डी0पी0ई0पी0,रामपुर

जिला समन्वयक(समे0शि0)
डी0पी0ई0पी0,रामपुर

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
रामपुर

स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों /विद्या केन्द्रों/वै0शि0 केन्द्रा में पंजीकृत कराने का अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 31–7–2003 तक स्कूल से बाहर चिन्हित कुल 94734 बच्चों में से 82157 बच्चों को नामांकित किया गया।

31–7–2003 तक जनपद के 5 +से 11 वर्ष तक के कुल 313696 बच्चों में से 308109 बच्चों को नामांकित करने के उपरान्त 5587 बच्चे स्कूल से बाहर शेष बचे जिनका विवरण सारणी संख्या 7.4 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 7.4

5+से 11 आयु वर्ग के बच्चों की सारणी

कुल बच्चे			विद्यालय जाने वाले पंजीकृत			स्कूल से बाहर चिन्हित बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
171205	142491	313696	167878	140231	308109	3327	2260	5587

स्त्रोतः ई0बी0एस0ए0कार्यालय

इसी प्रकार 11–14 वर्ष के कुल 127191 बच्चों में से 120199 बच्चे नामांकित होने के उपरान्त कुल 6992 बच्चे स्कूल से बाहर शेष बचे जिनका विवरण तालिका 7.5 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 7.5

11+से 14 आयु वर्ग के बच्चों की सारणी

कुल बच्चे			विद्यालय जाने वाले पंजीकृत			स्कूल से बाहर चिन्हित बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
70685	56506	127191	68154	52045	120199	2531	4461	6992

स्त्रोतः ई0बी0एस0ए0कार्यालय

जनपद रामपुर में वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (विस्तारित जनपद)संचालित है जिसके अन्तर्गत वर्ष 200–01 (प्रथम वर्ष) में 40 विद्या केन्द्र एवं 35 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (मकतब मदरसों) में केन्द्र संचालित है। वर्ष 2001–02 में 75 विद्या केन्द्रो तथा 50 मकतब मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 75 विद्या केन्द्रों एंवं 50 मकतब मदरसे केन्द्रों का चयन किया जा चुका हैं

इस प्रकार वर्तमान में 115 ई0जी0एस0(विद्या केन्द्र) एवं 85 मकतब मदरसे(वै0शि0) केन्द्रो का चयन हो चुका है। 105 ई0जी0एस0 और 56 मकतब मदरसे वर्तमान में संचालित हैं जिनमें निम्नवत् छात्र–छात्राये अध्ययनरत है–

सारणी संख्या–7.6

माडलवार चयनित/संचालित केन्द्रो का नामांकन

माडलका नाम	केन्दो का लक्ष्य	चयनित केन्द्रों की सं0	संचालित केन्द्रों की सं0	नामांकन						
				बालक	बालिका	योग	अनु0जाति	पिंछडी जाति	अन्य	विशेष विवरण
ई0जी0एस0	115	115	105	2065	2050	4115	1350	2075	690	
वै0शि0केंद (मकतब)	85	85	56	1391	1063	2454	–	–	2454 सभीअल्पसंख्यक	
ब्रिज कोर्स कैम्प										

!–वि0द्वारा प्रस्तावित	75	57	–	–	–	–	–	–	–	–
2–एन0जी0ओ0द्वारा	02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ए0आई0ई0 (जूनियरस्तर)	14	–	–	–	–	–	–	–	–	एन0जी0ओ0द्वारा0 संचालन प्रस्तावित
योग–	291	257	161	2456	3113	6569	1350	2075	3144	

डी0पी0ई0पी के अन्तर्गत संचालित ई0जी0एस0 /वै0शि0 केन्द्रो में पढने वाले बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके शैक्षिक सामग्री तथा साज –सज्जा आदि की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 की ओर से की जाती है।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत दो प्रकार के मॉडल जनपद में संचालित है–

1– ई0जी0एस0(विद्या केन्द्र)

2– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र(मकतब/मदरसे)

1– ई0जी0एस0(विद्या केन्द्र)

ई0जी0एस0 के अन्तर्गत जिन गॉव में 1 किमी की परिधि में परिषदीय विद्यालय नहीं है तथा 6–11 वर्ष के स्कूल न जाने वाले अथवा ड्राप आउट कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध है, विद्या केन्द्र खोले गये है। विद्या केन्द्र पर अध्यापन का

कार्य आचार्य जी करते है। विद्या केन्द्र पर कक्षा–1 एवं 2 की शिक्षा प्रदान की जाती है।

आचार्य जी का चयन ग्राम पंचायत में उपलब्ध हाईस्कूल पास अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। आचार्य जी को ग्राम शिक्षा समिति द्वारा 1000/–रू0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक साज–सज्जा एवं आकस्मिक व्यय की व्यवस्थाः–

विद्या केन्द्रों पर पढने वाले बच्चों को निःशुल्क पाठय पुस्तको तथा शैक्षिक सामग्री का वितरण किया जाता है। केन्द्र को साज–सज्जा एवं उपकरण भी उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके लिए विद्या केन्द्र को 2350 रू0 प्रति केन्द्र साज–सज्जा मद में एवं 450/–रू0 प्रति वर्ष आकस्मिक व्यय मद में दिया जाता हैं। 450/– रू0 में से ही टी0एल0एम0 निर्माण। भी किया जाता है।

2– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र(मकतब/मदरसे)

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के ऐसे बच्चों के लिए जो मकतब/मदरसों केवल दीनीतालीम प्राप्त कर रहे ह और स्कूली शिक्षा से वंचित है, का सुदृढीकरण करके विद्यालयी शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रों का संचालन किया जाता है। इन केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक की विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जाती हैं।

मकतब मदरसे केन्द्रों में छात्र–छात्राओं को पढाने के लिए अनुदेशक का चयन मकतब/मदरसे की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है। मकतब /मदरसों में कार्यरत मौलवी जी को अर्ह होने की देशा में अनुदेशक चयन में प्राथमिकता दी। जाती है। अनुदेशक के लिए न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है। अनुदेशक को 1000/–रू0 प्रति माह मानदेय दिया जाता है।

निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक साज–सज्जा एवं आकस्मिक व्यय की व्यवस्थाः–

विद्या केन्द्रो की भॉति ही वै0शि0 केन्द्रों में पंजीकृत बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य–पाठय पुस्तके एवं शौक्षिक सामगी सुलभ करायी जाती है। केन्द्रों को 2350/ रू0 प्रति केन्द्र की दर से साज–सज्जा मद में एवं 450 रू0 प्रति वर्ष की दर से आकस्मिक व्वयय मद में उपलब्ध करायी जाती है।

विशेष धार्मिक एवं सामिजक प्रथाओं /रीतियों के कारण जो बच्चे विशेषकर लडकियॉ स्कूल नहीं जाती हैं,उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए यह मॉडल अत्यधिक उपयोगी सिद्व हुआ है।

डी0पी 0ई0पी0 के अन्तर्गत योजना के समाप्ति के अन्तर्गत असेवित बस्तियों /ग्रामों में विद्या केन्द्रों की व्यवस्था कर दी जायेगी किन्तु डी0 पी0 ई0 पी0 सामाप्ति पर वै0 शि0 केन्द्रों का संचालय आगे सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए मकतब मदरसों में संचालित होने वाले वै0शि0 केन्द्रों को ए0आई0ई0 के नाम से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाया जायेगा। ई0जी0एस0 के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों को यथावत संचालित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स,कैम्प, और बैकल्पिक एवंनवाचार शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

ब्रिज कोर्स कैम्प

ड्राप आउट बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोडने के लिए दो प्रकार के ब्रिज कोर्स कैम्प संचालित किये जायेंगे।

1– विभाग द्वारा प्रस्तावित दो माह/छह माह के ब्रिज कोर्स कैम्प।

2– स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा साठ बालिकाओं के लिए छह माह के आवासीय ब्रिज कोर्स कैम्प ।

1– विभाग द्वारा प्रस्तावित दो माह/छह माह के ब्रिज कोर्स कैम्प।

विभाग द्वारा दो/छह माह के ब्रिज कोर्स कैम्प न्याय पंचायत के ऐसे असेवित ग्रामों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। जॅहा स्कूल से बाहर /ड्राप आउट 50 बच्चे उपलब्ध है तथा न्याय पंचायत के अन्य ग्रामो से भी चयनित ग्राम में आसानी से पहुॅच सकते है।

50 बच्चों के लिए आयोजित किये जा रहे इन कैम्पों ने दो अनुदेशकों का चयन किया जायेगा जो हाई स्कूल उत्तीर्ण होंगे तथा जो स्थानीय व्यक्ति होंगे यथासम्भव एक महिला अनुदेशक का चयन किया जायेगा ।इन कैम्पो मे 6–14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले/ड्राप आउट बच्चों दो/छह माह तक शिक्षित करके निकटतम् विद्या–लयों/विद्याकेन्द्रो/वै0शि0 केन्द्रों में नामांकित कराया जायेगा।अनुदेशक का चयन एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 और ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 की समिति द्वारा किया जायेगा।

2– स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा साठ बालिकाओं के लिए छह माह के आवासीय ब्रिज कोर्स कैम्पः–

6– 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली अथवा शाला त्यागी 60 बालिकाओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जनपद में दो आवासीय ब्रिज कोर्स कैम्प चलाया जाना प्रस्तावित है। छह माह के बाद इन बालिकाओं को स्वयंसेवी संस्था द्वारा स्कूलों में पंजीकृत कराकर स्कूलों में जोडा जायेगा।ये ब्रिज कोर्स कैम्प ख्यातिप्राप्त एवं प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कराये जायेंगे जिनको सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1,80,000/– रू0 प्रति कैम्प की दर से धनराशि मुहैया कराई जायेगी।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र(ए0आई0ई0)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 11–14 वर्ष के बच्चों के लिए जूनियर हाई स्कूल के वैकल्पिक एवं नवाचार(ए0आई0ई0)केन्द्र खोले जायेगे। इनमें बच्चों को जूनियर स्तर की कक्षा–6,7,8 की विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जायेगी।

ए0आई0ई0 केन्द्रों में स्नातक योग्यताधारी अनुदेशक रखा जायेगा। जिसकी न्यूनतम् आयु 21 वर्ष होंनी चाहिए। जनपद रामपुर में 14 ए0आई0ई0(जूनियर स्तर)खोलने का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। इन केन्द्रों को स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर नवाचार शिक्षा की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है–

1– बाल श्रमिक

नगर क्षेत्र रामपुर में 6–14 वर्ष के काफी अधिक संख्या में बच्चे विशेषकर बालिकायें पेंचवर्क,बीडी बनाने का कार्य, कार चोप का कार्य तथा दुकानों पर मजदूरी करने का कार्य करते है। श्रमविभाग द्वारा अभी तक ऐसे 383 बच्चों को चिन्हित् कर सूची कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। किन्तु ऐसे बालश्रमिकों की सख्या लगभग 800 बतायी जाती है। इनके अतिरिक्त कुछ बच्चे एसे भी हैं जो भट्टो आदि पर कार्य करते है ।

उपरोक्त चिन्हित 383 बालश्रमिकों में से 276 बालश्रमिकों को प्रेरित करके विद्यालयों में भर्ती करा दिया गया है। शेष 107 बालश्रमिकों के लिए नगर क्षेत्र में छह माह की गैरआवासीय ब्रिज कोर्स कैम्प चलाया जाना प्रस्तावित है। नगर क्षेत्र में ही श्रम विभाग द्वारा चिन्हित बच्चों के अतिरिक्त उपरोक्त कार्यो में लगे हुए अनेक बच्चे विभिन्न वार्ड में उपलब्ध हैं। इनके लिए भी छह माह के गैरआवासीय ब्रिज कोर्स कैमों की व्यव–स्था प्रस्तावित हैं

2– विद्यालय का अधिक दूरी पर होना–:

जो बस्तिया/गॉव/मजरे विद्यालय से 1 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित हैं तथा जॅहा मानक के अनुरूप स्कूल खोला जाना सम्भव नहीं है और जॅहा 6–11 वर्ष के स्कूल से बाहर कम से कम 30 बच्चे उपल ब्ध है। ऐसी बस्तियों में ई0जी0एस0 /ए0आई0ई0/ब्रिजकोर्स कैम्प आवश्यकता एवं मानक के आधार पर खोले जायेगें।

3– आर्थिक कारण :

जनपद के जो बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नही जाते है अथवा अभिभावकों के कार्यो अथवा व्यवसाय में सहयोग करते है एसे बच्चों के लिए भी वैकल्पिक शिक्षा/ब्रिज कोर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्थ की जा–येगी। जनपद कुछ बस्तियॉं/ग्राम/मजरे ऐसे हैं जो प्राकृतिक आपदा जैसे–नदी आदि के कटान, से अलग थलग पड गये है और उसमें रहने वाले बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है,में भी शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी

सामाजिक रूढिया :-

सह शिक्षा के कारण उम्र में अधिक लडकियों को उनके माता–पिता सामाजिक रूढियों की वजह से विद्यायल नही भेजते है। एसे सीनों पर भी वै0शि0. केन्द्र खोले जायेगे तथा महिला को शिक्षण हेतु नियक्ति किया जायेगा।

विद्यालय से बाहर(स्कूल न जाने वाले अथवा शाल त्यागी) बच्चों के लिए शिक्षा की रणनीति–:

स्कूल से बाहर तथा शाला त्यागी बच्चों को ई0जी0एस0/वै0शि0 अथव ब्रिज कोर्स कैम्प के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा से जोडा जायेगा। रामपुर जनपद में 5 तहसीले एवं 6 ब्लाक है–स्वार,शाहबाद,बिलासपुर आदि लगभग सभी ब्लाकों में अनेक क्षेत्र एसे है बरसात में नदियों के कारण अलग–थलग पड जाते है। नदियो के कटान के कारण ग्राम/बस्तियों की आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवजन कर जाती है। भौगोलिके कारणो से एसे स्थानों तथा दुर्गम सीनो पर बसे हुऐ ग्रामों,मजरो,बस्तियों के लिए हमे विशेष प्रकार की वै0शि0 केन्द्र,ब्रिजकोर्स चलाकर 6–11 वर्ष के बच्चो की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी ।

1– ई0जी0एस0/विद्या केन्द्र–:

ऐसी असेवित बस्तियों/ग्रामों/मजरों में जॅहा एक किमी की परिधि में कोई परिषदीय विद्यालय नही है तथा जॅहा 6–11 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हैं, में ई0जी0एस0 के अन्तर्गत विद्या केन्द्र खोले जायेगे।

ई0जी0एस0 के अन्तर्गत खोले जाने वाले विद्या केन्द्रो पर बच्चो के बैठने के लिए स्थान एवं पीने के लिए पानी की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की जायेगी।ई0जी0एस0 केन्द्रो पर रखे जाने वाले आचार्य जी का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा हाईस्कूल के परीक्षा के मेरिट के आधार पर स्थानीय हाईस्कूल पास उप-लब्ध आवेदकों में से किया जायेगा। आचार्य जी को 1000/-रू0प्रति माह मानदेय दिया जायेगा। 45 से अधिक संख्या पर एक अतिरिक्त आचार्य जी रखा जायेगा। दो आचार्य जी की स्थिति में कम से कम एक महिला रखी जायेगी।

2- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र(कमतब मदरसा)

जनपद में मुस्लिम आबादी लगभग 50 प्रति0 है। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा का बहुत प्रचलन है। पढे लिखे,सम्पन्न परिवारोंमें भी इस प्रथा का अनिवार्य रूप से अनुकरण किया जाता है। यहॉ तक कि डिग्री कालेज में कार्यरत महिला प्रवक्ताऐं भी कालेज परिसर से बाहर अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन करती है। एम0एल0ए0 एवं एम0पी0 के परिवारों तथा उच्च सेवा में कार्यरत महिलाऍ भी पर्दा प्रथा से मुक्त नहीं है। मध्य एवं निम्न गरीब परिवारों मे तो इस प्रथा की अनिवार्यता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जनपद में दीनीतालीम देने के लिए बहुतायत में मकतब मदरसे संचालित है। इन मकतब मदरसों में धार्मिक शिक्षा अधिकांश बच्चों अधिकतर बालिकाओं को अनिवार्य रूप से दी जाती है। किन्तु विद्यालयी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः अनेक रूढिवादी परम्पराओं में जकडे समाज के गरीब तबके के लिए मकतब मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलकर इन बच्चो को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना होगा।

3– दीर्घकालीन बालिका ब्रिज कोर्स कैम्प/ग्रीष्म कालीन शिविर

समाज में बालिका शिक्षा पर कोई महत्व नहीं दिया जाता है । माता–पिता की लडकी की शादी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते है। कृषि प्रधान परिवारों में परिवार के अधिकांश सदस्य कृषि करते हेअथवा कृषि कार्य में सहयोग करते हैं किन्तु 9–14 वर्ष की बालिकायें /किशोरियॉ घर पर की कार्य देखती हैं, छोटे भाई बहनों की देखभाल कर उत्तरदायी निभाती हैं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन का प्रशिक्षण ही उनके लिए आवश्यक है। उससे उन्हे मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस उम्र की अधिकांश लडकियों के लिए विशेषप्रकार के आवासीय अथवा गैर आवासीय जैसा उसस समाज को स्वीकार हो ,शिविरो की व्यवस्था करनी होगी। इन शिविरों में लडकियॉ न सिर्फ स्कूलों के समकक्ष समतायें अर्जित कर सकती हैं बल्कि जीवनकौशल जैसे– वैवाहिक जीवन सम्बन्धी स्वास्थ्य,कानून अधिकारी के प्रति सजगता आदि भी सीख सकती हैं । बालिकाओं को इन शिविरों के प्रति आकार्षित करने के लिए इन केन्द्र पर कढाई–बुनाई तथा सिलाई आदि की व्यवस्था करनी होगी। इन शिविरों की अवधि 4 से लेकर 18 माह तक आवश्यकता के अनुसार हो सकती है। दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन बालिका शिविरों का आयोजना भी 9–14 वर्ष की ऐसी बालिकाओं के लिए किया जाना उपयोगी होगा ।

इन वर्ष जनपद में 25 ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से लगभग 1000 बालिकाओं को केवल 10 दिन की अवधि में शिक्षा की मुख्यधारा से जोडा गया। यह कैम्प विशेष सफल एवं प्रभावी रहे अतः भविष्य में 10 दिव–सीय ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन करके 9–14 वर्ष कीविद्यायल से बाहर बालिकाओं को विद्यालयों में लाया जायेगा।

4– दीर्घकालीन ब्रिज कोर्स कैम्प

रामपुर में निर्धारक्षता एवं गरीबी बहुत हैं जिसके कारण बच्चों को जीविकोर्पाजन करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करने को विवश होना पडता है। रामपुर में प्रमुख व्यवसाय /उद्योगों में कृषि,पेचवर्क,जरी का कार्य , बीडी फैक्ट्री, टोपी एवं चाकू निर्माण आदि प्रमुख है। जिनमें बच्च अधिक संख्या में कार्य करते हैं । अनेक बच्चे साईकिल , मोटरसाईकिल,कार,बढई,टेलर आदि की दुकानों पर जिविकोपार्जन के लिए अथवा कोई न कोई हुनर्स सीखने के लिए कार्य करते है। उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं हें । अतः ऐसे बच्चों की विषम पारिवारिक ,सामाजिक तथा अर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

रामपुर जनपद में 75 छह माह के ब्रिज कोर्स डी0पी0ई0पी0 द्वारा संचालित किये जायेगे एवं दो कैंप स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 6–14 वर्ष की बालिकाओं के लिए संचालित किये जायेंगे । जिनमे क्रमशः 3750 एवं 120 बच्चों /बालिकाओं को नामांकित कर शिक्षा के मुख्यधारा में लाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के अन्तर्गत जनपद मे छह माह के साज ब्रिज कोर्स कैम्प अनु0 जाति के 9–14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रस्तावित है।इना कैम्पों के माध्यम से कुल 280 बच्चों को शिक्षा के मख्य धारा से जोडा जोयेगा।

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना :–

इस योजना को मुख्य रूप से तीन भागों में बॉटा गया है।

1 ब्रिज कोर्स व ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।

2 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा प्रदान करना।

3 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार एवं प्रयोगात्मक योजना।

लक्ष्य :–

शिक्षा गारन्टी योजना एवं नवाचार शिक्षा योजना का लक्ष्य समूह 6–11 वर्ष के बालक / बालिकाओं का है। इस योजना के अन्तर्गत 6–8 वर्ष के बच्चों की विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा तथा 9–14 वर्ष के बच्चे जो पूर्व में विद्यालय छोड चुके हैं या विद्यालय में कभी पंजीकृत नहीं हुये हैं अथवा बाल श्रमिक घूमन्तु बच्चों को ग्रीष्माकालीन शिविर , ब्रिज कोर्स कैम्पों के माध्यम से मुख्य धारा से जोडा जायेगा तथा औपचारिक विद्यालयों में कभी भी किसी भी कक्षा में इसके लिये बच्चे उपयुक्त योग्य हों, मे प्रवेश दिलाया जायेगा

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो का मानक :–

ऐसी असेवित बस्तियॉ जहॉ एक कि0मी0 की परिधि में विद्यालय नहीं हैं तथा 6–1 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 30 हो, वहॉ कक्षा–1 व कक्षा–2 की शिक्षा के लिये ई0जी0एस0 केन्द्र खोल जायेगे। जहॉ पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले गये हैं वहॉ पर ए0आई0ई0 केन्द्र नहीं खोले जायेगे।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना :–

यह कार्यक्रम शाला त्यागी होने के कारण फलस्वरूप अधिक आयु होने के कारण मनोवैज्ञानिक दबाव होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर महिलायें , बाल श्रमिक को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के लिये वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों जैसे ग्रीष्मकालीन शिविर, दीर्घ कालीन शिविर, ब्रिज कोर्स का आयोजन / वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को मुख्य धारा से जोडा जायेगा तथा मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतब / मदरसों में बालक / बालिकाओं को गुणात्मकपरक शिक्षा देने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में भी ए0आई0ई योजना की व्यवस्था की जायेगी।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के मानक :–

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के अन्तग्रत झुग्गी/झोपडी, मलिन बस्तियों, बाल श्रमिको से आच्छादित बस्तियों आदि जहॉ पर 9–14 आयु वर्ग के शाला त्यागी एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होगे, यह केन्द्र स्थापित किये जायेगे। इन केन्द्रों में किसी भी समय बच्चों का प्रवेश लिया जा सकेगा। इन केन्द्रों में विभिन्न कक्षाओं की पढाई पूर्ण करके जिस स्तर के बच्चे होगे उनको कभी भी किसी भी समय कक्षा में प्रवेश दिलाया जायेगा।

ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर :–

इस कार्यक्रम में सडक एवं प्लेटफार्म , मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तु बच्चों, नौकरी पेशा एवं कारीगरी करने वाले बच्चों , बाल श्रमिक , खतरनाक उद्योगों में लगे जिन्हें आयु 9–14 वर्ष की है। ग्रीष्मकालीन शिविर में शामिल किये जायेगें।

इन ब्रिज कोर्स / ग्रीष्माकालीन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित बच्चों को, औपचारिक विद्यालयों में लाये जाने का प्रयास किया जा रहा हैं

शिविर की अवधि :–

शिविर की अवधि आवश्यकतानुसार 4–18 माह तक की हो सकती है तथा न्यूनतम 50 बच्चे एक शिविर में सम्मिलित किये जायेगे। शिविर आवासी होगी तथा शिविर ऐसे स्थानों पर लगाये जायेगे जहॉ सुरक्षा की दृष्टि से स्थान उपयुक्त हो। इन शिविरों में बच्चों के रहने खाने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत एक केयर टेकर और एक पैरा टीचर उसमें एक महिला होगी एवं एक कुक एवं एक चौकीदार होगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार ब्रिज कोर्स कार्यक्रमों की नियोजन प्रकिया :–

जनपद रामपुर मे वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचारकेन्द्र तथा ब्रिजकोर्स के निर्धारण के लिये जनपद में चल रहे डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत की गयी माइक्राप्लानिगं के आंकडों का प्रयोग किया गया है। यह माइक्रोप्लानिंग प्रत्येक वर्ष करायी जायेगी।

शिविरों के प्रस्ताव का अनुमोदन :–

वैकल्पिक एवं नवाचारशिक्षा केन्द्रो में प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम माइक्रोप्लानिंग के आंकडों के आधार पर पात्रता का विश्लेषण करने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति अपना प्रस्ताव विकास खण्ड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष बी.डी0ओ0 एवं सचिव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी होगें। इस समिति मे विकास खण्ड का ग्राम प्रधान एवं एक वरिष्ठ प्रधान अ ध्यापक सदस्य होगें। प्रस्ताव की समीक्षा कर अपनी संस्तुति सहित प्रस्तावों को जिला शिक्षा समिति के सचिव को भेज देगे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला प्राथमिक शिक्षासलाहकार समिति का गठन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को स्वीकृत करने एवं कार्यक्रम / अभियान के संचालन का दायित्व इसी समिति का होगा।

यह समिति निम्नवत् होगी :–

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
प्राचार्य ,डायट	सदस्य
जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य
कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

स्वैच्छिक संगठनों के दो जिला अधिकारी
द्वारा नामित दो प्रतिनिधि सदस्य

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के मुख्य कर्तव्य एवं दायित्व :–

जनपद में सफल ई0 जी0एस0 / ए0 आई 0ई0 संचालन हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित हैं।

शिक्षा गारन्टी / वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर प्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताओं को ग्राम / विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रति माह समीक्षा करना एवं केन्द्र / ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मा कालीन क्षेविशिष्ट सेमीनार / शिविर के प्रस्तावों को स्टेट सोसाईटी को प्रस्तुत करना।

कार्यक्रमों का कियान्वयन करना ।

अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर कोनवर्जेन्स का संचालन करना।

कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं शिक्षण काग्रक्रम / कार्यशालाओं काआयोजन करना।

स्टेट सोसाईटी द्वारा उपलब्ध कराई गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रम से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

असेवित बस्तियों एवं शालात्यागी छात्र / छात्राओं के लिये शिक्षा गारन्टी केन्द्र वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणबद्ध रूप से खोले जाने की व्यवस्था करना।

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय विशेष परिस्थितयों को छोडकर केन्द्रो के संचालन का समय देर शाम एवं रात में नहीं रखा जायेगा। यह केन्द्र प्रतिदिन चार घन्टे संचालित किये जायेगे।

अनुदेशक चयन :–

अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुंदाय का होगा जहॉ पर शिक्षा गारंटी केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा कन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुंल निकट के गॉव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाई स्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। ततपश्चात अनुदेशक को आमंत्रण प्त्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का काग्र सन्तोष जनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2 / 3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जोने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड व नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक , शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब / मदरसों में शिक्षण काय्र करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक आर्हता रखने वाले तथा शिक्षण करने के इच्छुक होने की स्थित में मकतब / मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रो को प्राथमिकता दी जायेगी। सम्बनिधत मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतब में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूपमें चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमत्रिंत किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय के अनुदेशक की आवश्य कता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो। ग्राम शिक्षा समिति से सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन प्त्रों का विशलेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनाई जायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रो के लिये अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी जहॉ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहॉ पर इन्टरमीडियट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन कियाजा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध मे अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण :–

अनुदेशक का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिर्सोस सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा । प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उायट के प्रवक्ताओं / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / एस0डी0आई0 / ब्लाक प्रोग्राम आधिकारी, ब्लाक रिर्सोस पर्सन तथा योग्य अध्यापक द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु 15000 प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशकों को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देये नही होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण :–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि 1000/– प्रति अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह मे अनिवार्य रूप से उपलबध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छः माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र मे संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर / प्रोग्राम अधिकारी /प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सुयुक्त रूप से अनुदेशक के सन्तोषजनक कार्य किये जाने पर किये जायेगें। इस प्रकार की धनराशि काय्रक्रम से सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। यह धनराशि नगर क्षेत्र के सम्बन्धित सभासद / प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जायेगी । तत्पश्चात चेक द्वारा अनुदेशके को भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण :–

शिक्षा गारन्टी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 / ब्लाक रिसोर्स पर्सन / ब्लाक रिसोर्स सेन्टर / एन0 पी0आर0 सी0 केन्द्रो के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक / नगर प्रोग्राम अधिकारी / नगर रिसोर्स पर्सन / सहायक शिक्षा अधीक्षक / जनपद नगरीय अधिकारियों किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी / बी0आर0सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशक की वार्षिक बैठके भी ली जायेगी। जिसमें बलाक अधिकारी / रिसोर्स पर्सन / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी / उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय –समय पर इन बैठकों मे अनुश्रवण करेगें। निकटस्थ प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों का भी कर्तव्य हागा कि वे लगातार इन केन्द्रो कापर्यवेक्षण करते रहेगें। न केवल ग्राम शिक्षा समिति / विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेगे।

ग्राम अशिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय–समय पर अपने सुझाव अनुदेशक / अनुदेशिका को देगी। डायट में डी0आर0यू0 प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ सभी अभीकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेगें। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर / प्रणालियों द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके केन्द्र अनुदेशकों को सामग्री उपलब्ध कराई जाईगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद, रूपया 845/– प्रति प्राथमिक तथा रूपया 1200/– प्रति उच्च प्राथमिक केन्द्र की दर से दिया जायेगा। शिक्षण सामग्री मद का 5 प्र0 राज्य / जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा। शिक्षा गारन्टी / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा केन्द्र पाठय पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेगी।

छात्र / छात्रओं का मूल्यांकन :–

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक शिक्षा गारन्टी केनद्रो में प्ढने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्याकंन किया जायेगा। इसके लिये अनुदेशक द्वारा नियमित दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही /छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। साथ ही यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में प्ढने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र अनौपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो, वह भी समय से प्रवेश पा सके अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर प्ढने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा मे प्रवेश पाते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति / विकासखण्उ स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जोयगा। अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यवहारिक स्तर में आय सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा।

केन्द्रो में अध्ययनरत बच्चे जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठयक्रम पूण्र कर लेगे, उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद , उ0प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा कराई जायेगी।

प्रबन्धक लागत :–

उक्त केन्द्रो की अधिकतम लागत में 5 प्रति0 राज्य एवं जिला / विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक / प्रबन्धन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी:-

80–100 केन्द्रों के मध्य	2.50 लाख रूप्या प्रति वर्ष
50–80 केन्द्रो के मध्य	2 लाख रू0 प्रति वर्ष
25–50 केन्द्रो के मध्य	1 लाख रू0 प्रति वर्ष
25 केन्द्रो से कम	100 रू0 प्रति छात्र / छात्रा प्रति वर्ष

ब्रिजकोर्स / ग्रीष्मकालीन / क्षेत्र आधारित कोर्स :-

ब्रिजकोर्स / ग्रीष्मकालीन / क्षेत्र आधारित शिविर सडक, प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों , दुकानों , घुमन्तु बच्चों, नौकरी पेशा , कुलीगीरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिको / खतरे में उद्योगों में लगे बच्चे जिनकी आयु 9–14 है, के लिये ब्रिजकोस्र / ग्रीष्मकालीन / क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेगे।

यह ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन / क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों का मुख्य उददेश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक ब्रिजकोर्स. ग्रीष्मकालीन, क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों मे। 9–14 वर्ष तक के न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जोयेगे तथा यह शिविर आवासीय होगें। इन शिविरों में बच्चों के रहने , खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवथा निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिजकोर्स / शिविरो के लिये एक केयर टेकर, 2 पैरा टीचर एक रसोईया, एक

चौकीदार की आवश्यकता होगी और इनका चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जिसके लिये जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर / अनुदेशक के व्यवस्था छात्र / छात्रओं के लिये निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिये वित्तयी मानक प्राईमरी एवं अपर प्राईमरी की भॉति रखी जायेगी । केवल आवासीय व्यवस्था, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज सज्जा आदि के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था मे ग्राम पंचायत / ग्राम शिक्षा समिति / जन समुदाय का सहयोग / कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिजकोर्स खोलने हेतुं उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहॉ पर निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिजकोस विकास खण्ड / जनपद मुख्यालय में स्थापित हो।

ब्रिजकोर्स का संचालन ग्रामीण / नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाये तो उस क्षेत्र / स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी। ब्रिजकोर्स / शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी। इस हेतु रूप्ये 3000/– प्रति छात्र / छात्रा धनराशि अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

विकलॉग बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

जनपद रामपुर में न पढने वाले विकलॉग बच्चों की संख्या है। इन बच्चों का विकास खण्डवार चिन्हाकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई0जी0ए0 / ए0आई0ई0 केन्द्रो की स्थापना की जायेगी।

विकलॉग बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है। इसमकें न्यूनतम छात्र संख्या 15 से कम भी कम किये जोने का प्रस्ताव है। इस ग्राम/ बस्ती / मजरे / टोले / मुहल्ले में विकलॉग बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्र संख्या एवं पूर्व में पूरी छूट दी जाये। कोई भी विकलॉग शिक्षा से वंचित न रह जाये इस बात का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। चलने में यदि असमर्थ हैं तो उसके धर पर केन्द्र खोला जायेगा अथवा साईकिल अथवा बैसाखी उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :–

जिन ग्रामों / बस्तियों / मजरों / टोलों / मुहल्लो में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगे तव महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता , कला जत्था, महिला मंगल दल, मॉ बेटी मेला , किशोरी संघ आदि के सहयोग से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा मे रूचि को बढाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनतम के आधार पर ब्लाकों में बालिका शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जायेगें।

अल्पसंख्यकों के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :-

जनपद का अधिकांश 6-14 आयु वर्ग का निरक्षर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है। जो केवल मकतब मे धार्मिक शिक्षा अनुग्रहण करता है। इस कार्यक्रम में मकतबों मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें तथा इन मकतबों / मदरसों में उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाई स्कूल उत्तीर्ण है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर अनुदेशक के रूप में चिन्हित किया जायेगा और वहॉ पर निःशुल्क शिक्षा की पाठय पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा।

रणनीति

सारणी संख्या–7.7

स्कूल से बाहर बच्चों क ब्लाक वार विवरण(31–7–2003की स्थिति)

स्कूल से बाहर बच्चों का आयुवार विवरण

	5+से 11वर्ष			11+से 14वर्ष			योग(5+से 14 तक)		
ब्लाक का नाम	वालक	वालिका	योग	वालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
स्वार	1058	611	1669	695	1877	2772	1953	2488	4441
सैदनगर	363	340	703	146	304	450	509	644	1153
चमरौआ	48	138	186	698	672	1370	746	810	1556
बिलासपुर	589	543	1132	168	163	331	757	706	1463
मिलक	219	199	418	63	63	126	282	262	544
शाहबाद	153	61	214	429	1045	1474	582	1106	1688
नगर क्षेत्र	897	368	1265	132	337	469	1029	705	1734
योग–	3327	2260	5587	2331	4461	6992	5858	6721	12579

कुल 12579 स्कूल से बाहर बच्चों मे से 3750 को 2/6 माह के ग्रैर आवासीय ब्रिज कोर्स कैम्पों द्वारा,120 बच्चों को एन0जी0ओ0 संचालित 6 माह के दो आवासीय ब्रिज कोर्स कैम्पो द्वारा , 280 बच्चों को गैरआवासीय 6 माह के (एस0सी0) कैम्पों द्वारा,लगभग 1450 बच्चों को नवीन संचालित होने वाले ई0जी0एस0/ए0एस0 केन्द्रों के द्वारा तथा लगभग 1000 बालिकाओं ग्रीष्म कालीन शिविरां द्वारा,280 बच्चो को ए0आई0केन्द्रो द्वारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोडकर प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस प्रकार कुल 6880 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा।

प्रस्तावित ब्रिज कोर्स कैम्प वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो की आवश्यकता का ब्लाकवार विवरण–:

कुल 12579 स्कूल से बाहर बच्चों में से 6880 को ई0जी0एस0/आई0ए0एस/ ब्रिज कोर्स कैम्प/ग्रीष्म कालीन शिविर /आवासीय ब्रिज कोर्स कैम्पो/ए0आई0ई0 केन्द्रो के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में जोडा जाना प्रस्तावित करने के बाद शेष बचे कुल 5699 बच्चों का ब्लाक वार बच्चों का विवरण एव् केन्द्रो की आवश्यकता निम्नवत् होगी।

सारणी संख्या–7.9

स्कूल से बाहर अवशेष बच्चों की संख्या एवं केन्द्रो की आवश्यकता

ब्लाक का नाम	स्कूल से बाहर बच्चो की संख्या 9से14वर्ष	प्रस्तावित केन्द्रो/शिविरों का प्रकार एवं संख्या		
		ग्रीष्म कालीन शिविर	ब्रिजकोर्स कैम्प (2 माह)	ए0आई0ई0 (उ0प्रा0)
स्वार	2741	13	15	3
सैदनगर	433	8	10	2
चमरौआ	766	10	10	1
बिलासपुर	523	7	10	3
मिलक	4	–	15	–
शाहबाद	408	8	6	6
नगरक्षे.त्र	814	14	9	–

योग–		5689	60		75	15

क0सं0	गतिविधि	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
1	ग्री0का0शि0	60	60	60	60	60
2	ब्रि0कोर्स	75	75	75	75	75
3	ए0आई0ई0	0	14	15	0	0

6–9 वर्ष के बच्चों नामांकित हो चुके है। 9–11 वर्ष के शेष 5689 बच्चों में से अधिकांश बच्चों को केन्द्रों अथवा विद्यालयों में दिसम्बर,2003 तक भर्ती कर दिया जायेगा। 11–14 वर्ष के बच्चों के लिए जूनियर स्तर के ए0आई0ई0 केन्द्र तथा शाला त्या गी बच्चों के लिए 30 ग्रीष्म कालीन शिविर (10) दिवसीय तथा 75 ब्रिज कोर्स कैम्प (2/6 माह के) प्रस्तावित किये जा रहे है।

इस वर्ष जनपद 92 प्राथमिक एवं 66 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत होने के फलस्वरूप अगले वर्ष 115 विद्या केन्द्रो में से लगभग 50 विद्या केन्द्र बन्द हो जायेगे। उनके स्थान पर यदि आवश्यकता होगी तो नवीन स्थलों पर विद्या केन्द्र स्थापित किये जायगे जनपद को ई0जी0.एस0 केन्द्रों की आवश्यकता नहीं होगी।

सारणी संख्या 7.10

प्रस्तावित ग्रीष्म कालीन शिविरों ब्रिज कोर्स कैम्पों,ए0आई0ई0 केन्द्रो आदि का ब्लाकवार एवं माडलवार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु विवरण।

क0सं0.	ब्लाक का नाम	प्रस्तावित केन्द्रो /शिविरों का प्रकार एवं स्तर(जूनि0/प्रा0) प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु		उच्च प्रा0स्तर की शिक्षा हेतु		
		शाला त्यागी बच्चों हेतु ग्रीष्म कालीन शिविरों की संख्या	शाला त्यागी बच्चों हेतु बिज्र कोर्स (2/6माह) के शिविर		ए0आई0ई0 केन्द्रो की संख्या	
1	स्वार	9	15		3	
2	सैदनगर	2	10		2	
3	चमरौआ	5	10		1	
4	शाहबाद	5	6		6	
5	बिलासपुर	2	10		3	
6	मिलक	5	15		–	
7	नगर क्षेत्र	2	9		–	
	योग–	30	75		15	

सारणी संख्या–7.11

जूनियर स्तर के वे0 शि0 केन्द्र (ए0आई0ई0) हेतु असेवित ग्रामो

की ब्लाक वार सूची जनपद– रामपुर

क0सं0	असेवित ग्राम का नाम	उच्च प्रा0 से दूरी	आबादी	ब्लाक का नाम
1	औरंगनगरखेडा	3.5 किमी0	650	बिलासपुर
2	बदनपुर	3.25किमी0	780	बिलासपुर
3	हजरतपुर	3.25किमी0	650	बिलासपुर
4	रूस्तमनगर नि0रायपुर	3 किमी0	700	स्वार
5	शिवनगर नि0असालपुर	3 किमी0	600	स्वार
6	पीपलीनायक	2.5 कमी0	650	स्वार
7	कजरहाई	3 किमी0	625	चमरौआ
8	रूपपुर	3.5 किमी0	500	शाहबाद
9	दरखेडा	3 किमी0	450	शाहबाद
10	रायपुर	3 किमी0	500	शाहबाद
11	नवाबपुरा	3.25किमी0	450	शाहबाद
12	टुकुरिया	3 किमी0	425	शाहबाद
13	मियागंज	3 किमी0	350	शाहबाद
14	बेदूखेडा	3 किमी0	600	सैदनगर
15	बेनजीर	3 किमी0	900	सैदनगर

विशिष्ट बर्ग के बच्चो के लिए समेकित शिक्षा::–

भारत की लगभग 10 प्रतिशत किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है । शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता है जब तक कि जो बच्चे विकलांग है उनको विद्यालय में न लाय जा सके । बच्चो की विगलांगता का प्रभाव बच्चो के व्यक्तित्व का प्रभावित करता है ।कुछ बच्चे ऐसे होते हैं । जो विकलांग होने के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते है एवं उनमें शिक्षा प्राप्त करने की भावना होती है । लेकिन विकलांग एवं सुविधाओ के अभाव में वह अशिक्षित रह जाते है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चो की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है ।

अक्षमता के प्रकार:–

1– श्रवण सम्बन्धी अक्षमता

2–द्वि टि सम्बन्धी अक्षमता

3–अस्थि सम्बन्धी अक्षमता

4–मानसिक अक्षमता

5– अधिगत अक्षमता

विकलांगता के कारण:–जहॉ तक विकलांगता के शरीर मे जाये जाने का प्रश्न है यह दो प्रकार की होती है।

1– जन्म से :– यह विकलांगता बच्चे में जन्म से पायी जाती है ।

2– जन्म के पश्चात:–यह विकलांगता बच्चे मे जन्म लेने के पश्चात कभी भी हो सकती हे । अकारण विकलांगता जैसे– दुर्घटना के कारण कुछ प्रकरणो मे सह विकलांगता वातावरण एवं रासायनिक प्रभावो से भी हो सकती है । कभी–कभी किसी प्रकार सक्रमण के कारण भी विकलागता द्रष्टिगत होती है विशिष्ट अवश्यकता वाले बच्चो के सामाजिक गतिविधियो मे भाग न ले पाने के कारण उनमें आत्मनिर्भरता में कभी भी भावना उत्तरदायित्व निर्वाहन क्षमता का अभाव जैसी भी परिस्थितियॉ परिलक्षित होती हैं। जिस कारण अपने आपको समाज में उपेक्षित महसूस करते है जो उनके मानसिक विकास को ऋणात्मक रूप में प्रभावित करते हैं। वस्तुतः सहपाठी, परिवार शिक्षा व समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि इन बच्चों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाये और उन्हें प्रोत्साहित किया जाये। विभिन्न शिक्षक अभिभावक व बुद्धिजीवियों के मतानुसार अक्षम बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिये विशिष्ट तकनीकी एवं विशिष्ट विद्यालयों की आवश्यकता है। परन्तु यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं हमारे प्रयास में कमी अवश्य है। यदि परिवार विद्यालय व समुदाय इन बातों के प्रति ध्यान दे तो विशिष्ट बालकों को शिक्षा ग्रहण करायी जा सकती है। आवश्यकता है इस प्रकार के बच्चों के प्रति सकरात्मक दृष्टिकोण की उचित निर्देशन की सही मार्ग दर्शन की सहानुभूति की उचित परिवेश के पालन पोष्ण की जिससे इस प्रकार के बच्चों के जीवन को सुखमय बनाया जा सके।

जनपद रामपुर में इस वर्ष 2001-2002 में 0 से 14 वय वर्ग चिन्हांकन एंव नामांकन के पश्चात 3153 विकलांग बालकों को चिन्हांकन किया गया जिनमें विकलांग बालकों की संख्या 2100 है जबकि 1050 विकलांग कत्विकाए है। इनमें से 2271 बच्चों को विद्यालय में नामांकित किया गया है।

डी0पी0ई0पी0 योजना में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत किए गए कार्यो का विवरण :-

जनपद में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत दो विकास खण्डों में कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है जो निम्नलिखित है।

(1) **मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण** :- जनपद में चयनित दो विकास खण्ड के लिए पयनित मास्टर ट्रेनर्स की संख्या 9 है जो अमर ज्योति रिटेलविलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर नई दिल्ली एंव उ0प्र0 विकलांग केन्द्र सरल रिसर्च सोसायटी इलाहाबाद में प्रशिक्षित कराये गये है।

(2) **प्रशिक्षण** :- जनपद के दो चयनित विकास खण्ड बिलासपुर एंव सैदनगर में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयो कें शिक्षकों का प्रशिक्षण लगभग पूर्ण हो चुका है। जनपद में चयनित दो विकासखण्ड में 2107 शिक्षा जिनमें 358 शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा चुका है।

(3) **शैक्षिक सामग्री** :- शैक्षिक सामग्री का मुद्रण कराकर सी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 व विद्यालयों मे वितीत कर दिया गया है।

(4) **मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प** :- दोनो चयनित विकास खण्ड में तीन मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प का आयोजन किया गया है जिसमें कुल 442 विकालंग बच्चों का परीक्षण कराया गया है।

(5) **स्वास्थ्य परीक्षण** :- विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने को कार्य प्रगति पर है।

(6) **उपकरण व उपस्कर वितरण** :- मेडिकल एसेसमेन्ट केम्प के द्वारा बच्चों के लिए वाछित उपस्कर एंव उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विकलांग कल्याण विभाग एंव स्वंय सेवी संगठनों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

(7) **समुदाय का सवेंदीकरण एंव मार्ग दर्शन** :- ग्राम पंचायत न्याय पंचायत एंव विकासखण्ड स्तर पर अक्षम बच्चों के सहपाठी, शिक्षकों और अभिभावकों का मार्गदर्शन किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियन के अन्तर्गत विकलांगता बच्चों को शिक्षित करने के लिए समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। एंव शिष्टि आवश्यकता वाले बच्चां को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वंय सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एंव प्रभावी रहता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षार्थ इन संगठनों को प्रत्साहित किया जाएगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम :-

(1) **नामांकन** :-

- सभी अक्षम बच्चों का नामांकन कराकर उनकी 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए छात्रों, उनके सहपाठी उनके परिवार एंव समुदाय का संवेदीकरण एंव मार्गदर्शन किया जाना प्रस्तावित है इस के लिए वातावरण सृजन संगोष्ठी का आयोजन न्याय पंचायत, विकास खण्ड एंव जिला स्तर पर किया जाएगा। इस संगोष्ठी के माध्यम से अक्षम बच्चों को शिक्षित करने पर ध्यान, सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओ, उपस्कर एंव उपकरण उचित ढंग से प्रयोग एंव रखरखाव की जानकारी प्रदान की जाएगी।

- सभी नामांकित विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों सी0सी0डब्ल्यू (एन0) का मेडिकल ऐसेसमेन्ट जनपद में समस्त न्याय पंचायत स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। एक आई स्पेशलिस्ट एक ई0एन0टी0 सर्जन, एक आर्थोपेडिक सर्जन एंव एक साइक्लोजिस्ट की टीम द्वारा यह कार्य किया जाएगा इस कैम्प के द्वारा अक्षम बच्चों की विकलांगता का प्रकार प्रतिशत एंव उनके लिए आवश्यक उपकरण का निर्धारण किया जाएगा एंव विकलांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- समाज कल्याण विकलांग कल्याण विभाग एंव स्वंय सेवी संगठनों के माध्यम से समस्त जनपद में उपकरण वितरण शिविर लगाकर चिन्हित विकलांग बच्चों को उपस्कर एंव उपकरण उपलब्ध करया जाना प्रस्तावित है। इस के लिए जिला परियोजना कार्यलय भी अतिरिक्त बजट द्वारा प्रयास करेगा।
- जनपद के समस्त प्राथमिक शिक्षकों को समेकिता शिक्षा का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना प्रस्तावित है। जिससे वे अक्षम छात्रो/छात्राओं की समस्याओं और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में जान सके एंव उपयुक्त शिक्षण विधियों के द्वारा उनका शैक्षिक स्तर उन्नत कर सकें।
- जनपद स्तर पर दो काउन्सलर्स तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर काउन्सलर्स के पद का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य बच्चों उनके परिवार एंव समाज के साथ समन्वय स्थापित करने उन्हे मार्गदर्शन देवो साथ ही साथ उनके दैनिक जीवन में अने वाली कठिनाइयों शारीरिक एंव शैक्षिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके एंव उन्हें शिक्षा प्रदान करा कर समाज की मुख्यधारा मे जोड़ सके। वह यह भी प्रयास करेंगे कि प्रत्येक बच्चें की समस्याओं का निदान हो जाए।

- जनपद स्तर एंव प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की जाएगी। जिसकी सभी प्रकार की विकलांगताओं से सम्बन्धित शैक्षिक सहायक सामग्री उपलब्धता करायी जानी है। इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों के जीवन एंव रहन सहन स्तर को उठाने के लिए अध्यापक मास्टर्स टैक्र्स, अभिभावकों की संगीष्ठि इत्यादि करवा दी जायगी।
- विशिष्टि आवश्यकता वाले बच्चों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सामुदाय का संवेदीकरण एंव मार्ग निर्देशन करने के लिए जनपद की समस्त ग्राम शिखा समिति का प्रशिक्षिण कराया जायगा ताकि ग्रामीण समाज के लोगों को भी समेकित शिक्षा से जोड़ा जा सके परन्तु सामाजिक स्तर पर भी विकलांग बालकों को भावानात्मक समय एंव अनुकूल वातावरण प्रापत हो सके। सभी विकलांग एंव सामान्य बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायगा।
- समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की आवश्यकतानुसार भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। अभिभावक परामर्श केन्द्र - विकलांग बच्चों की आवश्यकतानुसार अभिभावक परामर्श केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।
- स्पेशल कैम्प व वोकेशनल कैम्प-इन कैम्पों में बच्चों का वोकेशनल प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

[illegible]

[illegible] : [illegible]

टोटल डिस्ट्रिक

क्र. सं.	[illegible]	[illegible]			[illegible]								[illegible]						[illegible]							
													[illegible]				[illegible]				[illegible]		[illegible]		अन्य	
		बा.	बा.लि.	कुल	बा.लि.	बा.लि.	बा.	बा.लि.	बा.	बा.लि.	बा.	बा.लि.	बा.	बा.लि.	बा.	बा.लि.	बा.	बा.लि.	बा.	बा.लि.	बा.	बालि.	बा.	बालि.	बा.	बालि
1	S[illegible]hagar	365	16[illegible]	55[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	93	355	56	316	162	42	19	06	03	390	171	13	07	09	00	-	-
2	[illegible]aspur	324	62	486	-	-	-	-	22[illegible]	98	102	64	18[illegible]	87	143	76	13	06	264	143	26	05	2	08	-	-
3	Chamrawa	262	4[illegible]	4[illegible]	-	-	6	3	20[illegible]	2[illegible]	43	15	91	64	53	72	04	03	25[illegible]	142	04	01	0[illegible]	0[illegible]	02	01
4	Milak	40[illegible]	240	649	07	10	26	13	204	184	82	33	284	190	92	27	18	08	279	172	18	13	[illegible]	04	83	43
5	Shahbad	313	142	455	04	[illegible]	09	04	276	123	22	10	243	113	57	20	15	09	276	125	18	06	04	02	-	-
6	Swar	615	582	1197	15[illegible]	8[illegible]	139	[illegible]	2[illegible]	119	221	105	380	160	116	64	84	45	644	30[illegible]	55	28	27	08	-	-
	Total	249	126[illegible]	375[illegible]	167	9[illegible]	222	[illegible]	1476	738	626	315	1795	776	606	277	140	74	2059	1059	134	60	73	28	85	44
					[illegible] 598				3153				2100+1053 = 3153				2491 + 1260 = 3751									
					39[illegible]+207 = 598								2271+3882 = 3153													

S.N.	[illegible] Block	[illegible] Survey [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		Class IV		[illegible]		Total		
			Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys
1	2		3				5		6		7		8		
1.	Saidnagar	104	62	[illegible]	65	45	48	19	51	46	79	36	316	162	478
2.	Bilaspur		[illegible]	28	47	18	32	18	24	12	20	10	181	87	268
3.	Chamrawwa	116	32	27	24	17	21	12	07	09	07	08	91	64	155
4.	Milak		58	44	57	42	76	56	64	35	29	13	284	190	474
5.	Shahbad	142	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	27	62	20	42	20	243	113	356
6.	Swar		48	28	69	78	87	40	78	32	57	12	380	160	540
	Total		301	160	364	187	320	168	276	154	234	87	1495	776	2271
			487		534		488		430		331		2271		

[illegible] INTEGRATED CHILDREN DISABILITY WISE

Name of District : Rampur   Total District

S.No.	Name of Block	No. of Survey Centres							MR				Total		
			Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys
1	2		3		4		5		6		7		8		
1.	Saidnagar	104	[illegible]	02	10	05	295	152	06	03	-	-	316	162	478
2.	Bilaspur			04	18	04	143	77	10	02	-	-	181	87	268
3.	Chamrawwa	118	10	01	02	01	87	56	00	01	01	[illegible]	91	64	155
4.	Milak		18	11	30	15	21[illegible]	140	20	16	14	[illegible]	284	190	474
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97	03	02	-	-	243	[illegible]	3[illegible]6
6	[illegible]		18	08	28	10	307	137	30	05	-	-	380	[illegible]	540
	Total	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	663	69	29	15		1495	776	2271
			198		144		1906		98		2[illegible]		2271		

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के लिये कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अब तक के अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं को प्रवेश दिलाया जा सकता है। लेकिन कई स्थानीय कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ह्रास की समस्या आती है। सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि के लिये आवश्यक प्रयास किये जा रहे है जो निम्नवत् हैं:–

सारणी–8.1

क्रमांक	विवरण(सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उ0प्राथमिक स्तर
1	विद्यालयों का पुर्ननिर्माण	50	0
2	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	1000	34
3	पेयजल सुविधा	–	–
4	शौचालय	100	20
5	चहारदीवारी	0	0
6	साज सज्जा(सौन्दर्यीकरण)	–	–

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की मॉग निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर मॉगी गयी है।

1 एक कक्षीय 06 विद्यालयों में प्रत्येक में दो अतिरिक्त कक्षा–कक्ष।

2 दो कक्षीय 774 विद्यालयों में प्रत्येक में एक अतिरिक्त कक्षा–कक्ष।

योग-- कुल अतिरिक्त कक्षा–कक्ष 781

उपरोक्त में से डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000, 2001–2002 के अन्तर्गत 302 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है। अतः कुल 1000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है।

वर्ष 2005-06 में ...05....... प्राथमिक एवं ...05... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	50	
2005-06	50	
2006-07	—	
योग	100	

कुल लक्ष्य 100 रखा है।

वर्ष	2001–2	2002–03	2003–4	2004–5	2005–6	2006–7	2008–9	2009–10	कुल
अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	–	–	–	500	500	–	–	–	1000

विद्यालयों की भौतिक सुविधायें–

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष 5000/–का अनुदान दिया जायेगा।

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष –जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में एक 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है। इसके बाद सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय चार कक्षीय हो जायेंगे। कक्षा–कक्ष बनवायें जायेंगे।

अतिरिक्त कक्षा

(उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष	2001–2	2002–03	2003–4	2004–5	2005–6	2006–7	2008–9	2009–10	कुल
अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	–	–	–	34	–	–	–	–	34

शौचालय –जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 20 ऐसे हैं जो शौचालय विहीन हैं। 2001–02 ,2003–04 के अन्तर्गत क्रमशः 20 शौचालय निर्माण का लक्ष्य हैं

वर्ष	2001–2	2002–03	2003–4	2004–5	2005–6	2006–7	2008–9	2009–10	कुल
शौचालय –	–	–	–	20	–	–	–	–	20

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयः–

जनपद में - उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सकता । अतः उनके पुनर्निर्माण हेतु 2002–03,2003–04,2004–05 में क्रमशः - - लक्ष्य निर्धारित है।

वर्षवार पुनर्निर्माण (उच्च प्रा0)

वर्ष	2001–2	2002–03	2003–4	2004–5	2005–6	2006–7	2008–9	2009–10	कुल
शौचालय –	–	–	–	–	–	–	–	–	–

पेयजल व्यवस्थाः–

जनपद में २६ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।

जर्जर प्राथमिक विद्यालय

जनपद में ५० प्राथमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में है। इनके पुनर्निर्माण हेतु डी0पी0 ई0पी0 के अन्तर्गत – विद्यालयों का निर्माण और शेष ७ विद्यालयों का निर्माण 2004-05 में कराया जोयगा।

वर्षवार पुनर्निर्माण (उच्च प्राथमिक)

वर्ष	2001–2	2002–03	2003–4	2004–5	2005–6	2006–7	2008–9	2009–10	कुल
भवन	–	–	–	25	25	–	–	–	50

मरम्मत एवं रखरखाव– जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5000/– प्रति की दर से वर्षा में विशेष अनुदान के वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं। जनपद में 105 प्राथमिक तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें लघु मरम्मत की आवश्यकता हैं। लघु मरम्मत

हेतु 20,000/–तथा राजकीय प्राथमिक एवं 32 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य है।उन–की माम्मत हेतु 70,000/–प्रति विद्यालय की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत हेतु जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत के लिए परियोजना कार्यालय अर्ह होगा।

चहारदीवारी

जनपद में 830 प्राथमिक तथा 125 उच्च प्राथमिक विद्यालय चहारदीवारी विहीन है। चार दीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भवन 40,000/–से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत से स्थानीय विकल्पों की वरीयता दी जायेगी।

वर्ष	2001–2	2002–03	2003–4	2004–5	2005–6	2006–7	2008–9	2009–10	कुल
चहारदीवारी निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—

बालिका शिक्षाः–

समुदाय के सभी लोगों के शिक्षित होने से ही देश की उन्नति एवं विकास होता है। भारतीय संविधान के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा 6'14 आयु वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव,धर्म एवं जाति ,लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीडन से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं न संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचनबद्वता का समर्थन किया है, एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आरम्भ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचालित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के अनुसार बदलाव आया है। 1986 में आयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात आरम्भ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महि–

लाओं की समानता के लिये शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने एवं प्राथमिक शिक्षा को उनकी पहुँच में लाने एवं धारण में उगने वाली कठिनाईयों को दूर करने को प्राथमिक की जायेगी एवंउनकी विशेष सहायक सेवा में, समयबद्व लक्ष्य एवं सुचारू अनुश्रवण होगा।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत के विपरीत 39.95 हैं। महिलाओं एवं पुरूषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 54.87 और 75.85 है । अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 27.87 है जो कम है। नामांकन आंकडे न केवल जोडकर व सामाजिक समूहों पर आधारित भिन्नता दिखातें है। अपर्याप्त में पर्याप्त रूप से नगर–ग्रामीण असमानता को भी दर्शाते हैं। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से 44.9 प्रतिशत कक्षा 8 उत्तीर्ण करनेसे पहले ही विद्यालय त्याग देते हैं।उ0 प्र0 में बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1999–2000 से 2001–2002 के मध्य 17 प्रतिशत अंकों की वृद्वि हुई है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण जटिल हैं इनमें संरचनात्मक कारण बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणा और अन्धविश्वास जटिल कारण है। बालिकाओं के लिए शिक्षा की मोम न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है' जबकि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए शैक्षिक सुविधाएं अपर्याप्त है। स्कूल का वातावरण भी ऐसा है जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर पाता और न ही उनकी विशेषताओं को उभारता। विभिन्न कार्यक्रमों मेंउनको घरों में ही रोक किया जाता है जैसे शादी त्योहार मेले आदि। जिनमें सकूल की उपस्थिति में भारी कमी रह जाती है।

1– जागरूकता क्रिया कलापों के द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।

2– जेन्डर सेंवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता एवं सहजता से समझ सके।

3– महिला तथा बालिका शिक्षा पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री एकत्रित करना।

4– शिक्षकों को कक्षा में जेन्डर भेजभाव आधारित किया कलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण माडॅयूल विकसित करना।

5– ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य बैंक केन्द्रो को स्थापित करना।

प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों की बालिकाओं को जोडे रखने की रण नीति से कार्य करना। कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा का महत्व बनाना।

कार्यक्रम–

बालिकाओं की शिक्षा के लिये समुदाय के साथ कार्य करना प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए सामुदायिक –सह भागिता अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कई संगठनात्मक नीतियों का कियान्वयक किया है जिस का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को बढावा देना।

ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला सदस्य के होने का प्रावधान है इसमें एक ग्राम प्रधान,प्रधानाध्यापक,विकलांग अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे का अभिभावक एक सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले का अभिभावक इन पॉचों में से एक का होना आवश्यक हैं।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए सहभागिता–

1– बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागी दारी को बढावा।

2– महिला समूह का संगठन, महिला समाख्या के साथ उनका समन्वय।

3– ग्राम शिक्षा समिति, भावशिक्षक संघ अभिभावक शिक्षा संघ।

4– ग्राम शिक्षा समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व।

5– बालिकाओं की शिक्षा की प्रति प्रशिक्षण की आवश्यकता को बढावा।

मीना अभियान–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति साम0सह0 वचन बद्वता के विकास के लिए मीना कम्पेन नाम एक विशिष्ट योजना का आयोजन किया। इस बन्द संशोधन फिल्म भी ग्रीष्म कालीन शिविर में चलाया गया।

मॉ बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद–

ऐसे गॉव के अन्दर जहॉ शिक्षा दर बालिकाओं की कम पायी जाती है। वहॉ पर मॉ बेटी मेला को लागाया जाता है और इसी मेले के अन्तर्गत सांसदों का आयोजन किया जाता है। इसके कार्यान्वयक में एक वर्ष के अन्दर करीब मॉ–बेटी मेला एवं सांसदों का आयोजन किया गया।

1– बालिकाओं की शिक्षा के विषय में जागरूकता बढाना तथा इसके लिएस सामग्री बॉटना।

2– बालिकाओं की शिक्षा की महत्व के बार में महिलाओं को शिक्षित करना।

3– शिक्षिकों अभिभावकों के बीच एक किया शील सम्बन्ध की स्थापना करना।

4– बालिकाओं द्वारा अनुभव की गयी समस्याओं की प्रति ध्यान आकृष्ट करना।

5– बेटे और बेटियों के प्रति लोगो के विचारों को जनाने के लिए जेन्डर आधारित कर्ताओं का आयोजना।

6– वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर वर्ताओं का आयोजन करना एवं उपस्थित समूह से इस प्रणाली को व्यक्त की गयी आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तर दायित्व और प्रभावकारी बनाने के लिये वर्तालाप करना।

समानता के लिय शिक्षा–

महिलाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्ग के शिक्षा के लिये अवसर प्रदान करता है। महिला समाख्या के कार्यक्रमों में शैक्षिक एवं अन्य हस्ताक्षेप समुदायों जैसे महिला संधो के साथ मिलकर विकसित किये जाये।

यह प्रयास 6--14 वर्ष की बालिकाओं एवं बालकों के लिये किशोरी केन्द्र एवं महिला शिक्षा केन्द्र खोलना सम्मिलित है। महिला समस्या का शिक्षा के प्रति निम्न दृष्टि कोण है।

1– महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर।

2– व्यक्तिगत विधियक के आदर एवं सोच विचार के लिए समय

3– समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों में महिलाओं संघो को भागीदारी के लिए समर्थ बनाना।

4– शैक्षिक प्रतिमाओ से जेण्डर संवेदन शीलता।

5– बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये अनुकूल वातावरण।

उत्तर प्रदेश में पुरूष एवं महिलाओं के वर्क जेन्डर केन्द्र पर आधारित शैक्षिक असमानता को ध्यान में रखते हुए महिला समाख्या वैकल्पिक शिक्षा के आवरस एवं प्रक्रिया महत्तवपूर्ण है।

बाल केन्द्र :–

संघ की महिलाओं ने जब अपने बच्चों की शिक्षा के महत्तव को समझाा तो उन्होंने अपने घर के पास के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्त की इसके पश्चात बाल केन्द्रो की स्थापना की गयी। इस विद्या से उन बच्चों एवं विशेष रू‍ से उन बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किये जिनकी पहुॅच औपचारिक शिक्षा सुविधाझोतक नहीं है।

किशोरी केन्द्र :–

बाल केन्द्र बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। किन्तु वह ऐसी किशोरियॉ जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड दिया है उनके ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। संघ की महिलाओं एवं किशोरियों से विचार विमर्श के पश्चात इस आयु वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किशोरी केन्द्रों की स्थापना की गयी । इन किशोर केन्द्रों ने किशोरियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया तथा अपने यहॉ पढने का अवसर

प्रदान किया। समय का लचीलापन तथा स्थानीय महिला शिक्षा से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है।

किशोर संघ :–

किशोर संघ का उदय किशोरी केन्द्रो से हुआ । वे किशोरियों के समूह हैं। जिनको संगठन स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण कानूनी साक्षरता व्यवसायिक प्रशिक्षण का जीवन काल जैसे विषयों को ध्यान में किया गया है। वैकल्पिक शिक्ष केन्द्र प्राथमिक शिक्षा केन्द्र में बच्चों की भागीदारी बढाने हेत उन बालिकाओं की वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में नामांकित किया जायेगा जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय नहीं जा पा रही हैं में औपचारिक शिक्षा में भाग लेने के लिये प्रेरित करना। साथ–साथ औपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम को भी मदरसों भवनों में प्रारम्भ करना।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति :–

1. माता शिक्षक संघ–ऐसे गॉव जहॉ प्राथमिक विद्यालय है उस गॉव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूहों का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। माता तथा शिक्षक बच्चे की उपस्थिति नियमित तथा अधिकाधिक करने के लिये काय्र करेगें।

2. महिला प्रेरक दल– एक गॉव मजरे में विद्यालय से कुछ दूरी पर रहने वाली बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव निश्चित करने के लिये महिला प्रेरक दल का गठन एवं प्रशिक्षण किया जायेगा। यह दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र तथा विद्यालयों की गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :–

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक सप्ताह ग्राम स्तर पर ठहराव परिक्रम निकाली जायेगी। इसमें छात्र अभिभावक तथा शिक्षक शामिल होगें। विद्यालय में कम उपस्थित रहने छात्र के घर के बाहर थोडी देर खेडे होकर नारे लगाकर अभिभावकों पर बालक को विद्यालय भेजने के लिये दबाव डाला जायेगा। विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति के लिये अभिभावकों को सचेत करने के लिये इस प्रकार तारांकन किया जायेगा।

1 माह में 15 दिन या अधिक उपस्थिति–हरा निशान।

2 माह में 14 दिन या 7 दिन तक उपस्थिति – पीला निशान।

3 माह में 6 दिन से कम दिन तक उपस्थिति– लाल निशान।

यह अभियान वहॉ चलाया जायेगा जहॉ बालिका साक्षरता दर कम तथा शाला त्याग कर सबसे अधिक हैं।

शिक्षकों का जेन्डर सेवेदीकरण प्रशिक्षण जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये सभी सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जोयगा। शालात्यागी बालकों के नामांकन के लिये निराकरण उपयस्कर एवं उपकरण पर चर्चा करके उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

जनपद रामपुर में आज भोजन जागरण की आवश्यकता है। हॉलाकि स्कूल चलों अभियान का अत्यधि प्रभाव पडा फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि अभी पूर्ण रूप से बालक बालिकायें स्कूल नही पहुँच पाये । यह जागरण विशेषकर उन ब्लाकों में चलाया जायेगा जहॉ पर अभी भी शाला त्यागी बालक / बालिकायें घर पर बैठी। ब्लाक सैदनगर, शाहबाद एवं स्वार में बालिकायें अधिकतर पेचवर्क का कार्य करती हैं। बीडी बनाने का कार्य करती हैं। सर्फ बनाने का कार्य करती हैं । अतः हमारे विद्यालय जुलाई में खोले जायेगें। जुलाई से लेकर सितम्बर तक प्रत्येक माह एक जन जागरण अभियान चलाया जाये। इसके अन्तर्गत फेरी, जुलुस, नारों को लिखकर अभियान चलाया जाये जिससे इसके अन्तर्गत महिला मंडलों का आयोजन किया जाये। बालिकाओं की शिक्षा को बढावा देने के लिये हर ग्राम शिक्षा समितियों को अग्रसर होना चाहिये ।

1 बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायें।

2 महिला प्रेरक समूह एवं गठन प्रशिक्षण।

न्याय पंचायतों में बालिकाओं में आत्म विश्वास को विकसित करने एवं नेतृत्व को विकसित करने के लिये विभिन्न काय्रक्रम प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रीष्मकालीन शिविर,किशोर संघ, ट्रेनिंग सेन्टर आदि आयोजित किये जायेगे।

विशेष नामांकन अभियान :–

चयनित माडल क्लस्टर में पी0आर0ए0 विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जाये। आंकडों के आधार पर विशेष क्षेत्रों में नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी बालिकाओं के नामांकन के लिये उन बच्चों के घर तक बार–बार पहुॅचना आवश्यक है। इस कार्य में स्थानीय शिक्षकों, महिला प्रेरक समूहों तथा समुदाय के लोगों का सहयोग लेना वांछित हैं। निम्नलिखित आयोजन भी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगे :–

1 मीना कम्पैन –

2 मॉ–बेटी मेले का आयोजन– इसका उद्देश्य कलाओं को अपनी बेटियों को विद्या–लय भेजने ओर कक्षा–8 तक की शिक्षा पूरी करने के लिये यह प्रेरित करना है।

3 ग्राम शिक्षा समितियों के न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालायें / प्रशिक्षण प्रत्येक स्तर पर समुदाय की अधिकतम सहभागिता के लिये माता–अभिभावक, शिक्षक , ग्राम शिक्षा समिति, महिला प्रेरक समूह तथा न्याय पंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों के सघन प्रशिक्षण दिये जायेगे। एन0 पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 सामुदायिक गतिविधि केन्द्रो के रूप में विकसित किये जायेगें।

रामपुर जनपद के सभी ब्लाकों में केन्द्र खोले जायेगें क्योंकि अभी तक 3–6 वर्ष के बालक / बालिकाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ब्लाक के अन्तर्गत ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोले जोयगे। सभी बालिकायें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण ग्रहण कर सकेगी।

कार्य घुमन्तु परिवार जो काय्र कर रहे हैं उन्हीं में दक्षता विकास के साथ पाठ्यक्रम आधारित क्रियापरक शिक्षण देना चाहिये। इस तरह की सामग्री डायट द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार की जा सकती है। सामग्री विकास के क्रम में पूर्व संचालित सी0ए0पी0ई0 परियोजना के माड्यूलों से सहायता ली जा सकती है।

क्रिया आधारित शिक्षण 15 दिन से एक माह ब्रिजकोर्स के रूप में दिया जा सकता है। अर्ध साक्षर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जुडने के लिये प्रेरित किया जा सके। इन परिवारों को प्रेरित करने में वे प्राथमिक अध्यापक तथा ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय योगदान दे सकते हैं जिनके कार्य क्षेत्र में यह परिवार कार्यरत हैं। क्रिया आधारित शिक्षा के अन्तर्गत उदाहरण के लिये जैसे ईट के भटटों पर बच्चों को प्रवेश के द्वारा ही कक्षा 5 तक के बालक / बालिकाओं को शिक्षा दी जा सकती है।

1– निरीक्षण द्वारा शिक्षण (मिटटी के प्रकार की जानकारी) ।

2– ईट बनाने की प्रक्रिया पकाने से ईटों के बिकने तक की प्रक्रिया में सहायक व्यक्तियों एवं वस्तुओं , उपकरणों , परिवाहन के साधनों तथा परिवेश के वस्तुओं की जानकारी वस्तु आधारित उदाहरणों के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक की भाषा , गणित , विज्ञान, परिवेशीय अध्ययन कला , अंग्रेजी तथा अन्य विषयों की जानकारी देना।

इस अभियान के अन्तर्गत 150 केन्द्र रामपुर जनपद के लिये संचालित किये गये जिनमें 58 केन्द्रों को संचालित करने का प्रस्ताव हुआ था। इस समय 54 केन्द्र रामपुर जनपद के ब्लाक सैदनगर एवं शाहबाद में चलाये जा रहे हैं। ब्लाक सैदनगर में 17 तथा शाहबाद में 37 केन्द्र चल रहे हैं। 92 केन्द्र अब भी प्रस्तावित हैं। घुमन्तु परिवारों के लिये आवासीय शिक्षा व्यवस्था रामपुर जनपद के कुछ विकास खण्डों में युगोपार्जित के कम अवसर होने के कारण कुद परिवार काम की खोज में घूमते रहते हैं। इन परिवारों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा नही हो पाती। कई स्थानों पर सामाजिक आथिक तथा मांगलिक कारणों से बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में नही हो पाता या वे कक्षा 5 पास करने से पहले विद्यालय छोड देते हें। ऐसे क्षेत्रों में मल्टी ग्रेड तथा मल्टी लेवल आवासीय विद्यालयों में 8–14 वर्ष तक की बालिकाओं को कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की

शिक्षा दी जायेगी। कक्षा 1 एवं 2 के लिये विद्या केन्द्रो की सुविधा दी जा सकती है। इन विद्यालयों में स्कूली शिक्षा को व्यवसायिक तथा कियान्वित , आधारित शिक्षा से जोडा जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :–

प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटी के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विकलॉग कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बल विकास विभाग, महिला समाख्या एवं स्वंयसेवी संगठनों के सहयोग तथा समुदायों के साि विचार विमर्श , सहभागिता के द्वारा आंकडें का संकलन , वातावरण सृजन किया गया, साथ ही योजना के संचालन , कियान्वयन में भी इनके सदु–प्योग से सव्र शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ऑकडों के संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से जनांकिकी सम्बन्धी मूलभूत आंकडों का संकलन किया गया, जबकि विकलॉग कल्याण विभाग के सहयोग से समेकित शिक्षा हेतु 6–11 एवं 11–14 वय वर्ग के विकलॉग बच्चों की सूची प्राप्त की गयी। पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची प्राप्त की गयी। ड्डा के सहयोग से मलिन बस्तियों की सूची प्राप्त की गयी।

6–14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सकिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में हरने वाले निरक्षर लडकों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक है। नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बच्चो की संख्या गॉव एवं नगर दोनों में अधिक है।गॉव मं नगरीय क्षेत्रों में शिक्षाा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्या लय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गेय। शिंक्षा के विकेंन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखतें हुए एवं् समुदउय की सकिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिंक्षा समिति तथा नगर में वार्डवार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्मा–ण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अधिकतर शिंक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

वातावरण सृजनः

नियोजन प्रकिया के दौरान जनपद की विभिन्न बस्तियों एवं समुदायों के साथ विचा र विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायो के साथ विचा र विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्य एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत एण्वं व्यापक चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण–

ग्राम शिक्षाा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों की सकिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नवनिर्वाचित शिक्षाा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्षण, पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं 5 वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्ष्ग एवं उन्हे भी प्रति दो वर्ष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

नवाचार शिक्षा(कम्प्यूटर शिक्षा)

वाराणसी जिले मे प्रयोगात्कम तौर बालिकओं के लिए कार्यानुभव के अन्तर्गत कम्प्यू शिक्षा का प्रावेधान किया गया था। जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव में आशातीत वृद्वि हुई। इसी प्रकार का प्रयोग इस जिले में किये जाने काप्रस्ताव है और प्रत्येक विकास खण्ड में केन्द्रीय विद्यालय में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था इस अभियान के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है तथा इसे प्रकार प्रत्येक बी0आर0सी0 पर एक कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है। इसके लिए प्रति कम्प्यूटर तथा उसकी केबिन के लिए कुल रू0–1.70 लाख की यूनिट कास्ट प्रस्ता वित है।

विद्यालयों में स्थिति उन्नति करने में सामुदायिक भूमिका–

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नहीं है। अथवा कम भूमि हैं वहाँ पर ग्रामवासियों सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चे को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नहीं सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा–

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण,पुष्पवाटि का हेतु जानकार लोगों का सहायता की जायेगी उन्हीं से पौधों आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज–सज्जा में सहयोग–

विद्यालय में फर्नीचार,टाट–पट्टी, चाक,शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश,स्लेट,पेंन्सिल ,कापी आदि सामग्री की व्यव–स्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरष्कृत करने की व्यवस्थ भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढीकरण में सक्रियता–

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चार दिवारी निर्माण,मिट्टी भराव,विद्यालय प्रांगण

में होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोग–

वातावरण एवं परिवेश आकर्षक बनाने में बच्चें के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो, अभिभावकों एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे बच्चें अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने को अपराध भव ना से देखे और स्वंय् भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। **शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास कार्यो** एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों का** सहयोग लिया जायेगा।

छात्र नामांकन तथा ठहराव वृद्धि के लिए प्रत्येक परिषदीय विद्यालय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए प्रति वर्ष 2000/– रू0 प्रति विद्यालय की दर से प्रावधान किया गया है जिसकी सारणी निम्नवत है।

क्र0 सं0	विद्यालय का प्रकार	वर्ष 2002–03			2003–04			2004–04			2005–06			2006–07		
		परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	प्राथमिक	1157	50	1214	1664	53	1217	1164	55	1219	1164	55	1219	1164	60	1224
2.	उ0 प्राथमिक	179	44	223	279	45	324	279	45	324	279	45	324	279	50	329

टी0एल0एम0

छात्र नामांकन वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रत्येक प्राथमिक एवं उ0प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रत्येक विद्यालय में तीन अध्यापकों के लिये 500/– रू0 टी0एल0एम0 सामग्री निर्माण के लिये दिया जायेगा।

क्र0 सं0	विद्यालय का प्रकार	वर्ष 2002–03			2003–04			2004–04			2005–06			2006–07		
		परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	प्राथमिक	–	–	–	–	–	–	2549	1135	2684	3050	165	3215	3320	180	3500
2.	उ0 प्राथमिक	–	–	–	159	–	305	400	135	535	430	135	565	460	150	610

नि:शुल्क पाठ्य–पुस्तक :–

छात्र नामांकन की वृद्धि एवं ठहराव के लिये एस0सी0/एस0टी0 के बालक तथा सभी वर्गो की बालिकाओं के लिये नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है।

क्र0 सं0	विद्यालय का प्रकार	वर्ष 2002–03			2003–04			2004–04			2005–06			2006–07		
		परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग	परि0	सहा0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	प्राथमिक	–	–	–	–	–	–	120245	10255	130500	128346	12280	140626	129075	15218	144293
2.	उ0 प्राथमिक	31611	–	31611	10880	–	10880	12351	4225	16576	13000	5244	18244	13628	5628	19656

अध्याय - 9

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य :-

जनपद रामपुर प्रदेश की सबसे छोटी रियासत रही है और शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त दयनीय स्थिति रही है। प्रारम्भिक नवाबों के द्वारा शिक्षा को समुचित महत्व नहीं दिया गया। नवाब रजा अली खां का समय शैक्षिक दृष्टि से जनपद का स्वर्ण काल कहा जाये तो अतिश्योक्ति न होगी। उनके शासन काल में शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई परन्तु उनकी मृत्यु के बाद जनपद शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ता ही चला गया। शिक्षा के प्रति उदासीनता, साक्षरता की निम्नदर के कारण शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के बावजूद जनपद की शिक्षा की गुणवत्ता में कोई विशेष प्रगति परिलक्षित नहीं होती। बेसिक शिक्षा के सन्दर्भ में हमारी संकल्पना यह है कि समाज का हर वर्ग यह समझने लगे कि देश के सभी बच्चे हमारे हैं। समस्त विद्यालय हमारे है और हम भी विद्यालय के लिए इस भावना से प्रेरित होकर देश के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तोत्तर वृद्धि करके हम अपने जिले के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करा सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा में अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की संकल्पना (उद्देश्य एवं भूमिका व कार्य) :-

प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार तथा उसमें गुणात्मक उन्नमन की दृष्टि से केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना क्रमवार चरणों में की जा चुकी है। इसी क्रम में वर्ष 1993-94 में दीक्षा विद्यालय को उच्चीकृत करके जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर की स्थापना की गई। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु जनपद रामपुर की डायट को वित्तीयवर्ष 1999-2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में आच्छादित किया गया।

अध्यापक शिक्षा, समेकित शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, बालिका शिक्षा कार्य क्रमों से संबंधित अधिकारियों एवं अभिकर्मियों के शैक्षिक स्तर में सुधार तथा उन्नयन के उद्देश्य से स्थापित संस्थान के माध्यम से पाठ्यक्रम, तकनीकी प्रबन्ध एवं नियोजन की शैक्षिक जानकारी, शोध, अभिनव प्रयोग तथा नवीन शैक्षिक उपलब्धियों को ऐसे ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने की संकल्पना की गई है जो इस आवश्यक सुविधाओं से अपवंचित हैं।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मियों के शैक्षिक स्तर में सुधार करना जनपद स्तर पर विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं प्रौढ़ निरक्षरों को काम चलाऊ साक्षरता के सन्दर्भ में अकादमिक सहयोग प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूरक दृष्टिकोणों को सर्वत्र परिलक्षित करना, नई पीढ़ा के युगानरूप शिक्षा देना, शिक्षकों में व्यवसायिक क्षमता एवं व्यवसाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मूल्य राजगता को निर्धारित करना तथा विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की संपूर्ति हेतु निम्न सात विभाग बनाये गये हैं :-

1. सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग।
2. सेवारत कार्यक्रम अन्तः क्रिया तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग (आई.एफ.आई.सी.)।
3. शैक्षिक तकनीकी विभाग।
4. जिला संसाधन इकाई।
5. कार्यानुभव विभाग।
6. पाठ्यक्रम, सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग।
7. प्रबन्धन एवं नियोजन विभाग।

डायट के कार्य :-

उपर्युक्त विभागों के पारस्परिक सहयोग द्वारा मुख्य रूप से संस्थान को निम्न दायित्वों का निर्वहन करना होता है :-

1. प्रशिक्षण सेवापूर्व एवं सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक, वैकल्पिक एवं साक्षरता के समस्त क्षेत्रों में।
2. अकादमिक एवं संसाधन संबंधी सहयोग।
3. शैक्षिक समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु क्रियात्मक शोध।
4. शैक्षिक नवाचारों का प्रचार एवं प्रसार।
5. शैक्षिक मूल्यांकन एवं पश्च पोषण।
6. विद्यालय श्रेणी करण के लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणी करण।

संस्थान को अपने दक्ष एवं प्रभावशाली नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा सौहार्द पूर्ण रचनात्मक, संगठनात्मक वातावरण के निर्माण तथा स्वच्छ एवं आकर्षक परिसर के रख-रखाव के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने हेतु जनपद की अन्य शैक्षिक संस्थाओं हेतु आदर्श के रूप में विकसित करना होगा।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका :-

1. अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :-

जनपद में आयोजित शिक्षा योजना में गुणवत्ता विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व डायट द्वारा प्रदान किया जायेगा। जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत स्तर पर संबंधित सभी अभिकर्मियों के प्रशिक्षणों का आयोजन, नियोजन, प्रबंध, श्रेणीकरण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, शैक्षिक नवाचारों की जानकारी, क्रियात्मक शेध आंकड़ों का विशलेषण, कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन शिक्षण सामग्री निर्माण आदि की व्यवस्था, अभिलेखीकरण आदि का प्रमुख दायित्व डायट द्वारा वहन किया जायेगा।

2. संकाय सदस्यों का क्षमता संवर्द्धन :-

बाह्यीय संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभव से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों में क्षमता विकास करने हेतु वार्ताओं और व्याखानों का आयोजन करना तथा विशिष्ट संस्थाओं द्वारा संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित कराना ताकि शिक्षा योजना में नियोजित सभी अनुपस्थित कार्यक्रमों में डायट के संकाय सदस्यों द्वारा कुशल नेतृत्व प्रदान किया जा सके।

3. अकादमिक संसाधन समूह का क्षमता संबर्द्धन प्रशिक्षण :-

इस समूह की क्षमता संवर्द्धन हेतु एस.सी.ई.आर.टी. के सहायोग से क्षमता विकास कार्याशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। जो अकादमिक पर्यवेक्षण, विषयशिक्षण तथा स्कूल का प्रबन्धन, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण जैसे बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी।

4. शिक्षण सामग्री का विकास :-

डी.पी.ई.पी. द्वारा प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष मिलने वाले प्रत्येक शिक्षक को 500 रू0 के शिक्षक अनुदान की भांति एस.एस.ए. में प्राथमिक तथा अच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक को अध्यापक अनुदान के तहत मिलने वाला धन से शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व रख-रखाव संबंधी प्रस्ताव है। इनका कक्षा में बेहतर प्रयोग किस प्रकार करें, इसके लिए डाटय स्तर, ब्लाक स्तर तथा न्याय पंचायत स्तर पर दो-दो दिवसीय टी.एल.एम. निर्माण उपयोग संबंधी कार्य शालायें आयोजित किए जायेगें। सामग्री विभिन्न स्तरों पर मेटीरियल मेले और प्रर्दशनियाँ आयोजित की जायेंगी। डायट में टी.एल.एम. कक्ष का निर्माण किया जायेगा।

5. गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवा संगठनों की सहभागिता :-

जनपद में कुछ स्वयं सेवी संस्थायें बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के विकास के लिए अपने अपने ढंग से कार्यरत हैं उन्हें उस क्षेत्र में कार्य करने का प्रर्याप्त अनुभव है। उनके अनुभवों से लाभ उठाकर तथा उन्हें और अधिक अच्छा कार्य करने करने के लिए सहायता देकर जनपद की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। जैसे जनपद ब्लाक शाहबाद के मंगोली ग्राम में चलने वाली स्वयं सेवी संस्था।

6. शोध एवं मूल्यांकन :-

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभूत विभिन्न विषयों की व्यवहारिक कठिनाईयों के परिपेक्ष्य में उनके समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को संबंधित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा कर आवश्यक मार्गदर्शन डायट द्वारा प्रदान किया जायेगा। डायट के स्टाफ को शोध संबंधि प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से दिया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि भी उपलब्ध करायी जायेगी। डायट के नेतृत्व में शिक्षक एक्शन रिसर्च हेतु समस्याओं की खोज एवं उनका समाधान कर निष्कर्षों को क्रियान्वित करेंगे। डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन व मूल्यांकन किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा।

सीमेट इलाहाबाद और एस.सी.ई.आर.टी. लखनऊ के सहयोग से जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किए जाने की दृष्टि से 5 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को स्वयं ढूंढना, समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं कार्ययोजना बनाना और शोध की प्रक्रिया से संबंधित लोगों को अवगत कराना एवं भविष्य में सुझाव देने में दक्ष बनाना होगा। एक्शन रिसर्च के क्षेत्र निम्न हो सकते हैं :-

1. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाने के उपायों का अध्ययन।
2. बालिकाओं की कक्षावार शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन।
3. समास्यात्मक/पिछड़े बालकों के लिए कारगर शिक्षण तकनीकें।
4. बालकों की शैक्षिक उपलब्धि में अभिभावकों के सहयोग से प्रभाव का अध्ययन।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जन भागीदारी।

7. आंकड़ों का विशेलषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग :-

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार, श्रेणीवार छात्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ड्रापआउट की समस्या का समाधान कर सकते हैं तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को चिन्हित कर विद्यालय में नामंकित कर सकते हैं। डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का सूक्ष्म नियोजन और विराट विश्लेषण किया जायेगा जिससे उनका प्रयोग नियोजन एवं प्रशिक्षण में किया जा सके। इन सूचनाओं के आधार पर प्रशिक्षणों की संख्या तथा रूपरेखा में संशोधन कर उन्हें लागू किया जायेगा।

8. डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की शैक्षिक मार्गदर्शन में सम्मिलित भूमिका :-

शैक्षिक मार्ग दर्शन में डायट, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. की सम्मिलित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा तथा बी.आर.सी. प्रतिवेदन की समीक्षा कर उसे डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा होगी तथा उसके आधार पर भविष्य का एजेन्डा तैयार किया जायेगा। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. इसकी सहयोगी संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणी करण के माध्यम से एक प्रभावशाली कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेजों में कक्षा छः से आठ पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा ई.सी.सी.ई. केन्द्रों आदि को भी लाया जायेगा।

डायट की भूमिका को कार्यरूप प्रदान करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत संसाधन केन्द्र डायट की सहयोगी संस्थाओं के रूप में कार्यरत हैं।

डायट में अकादमिक स्टाफ तथा बी.आर.सी. पर ब्लाक सहसमन्वक, न्यायपंचायत केन्द्र स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयक कार्यरत है। जो पारस्पारिक सहयोग से जनपद की प्राथमिक शिक्षा को अकादमिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

डायट के अकादमिक स्टाफ को क्षमता विकास हेतु राज्य स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षणों से प्राशिक्षित किया गया है। बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों/सहसमन्वयकों

को शैक्षिक रूप से सबल बनाने हेतु डायट में उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों से सम्बन्धित 6 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय सर्वेक्षण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण, एन.पी.आर.सी. समन्वयक द्वारा नियमित विद्यालयों का श्रेणीकरण तथा बी.आर.सी. द्वारा एन.पी.आर.सी. तथा विद्यालयों का श्रेणीकरण, मासिक बैठकों का आयोजन, विभिन्न शैक्षिक मेले तथा प्रदर्शनी आदि का आयोजन, शिक्षकों की अकादमिक व अन्य शैक्षिक समस्याओं का समाधान, शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रदर्शनी का आयोजन, जनसम्पर्क अभियान, सामुदायिक सहभागिता, अभिप्रेरक समूहों का गठन, मासिक प्रशिक्षणों का आयोजन, सूचनाओं का आदान प्रदान, नियमित एवं सहयोगी अनुश्रवण समस्त क्रियाकलापों का अभिलेखीकरण के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन का प्रयास किया गया।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का नियमित अनुश्रवण एवं सहयोग हेतु डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की नियुक्ति की गई है।

उपरोक्त गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयासों से अनुभव होता है कि सभी प्रयास मात्र प्राथमिक कक्षाओं तक ही सीमित हैं। सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा शिक्षक, मकतब, मदरसों, हाईस्कूल एवं इण्टर कालिज में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षार्थी एवं शिक्षकों के गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कोई नवीन प्रयास नहीं किये गये हैं। नवीन योजनाओं के अन्तर्गत उपर्युक्त छूटे लक्ष्य समूह को शामिल करने की आवश्यकता होगी।

जनपद में सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है :-

1.	परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	---	1164
2.	परिषदीय उ0प्रा0 विद्यालयों की संख्या	---	279
3.	मान्यता प्राप्त उ0प्रा0 विद्यालयों की संख्या	---	77
4.	हाईस्कूल/इन्टर कालेजों की संख्या	---	74
	(जिनमें 6 से 8 कक्षायें संचालित हो रही है)		

स्रोत - बी.एस.ए. कार्यालय से प्राप्त आंकड़े।

पूर्व प्राथ0 शिक्षा (स्कूल तैयारी हेतु) :-

प्रायः यह देखने में आया है कि प्राथमिक कक्षाओं में 6 से निम्नवय वर्ग के बच्चें भी उपस्थिति रहते हैं जिससे प्रवेशित बच्चों की शिक्षा में व्यवधान आता है या बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा छोटे, बच्चों की देख-रेख के लिए घर पर ही रोक दिया जाता है जिससे बालिका शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए बिना ही कक्षा 1 में प्रवेश से शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित थे लेकिन वह इस लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रहे आंगनबाड़ी के केन्द्रों में दैनिक शैक्षिक क्रियाकलाप के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित संचालन तथा उसमें गति लाने के उद्देश्य से जनपद में ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का विकास किया गया। इनके संचालन हेतु आंगनबाड़ी की कार्यकत्रियों के डायट में 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2000-2001 में 54 केन्द्रों का निर्धारण किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2001-2002 में 86 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में जनपद में 136 केन्द्र कार्यरत हैं।

केन्द्रों के समय-समय पर पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत कार्यकत्रियों व सहायिका को अतिरिक्त मानदेय की डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत व्यवस्था है। केन्द्रों में खेल सामग्री, उपकरण व शिक्षण सामग्री हेतु रू0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु रू0 1500 प्रति केन्द्र प्रदान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत रू0 250 तथा रू0 125 क्रमशः अतिरिक्त मानदेय भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े शिशु शिक्षा केन्द्रों के खुलने से सम्बन्धित विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को अपने छोटे भाई बहिनों की देख-रेख से मुक्ति मिली है तथा उनका विद्यालय में ठहराव भी बढ़ा है। बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि भी बढ़ी है।

वास्तविक रूप में जनपद में अधिकतर शिशु शिक्षा केन्द्र प्रायः विद्यालय में स्थान न मिलने के कारण घरों में संचालित हैं। जिसके कारण कार्यकत्रियाँ बच्चों को पूरा

समय नहीं दे पाती वरन् अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं, जिससे शिशु शिक्षा केन्द्र नियमित व सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। प्रति प्राथमिक विद्यालय शिशु शिक्षा केन्द्र हेतु अतिरिक्त कक्ष भी उपलब्ध कराया जाना हितकर होगा।

ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन ग्राम शिक्षा समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है। इसके मूल में अवधारण यह है कि ग्राम के शैक्षिक उन्नयन हेतु ग्राम स्तर पर बनाई गई योजनायें एवं कार्यक्रम सर्वोत्तम रूप से प्रभावशाली हो सकते हैं।

गांव की स्थिति, उसकी आवश्यकताओं, समस्याओं इत्यादि के विषय में जो जानकारी स्थानीय लोगों को हो सकती है, वह अन्य को नहीं हो सकती। गांव की शैक्षिक व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने की जिम्मेदारी वहां की ग्राम शिक्षा समिति को सौंपी गई है।

ग्राम शिक्षा समिति गठन :-

1. ग्राम सभा का प्रधान (अध्यक्ष)
2. प्राथमिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें से एक संरक्षक महिला होगी) सदस्य।
3. उस ग्राम या ग्राम समूह के प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक (यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम) - सदस्य सचिव।

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त ऐसे अधिकतम 20 सदस्य जो शिक्षा के प्रति जागरूक हों तथा ग्राoशिo समिति को अपना सक्रिय योगदान दें सकते हैं, को भी शामिल किया जा सकता है।

समिति के प्रमुख दायित्व :-

1. बेसिक स्कूलों के भवनों और उनके उपस्करों में सुधार करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति को सुझाव देना।
2. स्कूलों का निरीक्षण करना।
3. अध्यापकों द्वारा समय पालन किये जाने और उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देना।

समिति के अधिकर :-

1. ग्राम वासियों की आवश्यकतानुसार शिक्षा व्यवस्था सुलभ कराना।
   (1) बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा।
   (2) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा।
   (3) वैकल्पिक शिक्षा (स्कूल छोड़े हुये या स्कूल न जा पाने वाले बच्चों के लिए)।
   (4) साक्षरता कार्यक्रम निरक्षर प्रौढ़ों के लिए।
2. गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था कराना।
3. सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना कराना।
4. ज्ञान संचार, लोक संचार माध्यम से शिक्षा का प्रसार और प्रचार कराना।

ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए विद्यालय के भैतिक एवं शैक्षिक सुदृढ़ीकरण में अपना सक्रिय एवं रचनात्मक योगदान देंगे। इन को जागरूक एवं सक्रिय करने के उद्देश्य से डायट स्तर पर अभिप्रेरण शिविरों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षणों के मुख्य उद्देश्य थे :-

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः अपनाने हेतु क्रियाशील बनाना।
2. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चों के लिए यातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय को सक्रिय योगदान के संदर्भ में जागरूक बनाना।
3. विकेन्द्रीकरण नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मान-चित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।
4. आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण, रूचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम समिति के योगदान के लिए अभिप्रेरित करना।
5. अर्न्तक्षेत्रीय समन्वयक, सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय एवं स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करना।

उपरोक्त अभिप्रेरण शिविरों के संचालन हेतु डायट स्तर पर ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) के सदस्यों को चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागी के रूप में प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापक, नेहरू युवा केन्द्र, युवक/महिला मंगल दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जनपद में कुल 114 बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा दिया गया। जनपद में 580 ग्राम सभायें है जिनमें से 580 ग्राम सभाओं की ग्राम शिक्षा समितियों

को प्रशिक्षित किया जा चुका है। डायट के ब्लाक मेन्टर्स/डी.आर.जी. के सदस्यों द्वारा इन प्रशिक्षणों का समय-समय पर अवलोकन एवं अनुश्रवण किया गया। अवलोकन के दौरान पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में ग्राम के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्य करने की इच्छा हुई है।

प्रशिक्षण में सूक्ष्म नियोजन की जानकारी दी गई जिसके अन्तर्गत स्कूल मानचित्र तथा परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र भरवाने की विस्तृत जानकारी दी गई। स्कूल मानचित्रण तैयार कराकर संरक्षित करना तथा विद्यालय परिसर में प्रदर्शित करने हेतु कहा गया।

वास्तविकता की स्थिति में यह अनुभव किया गया कि बी.आर.जी. जो प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त थे अपने निर्धारित मानदेय से संतुष्ट नहीं थे अतः उन्होंने प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जिसके परिणाम स्परूप व्यवहारिक पक्ष निर्बल रह गया।

बालिका शिक्षा :-

जिला प्राथमिक कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि विद्यालय एवं समुदाय में जाति गत एवं लिंग भेद को कम करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षणों की श्रृंखला का कार्यक्रम तैयार किया गया। जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम जिला समन्वयक व उत्साही अध्यापकों को संदर्भ दाता के रूप में राज्य स्तर पर प्राशिक्षित किया गया। उसी क्रम में जनपद की आदर्श न्याय पंचायत (सं0-15) के कक्षा 1 से 5 तक जाने वाले बच्चों के साथ जुड़े व्यक्तियों, समस्त सेवारत अध्यापक, प्रधान, कर्मचारी, न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षिण आयोजित किये गये।

समुदाय का सक्रिय एवं रचनात्मक सहयोग लेने के लिए और उन्हें अभिप्रेरित करने हेतु मां बेटी, मेला, मीना कैम्पेन, संशोधन फिल्म तथा कलाजत्था कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों के माध्यम से ग्रामीण जनसुदाय विशेषकर महिलाओं, को प्रेरित कर बालिकाओं व 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यलायी शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया। कला जत्था कार्यक्रम के संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को राज्य स्तर पर संदर्भदाताओं के रूप में प्रशिक्षत किया गया तथा विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु संदर्भदाताओं को जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में लोकगीत, नुक्कड़नाटक, लोकनृत्य, समूहगान इत्यादि के माध्यम से शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रशिक्षित किया गया।

विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि, ठहराव व गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु समुदाय का सक्रिय एवं रचनात्मक सहयोग के लिए भविष्य में उपर्युक्त विभिन्न कार्यक्रमों की आवश्यकता रहेगी।

आदर्श न्याय पंचायत के सेवारत अध्यापकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रतिफेरा 40 अध्यापक माता शिक्षक संघ/पी.टी.ए. का 2 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रतिफेरा 20 प्रतिभागी) सम्पन्न हो चुका है। इन्हीं न्याय पंचायतों के मजरों में महिला प्रेरक समूह गठित किय गये जिनको दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया।

जनपद की महिला साक्षरता दर अत्याधिक कम है वृद्धि के लिए डी.पी.ई.पी. परियोजना में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत जनपद में ग्रीष्मकालीन शिविर (प्रत्येक ब्लाक 10 शिविर अवधि 10 दिन) आयोजित किये गये। वर्तमान वर्ष में 25 ग्रीष्मकालीन शिविर अवधि 10 दिन आयोजित किये जा चुके हैं। जिन्होंने विद्यालय किसी कारणवश छोड़ दिया या जो अधिक आयु होने के कारण संकोचवश विद्यालय नहीं जाती है। उनको अभिप्रेरित करने व मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उपर्युक्त कार्यक्रम चलाये गये। वर्ष 2003-04 में जनपद में चार ब्लाक के 05 मझरों में एस. सी./एस.टी. के बालक/बालिकाओं के लिए गैर आवासीय 6 माह के ब्रिजकोर्स संचालित किये जायेंगे।

अनुश्रवण के बाद यह देखने में आया है कि बालिकाओं की रूचि विद्यालय शिक्षा में बढ़ी व उनका नामांकन भी प्रर्याप्त मात्रा में बढ़ा है। ग्रीष्म कालीन अभिप्रेरित शिविर की बालिकायें भी विद्यालयों में पढ़ती पायी गयी। बालिका शिक्षा की वृद्धि हेतु किये गये वे कार्यक्रम अपने आप में प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। भविष्य में नामांकन के साथ-साथ बालिकाओं के ठहराव के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता होगी।

अकादमिक पर्यवेक्षण :-

जिले की प्राथमिक शिक्षा के अकादमिक पक्ष के पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी.आर.सी. व न्यायपंचायत स्तर संकुल केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केन्द्र प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार हेतु सक्रिय केन्द्र होगे। विद्यालयों व शिक्षकों को सीधे-सीधे, मौकों पर सहयोग करने वाले समूह के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक/सहायक समन्वयक के कार्य एवं दायित्व :-

1. सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षणों को आयोजित करना।

2. प्रत्येक प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण के मूल्यांकन की आख्या तैयार कर उसका अभिलेखीकरण करना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या डायट को प्रेषित करना।

3. विकास खण्ड के सम्बन्धित न्याय पंचायत के केन्द्रों व सभी प्रा0/उ0प्रा0 विद्यालयों के लिए शैक्षिक/शैक्षिणेत्तर गतिविधियों का आयोजन करना एवं सहयोगी नेतृत्व प्रदान करना।

4. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित करना क्षेत्र के सभी केन्द्रों से मासिक आख्या प्राप्त कर डायट को प्रेषित करना।

5. विकास खण्ड के न्याय पंचायत केन्द्रों तथा विद्यालयों का भ्रमण करना, श्रेणीकरण करना, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, नई विधाओं से परिचित कराना स्थानीय आधार पर निर्मूल्य एवं अल्पव्ययी सामग्री के द्वारा स0 शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना तथा उनके समाधान में सहायता करना।

6. विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के भवन में संबंधित आवश्यक शैक्षिक सूचनाओं को चार्ट तथा माडल आदि के रूप में प्रदर्शित करना तथा सूचनाओं का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करना।

7. ब्लाक स्तर के सूचना संग्रह तथा शैक्षिक समस्याओं को जिला स्तर तक प्रेषित करना तथा जिला स्तर की सूचनाओं को अध्यापकों तक पहुंचाना।

8. मानकों के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन में सहायक न्याय पंचायत केन्द्र तथा विद्यालय का आदर्श रूप में विभाजन कर उनके आधार पर शिक्षकों को अपने विद्यालय के विकास हेतु प्रेरित करना।

9. ब्लाक स्तर पर किये गये सुधारों, नवाचारों, क्रियात्मक शोधों, सहायक शैक्षिक सामग्री निर्माण, खेल तथा गतिविधि निर्माण नई शैक्षिक विधाओं के प्रयोग के परिणाम से जन साधारण को अवगत कराना।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक के कार्य एवं दायित्व :-

1. अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक विद्यालय का माह में कम से कम एक बार, गहन अवलोकन तथा श्रेणीकरण करना तथा शिक्षकों से वार्ता कर शिक्षण कार्यों की स्थिति, शिक्षकों की समस्याओं तथा शैक्षिक समस्याओं से अवगत होना।

2. न्याय पंचायत स्तर पर प्राप्त समस्याओं का सामान्यीकरण करना, मासिक बैठकों में चर्चा-परिचर्चा के द्वारा इन समस्याओं का हल निकालना तथा अनसुलझी समस्याओं को सूचीरबद्ध कर ब्याल स्तर पर मासिक बैठक में प्रेषित करना।

3. विकास खण्ड स्तर से मिले निर्देशों को शिक्षकों तक पहुंचाना तथा वांछित सूचनाओं को विद्यालय से एकत्र कर विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाना।

4. शिक्षकों की मासिक बैठक/कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन।

5. सहायक शैक्षिक सामग्री का निर्माण, प्रदर्शन तथा आदान प्रदान एवं विद्यालय भ्रमण के दौरान आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण करना।

6. न्याय पंचात स्तर पर नवाचारों तथा शैक्षिक उपलब्धियों का प्रसार करना।

7. निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, छात्रवृत्ति, संसाधन वितरण, स्कूल अनुदान के वितरण की व्यवस्था करना, विभिन्न लाभ की योजनाओं की जानकारी देना, मूल्यांकन करना तथा क्रियान्वयन सुनिश्चत करना।

8. ग्राम/संकुल आधारित शैक्षिक नियोजन/सर्वेक्षण आदि से संबंधित गतिविधियों का सूक्ष्म नियोजन तथा स्कूल मानचित्र हेतु सर्वेक्षण, स्कूल सांखियकी प्रपत्र की सूचनाओं का संकलन, वैकल्पिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाओं का संकलन तथा केन्द्रों का भ्रमण करना।

9. अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा छात्र हित में संचालित कार्यक्रमों को सहयोग देना तथा समुदाय को उनसे लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना।

10. शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास के लिए समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना।

वैकल्पिक शिक्षा :-

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 6-14 वर्ष के ऐसे बच्चे जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गए जहां अनुदेशकों के द्वारा बच्चों को कक्षा 5 तक का पाठ्यक्रम 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराया जाता था। केन्द्रों की समयावधि दो घण्टे थी। इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। जनपद स्तर पर इन अनौपचारिक केन्द्रों का मूल्यांकन कराया गया जिसके द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि यह अनौपचारिक केन्द्र कतिपय कारणों से

निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रहे। अतः 31 मार्च, 2001 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। पुरानी योजना की कमी को दूर करने के लिए 1 अप्रैल 2001 से वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना लागू की गई। इस योजना में 6 वर्ष 14 वर्ष के सामान्य बच्चे, 6 से 18 वर्ष के विकलांग बच्चों को रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो बच्चे औपचारिक विद्यालयों से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको विद्या केन्द्रों पर कक्षा 1 व 2 पाठ्यक्रम पूरा कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत ऐसी असेवित बस्तियाँ जहां एक किलोमीटर की परिधि में कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है तथा वहां पर 30 बच्चे उपलब्ध हों, वहां विद्या केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों में असेवित बस्तियों के बाल श्रमिक, घुमन्तू तथा विद्यालय दूर होने के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों का नामांकन किया जाता है। इन केन्द्रों पर शिक्षण कार्य हेतु आचार्य जी की नियुक्ति की व्यवस्था है, जिनको डायट स्तर पर प्रशिक्षित संदर्भदाताओं के द्वारा 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों पर शिक्षण कार्य हेतु 128 आचार्य डी डायट के द्वारा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

इन विद्या केन्द्रों के परिणाम प्रभावशाली परिलक्षित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से बालकों का नामंकन बढ़ने के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा के प्रति रूचि भी बढ़ी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा योजना का संचालन राज्य स्तरीय कमेटी करेगी। इसमें ए.आई.ई. अन्तर्गत प्राइमरी कक्षाओं हेतु ज्ञान केन्द्र तथा उच्च प्राथमिक केन्द्र के लिए ज्ञानशाला केन्द्र खोलने का प्रावधान है। इसमें प्रशिक्षक के रूप में गुरूजी/दीदी जी की नियुक्ति का प्रावधान है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्याक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता का सुधार करने हेतु शिक्षकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षा गारन्टी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को शिक्षा मित्र के रूप में चयनित किया गया है। ऐसे 507 शिक्षा मित्रों को डायट स्तर पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एकल अध्यापकीय प्राथमिक विद्यालयों में की गई है। यदि स्थानीय शिक्षित युवक/युवितियों को शिक्षा मित्र के रूप में विद्यालयों में शिक्षण कार्य में नियुक्त किया जाये तो इससे नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ऐसे मकतब-मदरसे जहां बच्चों को केवल दीनी तालीम दी जा रही है, ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और जो बच्चे जिस कक्षा के योग्य तैयार होंगे उन्हें कक्षा 1 से 5 तक इस कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु मदरसे के अनुदोशकों को प्रशिक्षित किया गया। जनपद के विकास खण्ड के 56 अनुदेशकों की 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मकतब-मदरसों में कार्यरत (प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले) 6 शिक्षकीं को डायट स्तर पर 1 माह का प्रशिक्षण प्रदाच किया गया तथा 6 शिक्षकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण द्वारा उन्हें मदरसों में चल रही परम्परागत शिक्षण विधि के साथ शिक्षा व शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न विधियों से अवगत कराया गया।

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत मकतब मदरसों के केवल कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य करने वाले अनुदेशकों/शिक्षकों के प्रशिक्षण की ही व्यवस्था कीं गई है। भविष्य में इनके प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी।

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य बच्चों के साथ-साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) की नियुक्ति की गयी, जिनकी देख-रेख में जनपद के दो विकास खण्डों - सैदनगर व बिलासपुर के प्राथमिक विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ताकि शारीरिक व मानसिक चुनौती वाले बच्चों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकतानुसर उनका चिकित्सीय निरीक्षण कराना, आवश्यकतानुसर उपकरणों की उपलब्धता ताकि उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उपरोक्त विकास खण्डों में Assessment Camp लगाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा चुका है।

उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के केवल दो विकास खण्ड लिए गए हैं। शेष चार विकास खण्डों - शाहबाद, मिलक, स्वार तथा चमरव्वा तथा नगर क्षेत्र के विद्यालयों के विशिष आवश्यकता वाले बच्चों कों भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों (विशिष्ट आवश्कता वाले) हेतु भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

जनपद में किये गये बेस लाइन सर्वे के आंकड़े :-

कोई भी नवीन शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जनपद की वास्तविक वस्तुस्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति जानने के बाद ही शैक्षिक सुधार के कार्यक्रमों को विकसित तथा क्रियान्वित करना सम्भव हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जनपद में डी.पी.ई.पी. योजना लागू करने से पहले जनपद में बेस लाइन सर्वे किया गया जिसके आकड़े निम्नवत हैं :-

7सारणी -1

कक्षा-2 के विद्यार्थियों की भाषा का औसत

क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		लड़के		लड़कियाँ	
	औसत नं0-467		नं0-187					
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मासनक विचलन	माध्य	मानक विचलन
अक्षर ज्ञान	6.04	3.74	6.53	3.54	6.04	3.60	5.67	3.84
शब्द ज्ञान	3.72	3.77	4.20	3.79	4.13	3.80	3.20	3.66

स्रोत : बेसलाइन सर्वे के आंकड़ों के अनुसार।

सारणी नं0-1 के प्रस्तुत प्रदत्तों से ज्ञात होता है कि अक्षर पढ़ने तथा शब्द पढ़ने की योग्यता लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई गई। इन योग्यताओं का विकास ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक देखा गया। इससे यह संकेत मिलता है कि भाषा के क्षेत्र में शहर की अपेक्षा ग्रामीण तथा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर अधिक ध्यान देना होगा।

सारणी -2

कक्षा-2 के विद्यार्थियों की गणित का औसत

क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		लड़के		लड़कियाँ	
	औसत नं0-467		नं0-187					
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मासनक विचलन	माध्य	मानक विचलन
अंक पहचान	3.03	1.94	3.17	1.92	3.22	1.96	2.72	1.82
जोड़ना	1.47	1.50	1.59	1.53	1.59	1.54	1.36	1.45
घटनाना	1.46	1.62	1.52	1.58	1.45	1.62	1.29	1.57

स्रोत : बेसलाइन सर्वे के आंकड़ों के अनुसार।

सारणी नं0 -2 में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि गणित के क्षेत्र में अंक पहचान, जोड़ना, घटाना में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया जबकि बालक और बालिकाओं के स्तर पर यह प्रतीत हो रहा है कि गणित की उपर्युक्त दक्षताओं में बालक बालिकाओं से अधिक दक्ष पाये गये।

सारणी -3

कक्षा-5 के विद्यार्थियों की भाषा का औसत

क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		लड़के		लड़कियाँ	
	औसत नं0-467		नं0-187					
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मासनक विचलन	माध्य	मानक विचलन
शब्द अर्थ	22.47	4.67	20.40	3.70	21.69	4.43	21.90	4.50
पैराग्राफ पढ़ना	14.88	6.27	13.64	4.19	14.11	5.39	15.42	6.29

स्रोत : बेसलाइन सर्वे के आंकड़ों के अनुसार।

सारणी नं0-3 : उपर्युक्त सारणी के आधार पर यह ज्ञात होता है कि शब्द अर्थ तथा पढ़ने की योग्यता में ग्रामीण तथा शहरी स्तरों के छात्रों में सार्थक अन्तर पाया गया। ग्रामीण छात्रों की शाब्दिक क्षमता शहरी क्षेत्रों से अधिक पाई गई। शब्द अर्थ की योग्यता में लड़के तथा लड़कियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। जबकि पढ़ने की योग्यता में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का स्तर ऊँचा पाया गया।

सारणी -4

कक्षा-5 के विद्यार्थियों की गणित का औसत

क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		लड़के		लड़कियाँ	
	औसत नं0-467		नं0-187					
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मासनक विचलन	माध्य	मानक विचलन
	13.19	4.45	11.85	3.42	12.76	4.17	12.59	4.15

स्रोत : बेसलाइन सर्वे के आंकड़ों के अनुसार।

सारणी-4 : उपर्युक्त सारणी के संकेत देते हैं कि लिंग के आधार पर गणितीय योग्यता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। क्षेत्र वार गणितीय योग्यता में .01 स्तर पर अन्तर पाया गया। शहरी बच्चों की अपेक्षा ग्रामीण बच्चों में गणितीय योग्यता का विकास अधिक पाया गया।

145

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण :-

जनपद में आयोजित डी.पी.ई.पी. के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जनपद में विभिन्न निवेशों को लागू किया गया जैसे - सेवारत प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा प्रशिक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला, समेकित शिक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा मित्र, आचार्य जी प्रशिक्षण आदि। डी.पी.ई.पी. की प्रभावशीलता की जानकारी हेतु एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित माह दिसम्बर 2002 में जनपद में मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण किया गया जिसके आधार पर निष्कर्ष रूप में पाया गया कि कक्षा 2 में माषा व गणित की (लिंगवार व क्षेत्रवार) उपलब्धियों में बढ़ोत्तरी हुई है। आधार भूत सर्वेक्षण की तुलना में मध्यावधि सर्वेक्षण में भाषा एवं गणित में छात्रों की उपलब्धि क्रमशः 27.45% और 70.77% बढ़ी है।

कक्षा 5 के छात्रों में गणित में तुलना करने पर आधरभूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण मे 16.66% अधिक उपलब्धि प्राप्त की।

आंकड़ों स्त्रोत : मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण :-

अधिकतम उपलब्धि स्तर बढ़ाने के लिए जनपद में अभी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सम्पादित कराने की आवश्यकता होगी।

डायट में सम्पादित क्रिया कलाप :-

वर्ष 99 से जनपद को डी.पी.ई.पी. योजना में अच्छादित हाने के पश्चात् डायट स्तर पर या डायट द्वारा वर्ष वार निम्न कार्य सम्पादित कराये गये।

वर्ष 1999-2000

क्रमं	सम्पादित क्रिया कलाप	प्रतिभागी सं0
1.	विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण	159
2.	सेवा पूर्व प्रशिक्षण (बी.टी.सी. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	37
3.	विजनिंग कार्यशाला (डायट प्रवक्ता, बेसिक शिक्षाधिकारी, स.बे.शि. अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक)	30

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	सम्पादित क्रिया कलाप	प्रतिभागी सं0
1.	सेवा पूर्ण प्रशिक्षण (बी.टी.सी. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	37 + 90
2.	बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का अभिमुखी करण प्रशिक्षण (06 दिवसीय)	36
3.	मकतब मदरसों में कार्यरत अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण (01 माह)	06
4.	ब्लॉक संसाधन समूह का अभिप्रेरण प्रशिक्षण (04 दिवसीय)	114
5.	मकतब मदरसों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण (15 दिवसीय)	29
6.	आचार्य जी प्रशिक्षण (30 दिवसीय)	37
7.	वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत आचार्य जी/शिक्षा मित्र मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	34
8.	पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण (ई.सी.सी.ई. 07 दिवसीय)	54
9.	अल्प व्ययी सहा0 सामग्री निर्माण कार्यशाला (02 दिवसीय)	86

उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त ''एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के प्रशिक्षण की प्रभावकारिता विषयक अध्ययन'' नामक शीर्षक पर क्रियाव्यक शोध सम्पन्न किया गया।

विकास खण्ड स्तर पर संचालित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षणों का शैक्षिक समर्थन एवं अनुध्रवण किया गया। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत मुख्य धारा से जुड़े छात्र-छात्राओं के सत्यापन हेतु सर्वेक्षण किया गया। माह जनवरी से डायट स्तर पर मासिक ''डायट समाचार'' प्रकाशित किया गया।

लैब एरिया के परिषदीय प्राथ0 विद्यालयों में शैक्षिक अनुध्रवण एवं समर्थन किया गया।

	वर्ष 2001-2002	
क्र.सं.	सम्पादित क्रिया कलाप	प्रतिभागी सं0
1.	सेवा पूर्ण प्रशिक्षण (बी.टी.सी. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	37 + 90
2.	मृतक आश्रित सेवारत प्रशि0 बी.टी.सी.	40
3.	बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (06 दिवसीय)	51
4.	बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का तृतीय चक्र के प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी हेतु प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	87
5.	डायट प्रवक्ता, बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का शैक्षिक सपोर्ट आधारित प्रशिक्षण (03 दिवसीय)	90
6.	तृतीय चक्र के शिक्षक प्रशिक्षकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (03 दिवसीय)	जनपद के चयनित समस्त समस्त टी.ओ.टी.
7.	सहा. बे.शि.अ. ब्लॉक समन्वयकों का शिक्षक संदर्शिका आधारित प्रशिक्षण (06 दिवसीय)	11
8.	शैक्षिक तकनीकी के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण (03 दिवसीय)	35
9.	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के सेवारत गणित अध्यापकों को एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	105
10.	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के सेवारत विज्ञान अध्यापकों का एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	91
11.	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के सेवारत अंग्रेजी अध्यापकों का एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	85
12.	लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण टी.ओ.टी. (04 दिवसीय)	22
13.	डी.पी.ई.पी. व बेसिक के चयनित शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण (30 दिवसीय)	33 + 118
14.	आर्चाय जी प्रशिक्षण (30 दिवसीय)	06
15.	आंगबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण (04 दिवसीय)	86
16.	कला जत्थों का प्रशिक्षण (स्वयं सेवक सदस्य - 06 दिवसीय)	30
17.	वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण (02 दिवसीय)	75
18.	जन संख्या एवं विकास शिक्षा प्रशिक्षण (02 दिवसीय)	30
19.	साक्षरता अभियान को गति देने हेतु गोष्ठी	25
20.	न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिमाह चार चक्र में चतुर्थ चक्र का रोस्टर प्रशिक्षण (01 दिवसीय)	जनपद के समस्त प्रा.वि. के अध्यापक

डायट स्तर पर डायट मेन्टरों द्वारा परिषदीय विद्यालयों का शैक्षिक अनुश्रवण एंव समर्थन का कार्य सम्पन्न किया गया।

सम्पूर्ण साक्षरता के अन्तर्गत बाह्यीय मूल्यांकन कार्य में सहयोग दिया गया।

ब्लॉक मेन्टरों द्वारा ब्लॉक स्तर पर आयोजित मासिक बैठकों की समीक्षा की गई। डायट स्तर पर बी.आर.सी. समन्वयकों एवं जिला समन्वयकों कीं मासिक बैठकों का आयोजन एंव समीक्षा।

डायट द्वारा अकादमिक संसाधन समूह का गठन एवं बैठकों का अयोजन किया गया तथा आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा एवं भविष्य की कार्य योजना का निर्धारण किया गया।

डायट मासिक न्यूज लैटर व सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला की पुस्तिका का प्रकाशन भी डायट के माध्यम् से किया गया। ब्लॉक स्तर पर आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण आदि का डायट द्वारा अनुश्रवण किया गया।

डायट स्तर पर कक्षा कक्ष निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।

	वर्ष 2002-2003	
क्र.सं.	सम्पादित क्रिया कलाप	प्रतिभागी सं0
1.	बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का वित्त सम्बन्धी प्रशिक्षण	87
2.	बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्रधान अध्यापकों का शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण (प्रत्येक ब्लॉक से चार प्रतिभागी, 03 दिवसीय प्रशिक्षण)	87
3.	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण (बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी. समन्वयक, प्राथ. विद्या. के शिक्षक प्रशिक्षक, 03 दिवसीय)	30
4.	डी.पी.ई.पी. एवं बेसिक से चयनित शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण (30 दिवसीय)	457 +76
5.	आचार्य जी प्रशिक्षण (30 दिवसीय)	85
6.	मकतब मदरसों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण (15 दिवसीय)	27
7.	दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 'स्कूल चलो अभियान', उ0प्र0 में साक्षरता का बदलता हुआ परिहश्य, ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावक संघ का विद्यालयों की योगदान विषयों पर टेली कान्फ्रेन्सिंग	60+42+ 45

डायट मेन्टरों द्वारा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के श्रेणीकरण का संकलन एंव समीक्षा।

डी. श्रेणी के विद्यालयों में विषयानुसार कठिन स्थलों का निराकरण, विद्यालयों में शैक्षिक समर्थन एवं आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण, सहायक सामग्री का प्रदर्शन, कक्षाकक्ष में शिक्षक संदर्शिकाओं का उपयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदर्शन, कक्षा कार्य और गृह कार्य की जांच में सहयोग किया गया।

ब्लॉक मेन्टरों द्वारा विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर अभिलेखों का रख रखाव सुनिश्चित कराया गया।

ब्लाक स्तर एवं डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठकों की समीक्षा की गई।

वर्ष 2003-2004

क्र.सं.	सम्पादित क्रिया कलाप	प्रतिभागी सं0
1.	डी.पी.ई.पी. में चयनित शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (30 दिवसीय)	17

वर्ष 2003-2004

क्र.सं.	प्रस्तावित कार्यक्रम	प्रतिभागी सं0
1.	प्राथमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापकों का नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण (06 दिवसीय)	05 सितम्बर, 03 से 21 अक्टूबर, 03 तक
2.	सहायक अध्यापक प्रशिक्षण (रोस्टर 01 दिवसीय)	नवम्बर, 03 एवं दिसम्बर, 03
3.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का कार्य एवं दायित्व संबंधी प्रशिक्षण (04 दिवसीय)	अक्टूबर, 03 से नवम्बर, 03 तक
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित एवं विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण (08 दिवसीय)	नवम्बर, 03 से जनवरी , 04 तक
5.	डायट संकाय के सदस्य प्रशिक्षण (05 दिवसीय)	नवम्बर, 03
6.	शिक्षा मित्रों का आधारभूत प्रशिक्षण (30 दिवसीय)	सितम्बर, 03
7.	शिक्षा मित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (15 दिवसीय, ब्लॉक स्तर पर)	सितम्बर, 03 से अक्टूबर, 03 तक
8.	समेकित शिक्षा मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	सितम्बर, 03
9.	मॉडेल क्लस्टर की प्रस्तावित 05 न्याय पंचायतों में एम.टी.ए.पी.टी.ए. प्रशिक्षण एवं लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण (02 दिवसीय)	अक्टूबर, नवम्बर 03
10.	ब्रिज कोर्स मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण (03 दिवसीय)	सितम्बर, 03
11.	अनुदेशक प्रशिक्षण (04 दिवसीय)	अक्टूबर, नवम्बर 03
12.	आचार्य जी प्रशिक्षण (30 दिवसीय)	दिसम्बर, 03
13.	आचार्य जी पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	जनवरी, 04

डायट मेन्टरों द्वारा, नवीन प्रविधि से विकसित 10 बिन्दुओं पर आधारित श्रेणीकरण प्रपत्र के आधार पर विद्यालयों का श्रेणीकरण, संकलन एवं समीक्षा की जायेगी।

बी.आर.सी. ए.बी.आर.सी. एवं ब्लॉक मेन्टरों द्वारा सी.डी. श्रेणी के विद्यालयों में शैक्षिक समर्थन एवं सुधार हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

कक्षाकक्ष में शिक्षकों द्वारा शिक्षक संदर्शिकाओं एवं सहायक सामग्री के उचित प्रयोग को सुनिश्चित कराया जायेगा।

जनपद में गुणवत्ता संवर्द्धक हेतु प्रयास :-

प्रदेश में जनपद की निम्न साक्षरता दर को देखते हुए इस जनपद को भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया।

इस योजना के तहत गुणवत्ता संवद्धन हेतु सर्वप्रथम सीमेट इलाहाबाद द्वारा डायट के प्रवक्ताओं तथा समन्वयकों, बी.एस.ए. की विजनिंग कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जनपद में डायट स्तर पर डायट के शेष प्रवक्ताओं, ए.बी.एस. ए., बी.0आर.सी.सी. तथा ए.बी.आर.सी.सी. को तीन दिवसीय विजनिंग कार्यशाला में अभिप्रेरित किया गया।

ब्लाक स्तर पर किये जाने वाले प्रयास :-

आदर्श न्याय पंचायत केन्द्रों तथा विद्यालयों का चयन एवं विकास करना। हर न्याय पंचायत स्तर पर एक तथा ब्लाक स्तर पर कम से कम दो विद्यालय का चयन किया गया जो दूसरे विद्यालयों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में हों इनको मानक के अनुरूप विकसित करने का उत्तरदायित्व डायट मेन्टर, जिला समन्वयक, बी.आर.सी.सी., ए.बी. आर.सी.सी, राज्य संदर्भ समूह के सदस्य तथा टी.ओ.टी. को सौंपा जायेगा। अपेक्षित सुधार के बाद दूसरे अध्यापको को उन विद्यालयों को उन विद्यालयों में जाने, अवलोकन करने तथा अपने विद्यालय को भी उनके अनुरूप विकसित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षक को एक पुस्तिका प्रदान की गयी जिसमें महत्वपूर्ण बिन्दुओं का सैद्धान्तिक व कक्षा 1 से 5 तक भाषा, गणित, ई.वी.एस. ज्ञान विज्ञान विषय की चयनित आदर्श पाठ योजनाओं का समावेश किया गया है। प्रशिक्षण में ये बताया गया कि ये पाठय योजनायें अन्तिम नहीं है। हम इन्हें चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं शिक्षक अनुदान के तहत प्रति अध्यापक प्राप्त 500 रू0 का अनुदान का उपयोग किस प्रकार करें। विद्यालय विकास अनुदान का सही उपयोग किस प्रकार तथा कैसे और

विद्यालय से विभाग द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाओं का संकलन किन-किन प्रोफार्मा में जाना है को मुख्य रूप से उभारा गया।

कक्षा 1 से 5 तक की चौदह पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक पाठ को गतिविध के आधार पर किस प्रकार प्रस्तुत उसके लिए जनपद में छः ब्लाकों के ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. ब्लाक समन्वयकों को शिक्षण संदर्शिकाओं पर आधारित छः दिवसीय प्रशिक्षण अप्रैल माह में डायट में प्रदान किया जा चुका है। इन शिक्षक सन्दर्शिकाओं में प्रत्येक को पाठ पढ़ाने की नयी-नयी गतिविधि आधारित विधायें दी गयी है। प्रशिक्षण में बताया गया कि जब तक हमें पाठ के उद्देश्यों की जानकारी नहीं होगी तब तक पाठ का औचित्यपूर्ण नहीं होगा सबसे पहले पाठ के उद्दश्य ज्ञात होने चाहिए कि इस पाठ से हमें कौन कौन से कौशलों/दक्षताओं को बच्चों में विकसित करना है पाठ का कितना हिस्सा लें और दिया गया पाठ कितने दिन में समाप्त होना चाहिए। शिक्षक ऐसा कौन सा नवीन प्रयास करें ताकि बच्चे शीघ्रता से/आसानी से सीख सकें।

जनपद रामपुर के ब्लाक बार कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की संख्या निम्नवत है :-

सारणी - 5

क्र.सं.	ब्लाक	प्रा0 शिक्षकों की संख्या	उच्च प्राथमिक
1.	सैदनगर	215	28
2.	स्वार	321	36
3.	मिलक	374	82
4.	बिलासपुर	181	44
5.	शाहबाद	278	56
6.	चमरव्वा	324	59
7.	नगर क्षेत्र	166	05
		1859	310

स्रोत : बी.एस.ए. कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

उपयुक्त ब्लाकों के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व जनपद से 30 शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया। उनको नेडा लखनऊ में राज्य संदर्भ के सदस्यों द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनपद में सेवारत प्रशिक्षण के संचालन को तीन चक्रों में विभाजित किया गया।

182

प्रथम चक्र का प्रशिक्षण शिक्षण अभिप्रेरण पर आधारित था। प्रशिक्षण दस दिवसीय था। प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत थे -

1. शिक्षकों को विद्यालय आने, छात्रों की पूरे समय तक पढ़ाने, उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करने, समुदाय के लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने तथा उनकी शैक्षिक कार्यों में सहायता करने के लिए प्रेरित करना।
2. शिक्षकों को बच्चों की कठिनाईयों को समझने में सहायता करना और बच्चों तथा उनके बीच में अच्छे संबंध विकसित करने के लिए प्रेरणा देना।
3. शिक्षकों को क्रियाधारित, खेल आधारित तथा आनन्दपूर्ण शिक्षण विधि विकसित करने तथा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना।
4. स्थानीय सामग्री के प्रयोग से निर्मूल्य, अल्पवययी तथा शिक्षण कार्य में सहायक शैक्षणिक सामग्री का निर्माण तथा प्रयोग के लिए प्रेरित करना।
5. बच्चों में जिज्ञासा का विकास करना।
6. ग्रामीण/पिछड़े बालक/बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक जोर देना।

द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण 'सबल' पुस्तिका पर आधारित दस दिवसीय का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न थे -

1. छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए क्रियाधारित, खेल आधारित तथा रूचिपूर्ण शिक्षा विधियों को वरियता दी गई।
2. शिक्षकों की जानकारी के लिए मॉडल के रूप में पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ गतिविधियों तथा खेल बताये गये और उन्हें अपनी स्थानीय आवश्यकतानुसार इसी प्रकार की गतिविधियाँ करने में दक्ष बनाया गया।
3. विषय वस्तु पर आधारित प्रशिक्षण।
4. दक्षता के आधार पर शिक्षण का नियोजन।

तृतीय चक्र का प्रशिक्षण आठ दिवसीय था जो 'साधन' विचार प्रत्रक पर आधारित था। प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत थे -

1. नवीन पाठ्य पुस्तकों की विशेषतायें, आदर्श पाठ शिक्षण, नियोजन एवं प्रबन्ध, सहायक शैक्षणिक सामग्री सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया।
2. प्रशिक्षण मुख्यतः कक्षा शिक्षण पर आधारित था।

रामपुर

नेशनल प्रोग्राम फार द एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट द एलीमेण्ट्री लेवल

(एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कार्यक्रम

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्बर्धन हेतु एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 नामक कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ महिला साक्षरता दर 30.62 (वर्ष 91 जनगणना) और पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में जेण्डर गैप 27.25 से अधिक हो तथा 642 Urban Wards के मलिन बस्तियों में समलित किया जायेगा। प्रथम चरण में वर्ष 2003–04 हेतु कुल 2374 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये है। अगामी वर्ष में समस्त चिन्हित विकास खण्ड एवं नगरीय वार्डो के अन्य विद्यालयो के आच्छादन की योजना है। परियोजना हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की भांति ही व्ययभार का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन होगा।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन ढाँचा

- राज्य स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। परिषद के अन्तर्गत विकसित जेण्डर यूनिट द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित जिला परियोजना समिति द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्षमता सम्बर्धन हेतु एक जेण्डर यूनिट का गठन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान रखा गया है। अनुदेशक का मानदेय रू0 1000.00 प्रतिमाह होगा तथा एक विद्यालय पर अधिकतम तीन माह के लिए अनुदेशक रखा जायेगा। अनुदेशकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान का मदवार विवरण–

- अनुदेशक मानदेय – 3000.00
- लकड़ी की बेंच एवं मेज (बच्चों के बैठने हेतु)– 15000.00
- अन्य रख–रखाव – 2000.00

2. छात्र मूल्यांकन, Remedial Teaching, ब्रिजकोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत बालिकाओं के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने, विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिजकोर्स अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 10,000.00 की धनराशि प्रस्तावित है।

3. अध्यापक प्रशिक्षण – बालिकाओं के कौशल विकास हेतु पर एक विद्यालय के 4 अध्यापकों को कार्यानुभव शिक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत प्रति अध्यापक प्रति दिन रू0 70.00 होगी।

4. शिशु शिक्षा केन्द्र :– आंगनवाड़ी विभाग के साथ कन्वर्जेंस करते हुए क्लस्टर विद्यालय पर ई.सी.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर केन्द्र संचालन मीना मंच द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है। प्रति केन्द्र रू0 6000 की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्र संचालन की प्रक्रिया तथा बजट का ब्रेक–अप निम्नवत है।

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

केन्द्र स्थापना –2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा क्रय प्रक्रिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वर्क बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का फॉटवार विवरण निम्न है।

प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी । रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी0ए0 / डी0ए0– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू0 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	बेइंग मशीन	@ 500.00
4	किताबें	@ 5000.00
5	साउन्ड सिस्टम 1	@ 1500.00

6	आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन)	@ 1500.00
7	अन्य आवश्यकतानुसार	3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003–04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के 623 नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के मलिन बस्तियों 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वार्डों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :– (A) कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

LIST Regarding 8 selected districts

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

	जनपद का नाम	महिला साक्षरता दर जनपद (%)	जेन्डर गैप जनपद (%)	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (%)	जेन्डर गैप (%)	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
1	बहराइच		21.17	शिवपुर	5.01	21.8			0
				पयागपुर	13.32	35.1			0
				चित्तौरा	8.11	31.81			0
				कैसरगंज	10.35	25.76			0
				महसी	10.64	26.56			0
				जरवल	9.62	26.04			0
				मिहीपुरवा	7.53	22.03			0
	13			बलहा	5.59	22.55			0
				तेजवा पुर	8.2	24.65			0
				हून्नूरपुर	14.48	24.51			0
				विश्वेश्यर गंज	11.01	34.74			0
				फखरपुर	8.92	24.04			0
				नवाबगंज	8.42	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.3	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.1	28.8			0
				मुजेहना	8.7	30.5			0
				इटियाथोक	8.1	30.9			0
				रूपैडीह	7.7	31.02			0
				वजीरगंज	12.3	33.01			0
	16			नवाबगंज	10.2	27.05			0
				तरबगंज	10.8	30.09			0
				बेलसर	10.7	29.03			0
				कटराबाजार	5.5	28.06			0
				करनैलगंज	9.8	27.8			0
				बभनजोत	9.7	28.6			0
				छपिया	15.8	32.3			0
				हलधरमऊ	9.9	33			0
				मनकापुर	14.1	31.04			0
				परसपुर	12.6	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.99	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.31	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरमुर रानी	20.12	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.12	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.63	29.73	6256	5780	12036
4	बलरामपुर		23.21	उतरौला	17.7	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बाजार	10.4	27.3	2510	2264	4774
				हरैया सतधरवा	4.5	22.3	4639	3932	8571
				बलरामपुर	9.9	25.6	4691	4234	8925
				तुलसीपुर	7.2	18.6	4520	3939	8459
				पचपूड़वा	8.7	25.3	5346	5547	10893
				बैसड़ी	7.2	20.5	3872	3724	7596

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गेप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
				गैण्डासबुजुर्ग	9.8	23.8	1497	1475	2972
				श्रीदत्त गंज	7.8	24.2	2942	2691	5633
5	रामपुर		18.48	स्वार	9.08	17.03	9448	9380	18828
				बिलासपुर	16.8	18.01	7511	7167	14678
				सैदनगर	3.07	17.02	5769	6812	12581
				चमरौआ	3.09	18.05	5583	5143	10726
				शाहबाद	5.04	22.01	8744	8837	17581
				मिलक	8.03	25.07	5639	5244	10883
6	बदायूँ			कावर चौक	6.44	21.25	3752	3645	7397
				उझानी	13.44	25.63	4212	4435	8647
				इस्लामनगर	9.33	24.96	4507	4371	8878
				सालार पुर	9.52	24.57	4643	4399	9042
				सहसवान	4.84	17.89	10997	9544	20541
				जगत	11.08	25.7	4179	4748	8927
				जूनावई	4.08	20.99	4160	4281	8441
				दातागंज	9.36	22.19	4490	4278	8768
				उसावा	6.47	20.89	4447	3445	7892
				मिआउल	10.62	26	4413	4757	9170
				समरेर	7.33	23.34	4800	4443	9243
				वजीरगंज	10.35	26.16	864	912	1776
				अम्बियापुर	9.71	23.32	6346	6230	12576
				गुन्नौर	3.81	19.58	8271	9093	17364
				आसफपुर	10.63	27.06	5901	5305	11206
				बिसौली	10.42	26.81	5478	5975	11453
				रजपुरा	3.4	16.18	7549	8553	16102
				दहगया	3.76	13.59	9102	8397	17499
7	सिद्धार्थनगर	11.92	29.4	साथा	12.62	34.86			0
				खसहरा	10.79	31.28			0
				बांसी	8.01	26.32			0
				मिठवल	11.96	32.56			0
				डुमरियागंज	19.22	28.39			0
				भनवापुर	9.57	26.75			0
				इटवा	10.63	23.65			0
				खुनियांव	6.44	25.94			0
				जोगिया	5.07	27.77			0
				उरका	11.02	30.38			0
				नौगढ़	10.64	33.19			0
				शांहरतगढ़	8.68	30.94			0
				बढ़नी	9.34	22.08			0
				वर्डपुर	11.05	32.06			0
8	महाराजगंज		35.04	बिठौरा	27.05	39	2214	2779	4993
				निचलौल	25.5	27.06	12094	5711	17805
				सिसवां	28.04	37	3997	5476	9473

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें बालक	बालिका	योग
			घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
			पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
			पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
			फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
			धानी	28.05	37.09	904	913	1817
			लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
			नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष **2003-04**

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahraich	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	280000
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	140000
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	7840
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	6000
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	227500
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**1506620**

Rampur		Maharajganj		Siddarthngar		Total	
Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	120000	11	220000	12	240000	91	1820000
0	0	0	0	0	0	9	0
6	60000	11	110000	12	120000	91	910000
0		0		0		0	0
24	3360	44	6160	44	6160	360	50400
3	18000	0	0	6	36000	58	348000
1500	97500	2750	178750	3000	195000	22055	1433575
4	140000	4	140000	4	140000	32	1120000
6	180000	11	330000	12	360000	91	2730000
3	600000	10	2000000	6	1200000	68	13600000
	1218860		2984910		2297160	0	22011975
	73131.6		179094.6		137829.6	0	1320718.5
1552	**1291992**	**2841**	**3164005**	**3096**	**2434990**	**22855**	**45344668.5**

3. शौक्षित नवाचारों जैसे कविता, कहानी, समाचार पत्र, क्रियात्मक शोध, समाचार पत्र, भित्ति चित्र आदि पर चर्चा ।

जनपद में समयाभाव के कारण प्रथम एवं द्वितीय चक्र की मिलाकर समेकित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों तथा अभिभावकों के अभिप्रेरण कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है । जिससे अभिभावक अपने बच्चों को कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण अवश्य करवायें । नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें तथा शैक्षिक विकास के लिए उनको आवश्यक सहयोग दें ।

उच्च प्राथमिक शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन अपेक्षित है तथा सेवारत प्रशिक्षणों, गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु विषय आधारित प्रशिक्षणों की आवश्यकता होगी । शैक्षिक कार्यक्रमों को गति देने के लिए शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों से संबंधित प्रशिक्षणों की भी आवश्यकता होगी ।

प्रभावी अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन :-

जैसे कि पूर्व आंकड़ों से विदित है कि प्रभावी अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन के अभाव में अधिकतर प्रशिक्षकों का व्यवहारिक पक्ष शून्य रहा । डी.पी.ई.पी. के सहयोग से डायट अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का एक प्रभावी घटक है । इसके अनुश्रवण के लिए जनपद स्तर पर डायट, जिला समन्वयकों, ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों सह समन्वयकों तथा न्याय पंचायत समन्वयकों को नियुक्त किया गया ये लोग प्रभावी अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन कर सकें इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षकों की व्यवस्था की गयी है ।

डायट के प्रवक्ताओं/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला समन्वयक/एवं ब्लाक समन्वयक तथा एक न्याय पंचायत समन्वयक को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में "शैक्षिक सपोर्ट" आधारित प्रशिक्षण राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा डायट हाथरस एवं मुजफ्फरनगर में प्रदान किया जा चुका है । इनके द्वारा "शैक्षिक सपोर्ट" आधारित प्रशिक्षण जनपद के ब्लाक समन्वयकों, सह समन्वयकों तथा न्याय पंचायत समन्वयकों को दिया जा चुका है ।

जनपद रामपुर के प्राथमिक विद्यालयों के माह जुलाई का श्रेणीकरण

सारणी-6

ब्लाक	कुल प्रा0 विद्यालय	श्रेणी A	B	C	D	बन्द विद्यालय	योग
स्वार	218	---	156	56	01	05	218
सैदनगर	109	04	78	25	01	01	
चमरौआ	125	06	101	15	02	01	125
मिलक	194	23	138	32	01	---	194
बिलासपुर	154	03	117	26	03	05	154
शाहबाद	190	01	41	119	28	01	190

स्रोत : जनपद के बी.आर.सी. समन्वयकों से प्राप्त आंकड़े ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यक प्रशिक्षण :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभैमिकरण हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में जनपद रामपुर में संचालित है। जिसके अन्तर्गत 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों हेतु स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन, समुदाय की सक्रिय भागीदारी, बालिकाओं की शिक्षा वृद्धि हेतु विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापरक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा की वृहद् व्यवस्था है। चूकि उपर्युक्त योजना वर्ष 2004 तक के लिए है तथा इसमें कक्षा 6 से 8 तक बालक बालिकाओं की शिक्षा की शैक्षिक आवश्यकताओं, कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति में सुधार, शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु सहयोगी समर्थन, शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण, विषय वस्तु का ज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। प्राथमिक शिक्षा में नगर क्षेत्र भी उपर्युक्त व्यवस्थाओं से अछूता रह गया है।

जनपद के समस्त 6 से 14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं को जीवनोपयोगी व गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य पूरा करने हेतु जनपद रामपुर में सर्व शिक्षा अभियान योजना का प्ररम्भ किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है :-

155

1. प्रत्येक विद्यालय के लिए लक्ष्य क्षेत्र के अन्दर आने वाले निर्धारित आयु सीमा के बालकों का सन् 2003 तक विद्यालय में नामांकन।

2. लक्ष्य समूह के सभी छात्रों के द्वारा सन् 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी करना।

3. लक्ष्य समूह के सभी बच्चों द्वारा वर्ष 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करना।

4. लक्ष्य समूह के सभी बच्चों द्वारा क्षमता तथा योग्यताओं के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना।

5. सामाजिक विषमता तथा लिंगभेद के आधार पर प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक 2010 तक शैक्षिक सम्प्राप्ति के अन्तर को न्यूनतम स्तर पर लाना।

6. वर्ष 2010 तक विद्यालय की धारण क्षमता को अधिकत स्तर (100 प्रतिशत) तक ले जाना।

अध्यापकों व अभिभावकों की अपेक्षायें :-

दिनांक 29.09.2001 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर के प्रवक्ताओं के द्वारा जनपद के विभिन्न ब्लाकों के लगभग 19 प्राथमिक विद्यालयों में जाकर वहां कार्यरत लगभग 87 अध्यापकों/अध्यापिकाओं और समाज के संभ्रात व्यक्तियों से बातचीत की गई। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं और समाज की अपेक्षायें को जानना था।

इस दौरान जहां प्राथमिक शिक्षकों से बातचीत हुई वहीं समाज के विभिन्न जाति/धर्म के लोगों ने बताया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान अब विद्यालयों में अधिक बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनका नामांकन और ठहराव में वृद्धि हुई है। बालिकाओं को भी प्रोत्साहित किया गया है। यदि ऐसे कार्यक्रम वृहत स्तर पर संचालित किय जाये तो बच्चे निःसन्देह ही विद्यालयों की ओर आकर्षित होंगे और निरक्षरता को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

अवलोकन के दौरान कार्यरत शिक्षकों से बातचीत करने पर उभरी मुख्य अपेक्षायें निम्नवत हैं :-

1. विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या का अनुपात बच्चों की संख्या के अनुपात से कम है यदि मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्त किया जाये तो ह्रास एवं अवरोध की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

2. प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक-पृथक शिक्षण कक्ष होना चाहिए और जो विद्यालय भवन अपूर्ण है या मरम्मत योग्य हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों में व्यस्त रखने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं उलझाना चाहिए।

4. ऐसे विद्यालय जहां चाहरदीवारी नहीं है, वहां चाहरदीवारी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कोई शैक्षणिक क्रियाकलाप में पेरशानी न हो।

5. प्रति माह वेतन का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए।

6. नवीन पाठ्य पुस्तकों में आई शैक्षणिक एवं व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

7. समय-समय पर सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते रहना चाहिए।

अभिभावकों की अपेक्षायें :-

1. विद्यालय में सुचारू व नियमित पढ़ाई नहीं होती। इसे नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

2. आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बच्चों की विद्यालयों में नहीं भेज पा रहे हैं।

3. उच्च प्राथमिक स्तर तक बालिकाओं को अधिक आयु की हो जाने के कारण असुरक्षा की भावना से विद्यालय नहीं भेजते। अतः नवीन कन्या प्राथमिक विद्यालय व कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना चाहिए।

4. पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें। विशेष तौर पर बालिकाओं के लिए तो ऐसे कार्यक्रम की अत्यन्त आवश्यकता है।

5. विद्यालय भवन और बच्चों की बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6. समय-समय पर बच्चों का स्वास्थ्य-परीक्षण भी किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की योजना का निर्माण करने में वर्तमान में चल रही डी.पी.ई.पी.. योजना के तहत किये गये कार्यों की समीक्षा तथा जनपद के शिक्षकों तथा अभिभावकों से प्राप्त अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा में गुणवत्ता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षणों की योजना निम्नवत् है :-

1. सामुदायिक सहभागिता :-

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण हेतु समुदाय को प्रेरित करने के लिए जनजागरण तथा अभिप्रेरण अभियान चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत स्कूल चलो अभियान, रैली, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला जत्था, प्रचार-प्रसार, भित्ति लेखन, अखबार प्रकाश, नव-संचार साधनों द्वारा जनजागृति आदि सम्मिलित है। इन्हें और अधिक व्यापक रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकजता है।

ग्राम सभाओं में नियुक्त ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को उनके दायित्व की जानकारी तथा शैक्षिक विकास के कार्यों में सहायता करने के लिए अभिप्रेरण शिविर लगाये गये हैं।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों तथा उनके अभिभावकों को भी इस समिति के द्वारा अभिप्रेरित किये जाने की आवश्यकता है। इन समितियों को परियोजना के प्रारम्भ से हर तीसरे वर्ष प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता होगी तथा यदि कहीं समिति के सदस्य परिवर्तित होते हैं तो उनके प्रशिक्षण की अतिरिक्त व्यवस्था अपेक्षित है।

2. बालिका शिक्षा :-

डी.पी.ई.पी योजना के तहत लिंग भेद को कम करने हेतु लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षणों की श्रृखंला 15 आदर्श न्याय पंचायतों में संचालित है। 10 आदर्श न्याय पंचायत के अन्तर्गत लिंग संवेदीकरण संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके है। शेष 5 आदर्श न्याय पंचायतों में लिंग संवेदीकरण व महिला प्रेरक समूह, माता अभिभाव्य संघों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा रहा है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लिंग भेद कम करने के उद्देश्य से उपर्युक्त प्रशिक्षणों को सभी न्याय पंचायतों में आयोजित किए जाने की आवश्यकता होगी।

प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों की 15 न्याय पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के 5 वार्ड में लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा। उपर्युक्त 15+5 न्याय पंचायत एवं वार्ड के विद्यालयों में बने माता अभिभावक संघ तथा महिला प्रेरक समूहों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

सामुदायिक अभिप्रेरण तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे कला जत्था, मीना कैम्पेन, संशोधित फिल्म, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के जनपद स्तर पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए राजस्तरीय टीम के द्वारा जनपदस्तरीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है।

ऐसी बालिकायें जो 14 वर्ष से अधिक है तथा विद्यालय जाने में संकोच करती है या अन्य किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पा रही है उनको अभिप्रेरित करने हेतु ग्रीष्मकालीन शिविर की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के लिए इस प्रकार के शिविर केन्द्रों का आयोजन अपेक्षित किया जा रहा है तथा ब्रिज कोर्स भी संचालित किये जायेंगे।

11 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां शिक्षा के बाद जीविकापार्जन हेतु कोई व्यवसाय या घरेलु कार्य आदि सीखना चाहती हैं उनके लिए किशोरी केन्द्रों की स्थापना अपेक्षित है। इन केन्द्रों के प्रति शिक्षिकों की जनपद स्तर पर प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता होगी।

3. वैकल्पिक शिक्षा :-

वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सामान्य बच्चे तथा 6 से 18 वर्ष के विकलांग बच्चे जो प्राथमिक विद्यालयों में नामाकित नहीं हो पाये हैं या विद्यालय बीच में छोड़ चुके हैं या ऐसे बच्चे जो अस्थायी रूप से निवासी होते हैं (धुमन्तु बच्चे, बाल श्रमिक आदि) के लिए व्यवस्था की गई है।

ऐसी असेवित बस्तियाँ जहां एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं है तथा 30 बच्चे उपलब्ध हैं (विशेष परिस्थिति में 15 भी हो सकते हैं) वहां विद्या केन्द्रों में पढ़ाने हेतु आचार्य भी नियुक्त हैं, जिनको डायट स्तर पर प्रशिक्षित संदर्भदाताओं द्वारा 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

ए.आई.ई. के अन्तर्गत प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ज्ञानकेन्द्र तथा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ज्ञान शाखायें खोलने का प्राविधान है। इन केन्द्रों में पढ़ाने हेतु गुरूजी/दीदी जी की नियुक्ति की जायेगी तथा उनको डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

ऐसे बच्चे जो मकतब, मदरसों में केवल दीनी तालीम लेते हैं लेकिन स्कूली शिक्षा से वंचित है उनको उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक जोड़ने की आवश्यकता होगी अतः मकतब/मदरसों के अनुदेशकों का डायट स्तर पर प्रशिक्षण अपेक्षित है।

वैकल्पिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है।

4. समेकित शिक्षा :-

सामान्य प्राथमिक कक्षाओं में शरीरिक/मानसिक चुनौती पूर्ण बच्चों का शिक्षण समेकित शिक्षा के अन्तर्गत आता है। ब्लाक स्तर पर उपर्युक्त बच्चों का चिन्हीकरण, डाक्टरी परीक्षण तथा विकलांगता के आधार पर उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है तथा प्राथमिक विद्यालयों के आध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी इस प्रकार के बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

वर्ष 2003 से 2007 तक वर्षवार प्रस्तावित कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षकों के लिए

वर्ष 2003-2004

क्र.सं.	क्रिया कलाप	विषय
1.	प्रशिक्षण	- सहा0 अध्यापक प्रशिक्षण रोस्टर (01 दिवसीय) न्याय संचायत स्तर पर
		- प्राथमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापकों का नेतृत्व प्रशिक्षण (06 दिवसीय) ब्लाक स्तर - समस्त प्रधान अध्यापक।
		- पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण (विज्ञान, गणित) 08 दिवसीय-ब्लाक स्तर - समस्त प्रधान अध्यापक, अध्यापक, शिक्षा मित्र।
		- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, श्रेणी करण प्रशिक्षण। (01 दिवसीय - न्याय पंचायत स्तर पर)
		- शैक्षिक नवाचार क्रियात्मक शोध संबंधी प्रशिक्षण
		- शिक्षामित्र आधारभूत प्रशिक्षण (30 दिवसीय) शिक्षामित्र पुनबेधित्यक प्रशिक्षण - ब्लाक स्तर
		- समेकित शिक्षा मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण
		- समेकित शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण
		- बालिका शिक्षा ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण
		- लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण
		- ब्रिज कोर्स मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण (03 दिवसीय)
		- वैकल्पिक शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण (04 दिवसीय)
		- आचार्य जी आधारभूत प्रशिक्षण (30 दिवसीय)
		- आचार्य जी पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (15 दिवसीय)
		- बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का कार्य एवं दायित्व संबंधी प्रशिक्षण।
2.	कार्यशाला	- विजनिंग कार्यशाला (03 दिवसीय)
	सेमीनार	- शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यशाला (102 दिवसीय)
	प्रतियोगिताएं	- मैटीरियल मेला (01 दिवसीय न्यायपंचायत स्तर पर)

वर्ष 2004-2005

क्र.सं.	क्रिया कलाप	विषय
1.	प्रशिक्षण	- प्राथमिक विद्यालय के समस्त अध्यापक, प्रधान अध्यापक, शिक्षामित्रों का बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण (ब्लॉक स्तर - 06 दिवसीय) - समेकित पाठों का चयन संबंधी प्रशिक्षण (ब्लॉक स्तर - 04 दिवसीय) - सहायक अध्यापक प्रशिक्षण रोस्टर (01 दिवसीय) - न्याय पंचायत स्तर पर (मासिक प्रशिक्षण) - शिक्षा मित्र आधारभूत एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण - सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण - अध्यापकों की शैक्षिक समस्याओं की जानकारी आधारित प्रशिक्षण
2.	कार्यशाला सेमीनार प्रतियोगिताएं	- समेकित पाठों का नियोजन एवं प्रबन्ध कार्यशाला (न्याय पंचायत स्तर पर - 02 दिवसीय) - स्थानीय सामग्री निर्माण शाला (02 दिवसीय) ब्लॉक स्तर - मैटीरियल मेला

वर्ष 2005-2006

क्र.सं.	क्रिया कलाप	विषय
1.	प्रशिक्षण	- विषयाधारित शिक्षण सामग्री चयन निर्माण संबंधी प्रशिक्षण (08 दिवसीय) ब्लॉक स्तर - सहा0 अध्यापक प्रशिक्षण - रोस्टर (01 दिवसीय) न्याय पंचायत स्तर पर (मासिक प्रशिक्षण) - शिक्षा मित्र/आचार्य जी आधारभूत प्रशिक्षण पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण
2.	कार्यशाला सेमीनार प्रतियोगिताएं	- स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अपने विद्यालय के लिए उपयोगी खेलों का चयन/निर्माण एवं प्रयोग कार्यशाला (03 दिवसीय ब्लॉक स्तर पर) - रुचिपूर्ण शिक्षा के लिए शैक्षिक नवाचारों (बालगीत, स्थानीय कहानियों का संग्रह, मित्ति चित्र, समाचार पत्र का निर्माण एवं प्रयोग कार्यशाला 03 दिवसीय - ब्लाक स्तर) - मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण कार्यशाला 02 दिवसीय न्याय पंचायत स्तर पर - बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की समस्याओं की जानकारी कार्यशाला एक दिवसीय

वर्ष 2006-2007

क्र.सं.	क्रिया कलाप	विषय
1.	प्रशिक्षण	- प्रा0 वि0 के प्र. अ. की नेतृत्व समस्या की जानकारी एवं सुझाव सम्बन्धी प्रशिक्षण (04 दिवसीय) ब्लॉक स्तर - भाषा व सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु पर आधारित प्रशिक्षण (08 दिवसीय - ब्लॉक स्तर प्रा. वि. के समस्त अध्यापक, प्र. अ. शिक्षा मित्र) - भाषा के उच्चारण एवं वर्तनी दोष निवारण करने हेतु दृश्य-श्रव्य उपकरणों का उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण (03 दिवसीय ब्लॉक स्तर) - पांच वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण (05 दिवसीय) - पदोन्नति प्राप्त प्रा.वि.प्र.अ. का प्रशिक्षण (05 दिवसीय) - शिक्षा मित्र/आचार्य जी पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण
2.	कार्यशाला सेमिनार प्रतियोगिताएं	- विषय वस्तु आधारित प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला (02 दिवसीय ब्लॉक स्तर पर) - विषय सम्बन्धी शिक्षण सामग्री का निर्माण कार्यशाला (ब्लॉक स्तर 02 दिवसीय) - मेटीरियल मेला प्रतियोगिता न्याय पंचायत स्तर

उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. अथवा प्राचार्य एस.आई.ई. या अन्य शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित कार्यक्रमों का भी समयानुसार समायोजन किया जायेगा। समस्त प्रशिक्षणों में नगर क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जायेगा।

वर्ष 2003 से 2007 तक वर्षवार प्रस्तावित कार्यक्रम
उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कोई कार्यक्रम नियोजित नहीं हो पाया। सर्व शिक्षा के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक/प्रधान अध्यापक तथा ऐसे उच्चतर मा0/इण्टर कालेज जिनमें 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, के शिक्षक/शिक्षिका भी प्रतिभाग करेंगे। ये प्रशिक्षण प्रतिवर्ष संचालित किए जायेंगे। अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है अतः शिक्षक प्रशिक्षण भी विषयवार आयोजित किए जायेंगे।

वर्ष 2003-2004

क्र.सं.	क्रिया कलाप	विषय
1.	प्रशिक्षण	- अध्यापकों हेतु गणित विषय का शिक्षण, विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री का निर्माण संबंधी प्रशिक्षण। (06 दिवसीय) - भाषा विषय का शिक्षण, शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण सामग्री निर्माण संबंधी प्रशिक्षण (06 दिवसीय) - लिंग संवेदीकरण के टी.ओ.टी. का प्रशिक्षण - उच्च प्राथ. के नवनियुक्त शिक्षामित्रों का आधारभूत प्रशिक्षण (30 दिवसीय)
		(35)
		- पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (15 दिवसीय) - उच्च प्राथमिक विद्यालय में चयनित गुरू जी, दीदी जी का प्रशिक्षण (30 दिवसीय) - पुनर्बोधात्मक (15 दिवसीय) - उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए चयनित टी.ओ.टी. का प्रशिक्षण (ग्रामीण व नगर क्षेत्र - 08 दिवसीय) - बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., ए.बी.आर.सी. के कार्य एवं दायित्व संबंधी प्रशिक्षण (05 दिवसीय) - शैक्षिक सपोर्ट आधारित प्रशिक्षण (03 दिवसीय) - सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के टी.ओ.टी. का प्रशिक्षण (04 दिवसीय) - नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण (06 दिवसीय) - शैक्षिक नवाचार संबंधी प्रशिक्षण (02 दिवसीय)
2.	कार्यशाला सेमीनार प्रतियोगिताएं	- गणित व भाषा की सहा. सामग्री का निर्माण संबंधी कार्यशाला (03 दिवसीय) - गणित व भाषा विषय के प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला (02 दिवसीय) - टी.एल.एम. रख-रखाव संबंधी कार्यशाला (02 दिवसीय) - मैटीरियल मेला (01 दिवसीय)

वर्ष 2004-2005

क्र.सं.	क्रिया कलाप	विषय
1.	प्रशिक्षण	- विज्ञान विषय का शिक्षण, विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री निर्माण संबंधी प्रशिक्षण (06 दिवसीय) - सामा. अध्ययन विषय वस्तु का ज्ञान शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री निर्माण संबंधी प्रशिक्षण (06 दिवसीय) - शैक्षिक सपोर्ट आधारित प्रशिक्षण (03 दिवसीय) - शिक्षक संदर्शिका आधारित प्रशिक्षण टी.ओ.टी. के लिए (10 दिवसीय) - ए.वी.एस.ए./एस.डी.आई./डी.आई. का अनुस्थापन संबंधी प्रशिक्षण (एस.एस.ए. की पूरी जानकारी - 05 दिवसीय) - अकादमिक संसाधन समूह के कार्य एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रशिक्षण (एस.एस.ए. परियोजना की संक्षिप्त जानकारी) (02 दिवसीय) - बालिका शिक्षा, लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण (03 दिवसीय, ब्लॉक स्तर पर) - बी.आर.जी. के सदस्यों का प्रशिक्षण (04 दिवसीय) - उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों का नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण (06 दिवसीय)
2.	कार्यशाला सेतीनार प्रतियोगिताएं	- विज्ञान व सामा0 विषय की सहायक सामग्री निर्माण संबंधी कार्यशाला। - विज्ञान व सामा0 अध्ययन विषय के प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशाला। - विभिन्न कार्यशालाओं में बनाया गया टी.एल.एम. का प्रदर्शन प्रतियोगिता।

वर्ष 2005-2006

क्र.सं.	क्रिया कलाप	विषय
1.	प्रशिक्षण	- अंग्रेजी विषय का शिक्षण, विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण विधियां, सहा. सामग्री निर्माण संबंधी प्रशिक्षण (06 दिवसीय) - संस्कृत/उर्दू विषय का शिक्षण, विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण विधियां, सहा. सामग्री निर्माण संबंधी प्रशिक्षण (06 दिवसीय) - आदर्श पाठों का प्रस्तुति करण, समस्या एवं कठिनाईयों के समाधान पर आधारित मासिक प्रशिक्षण (01 दिवसीय-न्याय पंचायत स्तर पर) - क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण (05 दिवसीय) - उच्च प्राथ0 के शिक्षकों का बहुकशा शिक्षण प्रशिक्षण (05 दिवसीय) - उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक/अध्यापकों का कार्यानुभव शिक्षक प्रशिक्षण (05 दिवसीय)
2.	कार्यशाला सेमीनार प्रतियोगिताएं	- संस्कृत/उर्दू/अंग्रेजी प्रश्न बैंक का निर्माण कार्यशाला - मैटीरियल मेला (02 दिवसीय) - वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला (02 दिवसीय, बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., नगर क्षेत्र सहित)

वर्ष 2006-2007

क्र.सं.	क्रिया कलाप	विषय
1.	प्रशिक्षण	- शैक्षिक समस्याओं की जानकारी संबंधी प्रशिक्षण (02 दिवसीय) - सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण (06 दिवसीय) - न्याय पंचायत स्तर पर मासिक प्रशिक्षण (वर्ष में एक बार - पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षण का फॉलोअप कार्यक्रम) - क्रियात्मक शोध संबंधी प्रशिक्षण (04 दिवसीय)
2.	कार्यशाला सेमीनार प्रतियोगिताएं	- भाषा, गणित, विज्ञान, सामा. अध्ययन, अंग्रेजी, संस्कृत/उर्दू विषय के कठिन स्थलों का चयन और आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण कार्यशाला (विषय विशेषज्ञ द्वारा) (प्रति विषय की 02 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।)

उपर्युक्त प्रस्तावित पशिक्षणों के अतिरिक्त उचच प्राथमिक विद्यालयों के अध यापकों हेतु विषयवार प्रशिक्षण एस.ओ.पी.टी. के अन्तर्गत नियोजित किए गये हैं। जिसमें जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का एस.ओ.पी.टी. गणित, विज्ञान, अंग्रेजी का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। निदेशक एस.सी.आर.टी., प्राचार्य एस.आई.ई. या अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों को भी समय-समय पर नियोजित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा, सामु0 शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, समेकित शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित केन्द्रों के अनुदेशकों, मास्टर ट्रेनर, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, विद्यालय ना जाने वाली बालिकाओं हेतु निर्धारित प्रशिक्षणों को भी वर्ष अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। नगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए निम्न अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण :-

विज्ञान के बदलते इस परिवेश में बच्चों तक नवीन वैज्ञानिक विधाओं को पहुंचाने के लिए जनपद के छः विकास खण्डों में प्रत्येक विकास खण्ड के दो-दो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की जानी है। इस प्रशिक्षण की श्रृशंला में सबसे पहले डायट के सदस्यों का एक माह का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्र खोले गये हैं वहां के प्रधानाध्यापक तथा एक उत्साही शिक्षक को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण डायट के उन प्रशिक्षकों के द्वारा डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण का अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित दल के द्वारा किया जायेगा और उनकी आख्या के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे भी विस्तारित किया जाना अपेक्षित है।

नेतृत्व प्रशिक्षण :-

जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को उनके कार्य, दायित्वों एवं नेतृत्व सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जाना आपेक्षित है। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से कार्य कुशलता बढ़ाने, समय प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन तथा समुदाय की भागीदारी पर आधारित होगा। ये प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तो डायट में प्रदान किया जायेगा। इसका प्रशिक्षण पैकेज डायट और एन.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से विकसित किया जायेगा।

एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :-

परियोजना प्रारम्भ होने के प्रथम वर्ष में जिला परियोजना कार्यालय तथा डायट के स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद द्वारा आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदीय टीम के प्रशिक्षण के साथ-साथ पुनर्बोध प्रशिक्षण भी आगामी वर्षों में आयोजित किये जायेंगे।

विद्यालयों में कार्य अवधि का उचित नियोजन :-

डायट प्रवक्ताओं द्वारा अवलोकित सभी विकास खण्डों के प्रा0 विद्यालयों के प्रदत्तों से ज्ञात हुआ कि बहुत कम विद्यालयों में समय सारिणी बनी है। समय सारिणी के अनुसार शिक्षण कार्य बहुत कम किया जाता है। इसका मुख्य कारण एकल अध्यापिकीय विद्यालय तथा विद्यालय भवनों का अपर्याप्त होना है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि समय सारिणी अधिकांश विद्यालयों में बनी है तथा शिक्षण कार्य भी समय सारिणी के अनुसार किया जाता है परन्तु भाषा, गणित एवं विज्ञान को आवश्यकतानुसार वरीयता नहीं दी जा रही है। शिक्षकों में बहुकक्षा शिक्षण की दक्षता का प्रायः अभाव है इसके लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 220 दिवस निर्धारित किये गये हैं परन्तु अवलोकन के पश्चात निम्न लक्ष्य ज्ञात हुआ।

सारणी - 7

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	187	195
परीक्षा दिवस	10	10
अन्य कार्य	10	10
नष्ट होने वाले दिन	8	5
समुदाय सम्पर्क	5	---
कुल	**220**	**220**

स्रोत : डायट मेन्टर द्वारा अवलोकित विद्यालय से प्राप्त आंकड़े।

निर्धारित दिवसों में शिक्षण कार्य के कम दिवस प्राप्त हुए है। प्रतिदिन 5:20 घण्टा की दर से 220 दिन के लिए कुल समय (220×5.20=1173.20) घण्टा होना चाहिए। जबकि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 997:10 घण्टा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे 1040 घण्टा शिक्षण कार्य हो रहा है। जोकि निर्धारित मानक समय से कम हैं।

शिक्षण समय की इसी कमी से शैक्षिक सम्प्राप्ति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों में (Time Management Skill) समय प्रबन्धन दक्षता विकास की आवश्यकता है।

पाठ्य सामग्री :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलाई, 2000 से + नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की गई। वर्ष 2005 से इनका संशाधित स्वरूप लागू किया जायेगा। जनपद में कक्षा 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा शिक्षक संदर्शिकायें प्रत्येक विद्यालय को वितरित की जा चुकी है।

कक्षा 6 से 8 का पाठ्यक्रम वितरित हो चुका है। कक्षा 6 से 8 की पाठ्यपुस्तकें विशेषज्ञों की सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही है। इनकी शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास क्रिया जा रहा है जिसका एक सेट प्रत्येक उ.प्र.वि. में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्यसामग्री उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं को ध्यान में रखकर उनके लिए उपयोगी शिक्षण उपयोग सामग्री विकसित की जायेगी। इसमें उनके जीवन के लिए उपयोगी कौशलों का उचित ध्यान रखा जायेगा।

नवाचार कार्यक्रम :-

जनपद में नवाचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :-

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर अत्याधिक कम है। विद्यालयों में बालिकाओं के ठहराव हेतु प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यपरक शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान देना आवश्यक होगा।

   जनपद में दो विकास खण्डों (सैदनगर और स्वार) के चयनित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (10+10) में बालिकाओं हेतु पैचवर्क कढ़ाई एवं सिलाई

169

को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जायेगा। डायट द्वारा विषय विशेषज्ञों का चयन कर उनके द्वारा चयनित विद्यालयों की शिक्षिकाओं/चयनियत छात्राओं को प्रशिक्षित कराया जायेगा। प्रशिक्षण 5 दिवसीय आवासीय होगा। विषय विशेषज्ञों हेतु मानदेय की व्यवस्था होगी तथा विद्यालयों में छात्राओं को सिलाई एवं कढ़ाई सिखाने हेतु कच्चे माल के क्रय के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जायेगी।

2. नगर क्षेत्र के 5+5 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालक/बालिकाओं को फूलों, सजावटी पौधों की नर्सरी निर्माण तथा उनका स्थान के अनुरूप रोपण करना।

चयनित विद्यालय के प्राथमिक अध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों को डायट द्वारा चयनित विषय विशेषज्ञ द्वारा परिसर सौन्दर्यीकरण एवं व्यवसायोन्मुख शिक्षा में रूचि उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। विशेषज्ञों को मानदेय की व्यवस्था की जायेगी। नर्सरी निर्माण प्ररम्भ करने हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की जायेगी।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्तकार एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था :-

विथिन्न स्तरों पर दो अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी.आर.सी. को प्रति वर्ष 10000.00 तथा प्रति विकासखण्ड एक एन.पी.आर.सी. को रू0 7000.00 की दर से पुरस्कृत किया जायेगा। संकुल स्तर पर दो ग्राम समितियों को क्रमशः रू0 15000 तथा रू0 10000 की दर से पुरस्कृत किया जायेगा। इस राशि का प्रयोग समिति अपने विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। प्रत्येक विकास खण्ड से एक उत्तम अध्यापक का चयन कर उन्हें रू0 5000 से पुरस्कृत किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता :-

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक शैक्षिक सत्र में दो बार विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे। इसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अभिभावक, छात्र/छात्रायें तथा अन्य क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र/छात्राओं की प्रगति आख्यायें वितरित की जायेगी तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति पर चर्चा तथा गुणवत्ता संवर्द्धन के लिए योजना निर्माण की जायेगी।

120

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृणीकरण :-

डायट में अकादमिक सुपरविजन एवं सहयोग हेतु निम्न सात विभाग कार्यरत हैं :-

1. सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण।
2. कार्यानुभव विभाग।
3. जिला संसाधन इकाई।
4. सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय सम्पर्क व प्रवर्तन समन्वयक विभाग।
5. पाठ्यक्रम सामग्री विकास व मूल्यांकन विभाग।
6. शैक्षिक प्रोद्योगिकी विभाग।
7. नियोजन एवं प्रबन्ध विभाग।

उपर्युक्त विभाग सम्बन्धी कार्य करने हेतु डायट में निम्न मानवीय संसाधन उपलब्ध है।

सारणी-8

	सुजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	---	01
उपप्राचार्य	01	---	01
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	02	04
प्रवक्ता	17	11	06
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	---
सांख्यिकीकार	01	---	01
तकनीकि सहायक	01	01	---
कार्यालय अधीक्षक	01	---	01
लेखाकर	01	---	01
पुस्ताकलयाध्यक्ष	01	---	01
शिविर सहायक	01	01	---
कनिष्ठ लिपिक	09	09	---
लैव सहायक	02	02	---
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	05	---

रिक्त पदों पर नियुक्ति के द्वारा संस्थान की क्षमता का अनिवर्द्धन किया जा सकता है। इसके साथ अन्य राज्य स्तरीय विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा डायट के प्रवक्ताओं को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता में विकास किया जाना अपेक्षित है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण :-

संस्थान के पास शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए भौतिक संसाधनों का नितान्त अभाव है। जनपद की अग्रणी शैक्षिक संस्था होने के कारण यहां अनेक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। अतः भौतिक संसाधनों का सुदृढ़ीकरण करने की नितान्त आवश्यकता है जो निम्नवत है :-

क्र.सं.	मद	आवश्यकता
1.	अपूर्ण भवन को पूर्ण करना व मरम्मत	ऊपरी तल पर सभा कक्ष-1 ऊपरी तल पर विज्ञान प्रयोगशाला-1 ऊपरी तल पर प्रसाधन कक्ष छात्रावास पूर्व मरम्मत व ऊपरी तल पर भवन निर्माण
2.	उपकरण मरम्मत	फैक्स मशीन फोटोस्टेट मशीन टाइप राइटर साइक्लों स्टाइल मशीन

संस्थान को सुदृढ़ीकरण करने के लिए निम्न सामान की आवश्यकता होगी :-

क्र.सं.	मद	आवश्यकता
1.	अतिरिक्त भवन	सभागार (लगभग 200 व्यक्तियों के बैठने हेतु) -1
		प्रशिक्षण कक्ष - दो
		कक्षा - कक्षा - दो
		टी.एल.एम.कक्ष - एक
		कम्प्यूटर कक्ष वातानुकमलित - एक
		पुरूष छात्रावास - दो मंजिला डारमेट्री सहित
		पुस्तकालय कक्ष - एक
		विभाग कक्ष - दो
		टाइप - 2 के चार आवास
		टाइप - 3 के चार आवास
		टाइप - 4 के चार आवास
		ओवर हैंड टैंक और ट्यूबैल कक्ष
2.	उपकरण	ट्यूबैल मशीन
		इलेक्ट्रानिक टाइप मशीन - दो
		कम्प्यूटर (प्रिन्टर+यू.पी.एस. + स्नैकर)
		मय सामान - चार
		इलेक्ट्रानिक वाटर कूलर - एक
		पुस्तकालय पुस्तकें
3.	साज सज्जा	बैड - 100
		गद्दे - 100
		तकिया मय कवर - 100
		कम्बल - 100
		चादरें - 200
		कुर्सी - 100
		मेज - 100
		छोटी लोहे की अलमारी - 50

127

अध्याय–10

परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम अन्तर्गत विकेन्द्रित प्रबन्धक प्रणाली का अनुसरण किया जायेगा। मानवीय की सुढल व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की अनुपूर्वक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002 से 2007 तक की होगी। अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक / बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धक कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तमन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिरश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध तन्त्र :– संवेदनशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रकियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाब देही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबोध प्रवाह प्रदान करने और रचनात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित

करने के साथ उ0प्र0 एवं शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है।

निर्णयकर्ता समितियॉ	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा ओर कार्यकारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0ए0पी0बी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एम0सी0ई0आर0टी0एस0आई0 एस0आई0ई0टी0एन0जी0ओ0 आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक	संकुल संसाधन केन्द्र

संगठन ढांचा – नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :–

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

समिति का स्वरूप निम्नवत् है :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष

2. ग्राम पंचायत में स्थित स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहॉ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्टम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

3. बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक सरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी।

- पंचायत क्षेत्र के बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबन्धन करना ।
- ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।
- पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि ओर विकास करना।
- बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत का सुझाव देना।
- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें।
- पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीत से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।
- बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्य को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौपे जायें।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धानरण के साथ–साथ मुख्य कार्य दायित्व व संस्था के रूप में कार्य करती रहती है। जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय समुदायिक भागीदारी के साथ बस्ती / ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने

ओर इसका समयबद्ध कियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा। ताकि बुनयादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपयुर्क्त के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मॉग तद्शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण और अन्य समस्त संसाधनों का सकेन्द्रण (convergence) इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो , आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन / मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृति का वितरण , पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) :–

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सकिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य का दायित्व :–

1 – न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।

2 – अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक कराना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण कराना।

3 – ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।

4 – ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

5 – न्याय पंचायत स्तरीय सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :–

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगा।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं। :–

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य / सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्टतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के कार्यो में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण कराना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला परियोजना शिक्षा समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। तथा सुनिश्चित रोजगार योजना / जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन–ब्लाक स्तर :–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगें। तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों / ब्लाक संसाधन केन्द्रों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और उसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकारी एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगें। सार रूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकरी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें :–

1– सर्व शिक्षा अभियान की नीति एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2– विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3– ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4– ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5– ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकडे एकत्रित कर संकलित करना।

6– सभी प्रकार की छात्रवृतियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचनायें एकत्र करना।

7– खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचनायें संकलित करना।

8– विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के सभी बालक / बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित करानां

9– विद्यालयों का निरीक्षण कराना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10– विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक – छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियॉ सुनिश्चित करना।

11– ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12– अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करन

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ईज0जी0एस0 एम0ए0आई0ई केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वाह करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढाने के उद्देश्य से एक मोटरसाईकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/–प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उसके साथ ही दायित्वों का निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 , सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :–

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना संचालित हो चुकी है। और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित हैं। यहॉ समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह ब्लाक समन्वयक का पद

सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो का पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन , विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठक के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेगें।

शैक्षिक गुणवत्ता एवं समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 पर एक लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक / समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्यो का दायित्व :–

1– अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

2– विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना है कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।

4– विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

4– ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

5– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण के बीच सर्म्पक सूत्र के रूप में कार्य करना।

6– ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करनां

7– विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में नामवार कम्प्यूटराईज्ड तैयार करना।

8– ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सैम्पल चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजनरा समिति के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिला अधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत् है :–

जिला अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
प्राचार्य डायट	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आई0ई0एस0)	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद्(विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से)	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रय से (एक वर्ष के लिये)	
दो शिक्षक (राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त)	
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति निम्रण समिति हैं। जिले स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तग्रत रहते हुये इस जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकारी है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने , रणनीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन , निर्वहन के लिये तकनीकी परीक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण पद प्रचार प्रसार के लिये सभी कार्य इस समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सव्र शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों पर अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समितिः–

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसके सदस्य निम्न प्रकार हैं:–

1–	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
3–	अपर जिला मेजिस्ट्रेट(नियोजन)	पदेन सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5–	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6–	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला) यदि कोई हो ओर उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7–	तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार	सदस्य

द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।

8– विद्यालय उप निरीक्षक जो समिति (पदेन) सदस्य
का सहायक सचिव होगा

जिला बेसिक समिति, परिषद अधीक्षण ओर निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रचार–प्रसार के लिये योजनाएं करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों के लिये स्थल चयन में महत्तवपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

प्रशासनिक तन्त्र :–जिला परियोजना कार्यालयः

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्य–क्रमों का प्रभावी कियान्वयन , उसका दायित्व होगां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्यक्रमो का कियान्वयन करेगें। इस वर्ष में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उत्तर प्रदश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होगें।

1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना समिति
2 उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	
3 (ई0जी0एस0/एआई)	
4 समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति
5 सलाहकार	2रू010,000/नियतवेतन प्रति पद
6 ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	1रू010,000/नियम वेतन प्रतिपद
7 कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक	3–रू07,000/नियम वेतन प्रतिपद
8 सहायक लेखाधिकारी	1 प्रति नियुक्ति पर
9 लिपिक	1 नियमित मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के सरटेनिबिलटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी सृजित नहीं है। उपयुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना अधिकारी के नियंन्त्रण एवं पर्यवेक्षेण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन में उसकेप्रति उत्तरदायित्व होंगे। जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे ।

उपरौक्त स्टाफ से अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायता स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे । परियोजना के कियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भॉति रखी जायेगी ।निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा।ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व में ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रूप्ये 1,000/– प्रति अतिरिक्त कक्षा–कक्ष / न्यायालय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रूपये 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रूप्ये 220 की दर अनुमन्य है।प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0) :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुरवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृण एवं क्रियाशील एम0आई0एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2000–2001 तक के आंकडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्पयूटर उपलब्ध हे। उससे शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यवधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट गानिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एव् वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 संचालनार्थ एवं ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एव् तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स /सांख्यकी सहायक रेखे जायेगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्थ स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिर्पोट व विश्लेषण तत्प-रता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय,अपने स्तर सपर ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार कर सकेगें।वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडो के एक संशाधन के रूप में विकसित हो सकेगा । जिसकाउपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनु-श्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस अधिकारी के कार्य एवं दायित्वः-

जिजा परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0 आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगें।

1- विद्यालयों हेतु सांख्यकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।

2- समय से फील्ड स्टाफ(बी0आर0सी0 समन्वयक,एन0पी0आर0सी0 समन्वयक,प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित करना।

3- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रो का एकत्रीकरण कराना।

4- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैंकिग संपादित कराना तथ परिवर्तन यदि कोई हो ,अभिलिखित करना।

5- समयवद्व दिसम्बर 2001 के अन्त तक डाटा एण्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।

6- संकुलवार व विकास खण्ड वार जनपद के ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी ,प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ,जिला समन्वयक को तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।

सर्वशिक्षा अभियान के जिला परियोजना कायालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकण, विश्लेषण तथा रिर्पोट तैयार कर सभी संबंन्धित को प्रस्तुत/ प्रेषित करे। ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता,कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण,प्रक्षेपण आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः–

विद्यालय सांख्यकीय सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर,प्रधानाध्यापक,संकुल प्रभारी बी0 आर0सी0 समन्वयक,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और इन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने,संकलन,विश्लेषण आदि की जान–कारी दी जायेगी।इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बैन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिग के लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकडों की शुद्वता की जॉच हो सकें।

1– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण(जिला स्तरपर)
यह प्रशिक्षण दो दिवसयी होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी,सभी समन्वयकों, स्टाफ,कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें।

2– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण(ब्लाक स्तर पर)
यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव् बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3– ई0एम0आई0एस0 का प्रश्रिक्षण(न्याय पंचायत स्तर पर)
यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण(प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट, स्तर पर)
एस0पी0ओ0 /सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा। इसमें डी0पी0 ओ0 एव् बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे।प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं् दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्टर इनफारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए नीपा नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाये गा। विद्यालय सांख्यकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है। जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकडो को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात् ई0एम0आई0एवस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुए प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा। ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी, वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्व करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

ऑकडो का उपयोगः–

ई0एम0आई0एस0 आकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इण्डीकेट्र्स जैसे– जी0ई0आर0एन0ई0 आर,ड्राप आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात,कक्षा–कक्ष अनुपात एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे । इन इन्टीकेट्र्स का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना मे तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश संशोधन किसया जा सके। डापस् के अन्तर्गत ई0एम0 आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या विश्लेषण एक ही स्त्रोत से प्राप्त आंकडों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा। तथा तदनुसार कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश /संशोधन अधिष्ठ होगा। ई0एम0आई0ए स0 एवं माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु किया जायेगा।

1– नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहिचान।

2– शिक्षा गांरन्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

3– छात्र संख्या में वृद्वि फलस्वरूप अतिरिक्त कक्ष कक्षाओं की आवश्यकता की पहचान।

– एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण

5– छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

6– अवस्थापना सम्बन्धी मॉग का आंकलन व निर्धारण।

7– शिक्षक का विवरण।

8– विभिन्न स्तरों का विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

9– विकलांगतावार आंकडो के अनुसार उपरकरणें की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0 आई0एस0से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षो एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओ का निर्धारण में किया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहर्ट स्टडीः–

छात्र–छात्राओं के ठहराव मं वृद्वि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक–पृथक से की जायेगी एवं स्टडी की अनुमानित लागत रू0 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंन्ट इन्फोरमेशन सिस्टमः–

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिस कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढोने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षपा कार्यकम के अन्तर्गत एम0ए0सी0आई0(एल0ए0सी0आई0) के अन्तर्गैत कम्प्यूटराईज्ड किया जायेगा, जिसके लिए भी इन0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसकों और अधिक सुदृढ किया जायेगा परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होगें।

1– विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणौ के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर्स/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रश्रिक्षण कराना।

2– राज्य एवृं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अधिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिए 'डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3– ब्लाक स्तर से सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शौक्षिक कार्यक्रमो,शिक्षण विधियक और लक्ष्यों से अवगत करना।

4– जिला स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोधकार्य करना और उसके परिणाम /निष्कर्षी की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5– जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6– ब्लाक संसाधन केन्द्रो के समस्त शैक्षिक क्रिया–कलापों का निर्देशन एवं नियंत्रण करना।

7– जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वयक स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8– जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9– न्यूयनतम अनि

10 शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11– शैक्षिक आंकडों(ई0एम0आई0एस0के माध्यम सेकलित)का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12 शिक्षकों,समन्वयकों,ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों,ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों,निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

निधि का हस्तांरण(फलो आफ फण्ड)

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्यक्रम योजना एव् बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। सीमेट के अप्रिअल के प्श्चात् एवं उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिला की वार्षिक कार्ययोजना एव् बजट के आधार राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं् जिला शिक्षा एवं् प्रशिक्षण प्रशिक्षण सस्थान के लिए अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रमों हेतु धनराशि जिला शिक्षा एव् प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एव् एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कायग्रलय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे–ग्राम शिक्षा समिति स्वयं सेवी संस्थाओं ,अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तांन्तरित की जायेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी(डी0पी0ई0पी0) द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है। जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकारली प्रतिनिर्धारित है।अतः रू0 5000/– मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एव् प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। ड्राप्ट का खाता भी डायट प्राचार्य, एव् उसी के लेखा सम्बन्धी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय

पंचायत केन्द्रों पर भी संयुक्तखाता खुला है। जिसका परिचालन उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियो–जना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भैल इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं जो परियोजना में भी अपनायें जोयगे तथार्थ सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगही। तो उ0 प्र0 सभी के लिए परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्वशिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रति वर्ष में प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि समय –समय पर रिफ्रशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियो–जना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं

जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

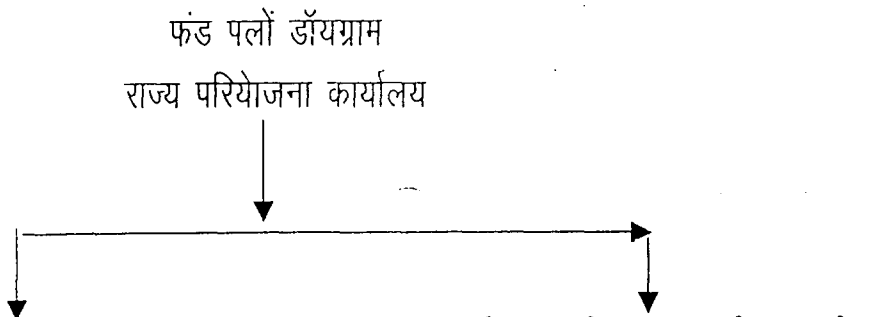

1– बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0

2– ग्राम शिक्षा समिति

3– अध्यापक

4– स्वयं सेवी संस्था आदि

सम्प्रेषण व्यवस्था:–

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्वशिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखो–जोखों का स्वतन्त्र सम्प्रेषण(इन्डियैन्डेट आडिट) चाट्रर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा । यह कार्य वित्तीय व्रर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टड एकाउन्टेन्ट का चयनर व टर्म्स आफरिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा परियो–जना समिति द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे–जोखे का सम्प्रेषण(आडिट) महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा। एवं् परियोजना कार्यालय,लखनऊ द्वारा भी समय –समय पर आंतंरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना–:

परियोजना का कियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक समीक्षा बैठके आयोजित की जायेगी। जिसमें फेजना कार्यो की सम्पादित करने में आने वाली समस्या ओं के विषय में चर्चा की जायेगी। एवृं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रका र प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के कियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निदेशक की आवश्यकतपा वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा। तथा मार्ग दर्शन वे निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे।साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षेण एवं् अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कर्मियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद में कम्प्यूटराईज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसकी विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य–योजना के कियान्वयन व अनुश्रवण में आव–यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन व नियोजन में जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारा–त्मक प्रयास अपनायें जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय वर्ष में प्रापत अनुभव अनुभूत कठिनाईयों,प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठिया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

		Phy	Fin
A	**ACCESS**		
A1	New Primary School Unserved	75	19425
A2	New Upper Primary Schools	99	27720
A3	Salary of PS Asst Teacher(2002 03)	0	0
A4	Salary of Asst Teacher(3 no) in new school (2001-02/02-03)	72	8640
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	0	0
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	75	4050
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	297	17820
A8	Teaching Learning Equipment	0	0
A8.1	PS	75	750
A8.2	UPS	99	4950
A9	TLE UPS not covered OBB	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	0	0
	Total	0	83355
	Interventions for out of school children	0	0
A11	Alternative Schools	0	0
A11.	EGS (for 25 child per center))	0	0
A11.	Honraria	0	0
A11.	Training	0	0
A11.	Contingency	0	0
A11.	Equipment	0	0
A11.	Adm. & Management Cost	0	0
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)-Shiksha Ghar	0	0
A13	All Upper Primary	14	504
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	75	2535
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	0	0
A18	Updation Of Microplanning	0	0
	ACCESS Subtotal	0	86574
R	**RETENTION**	0	0
R1	Reconstruction PS	0	0
R2	Reconstruction UPS	5	1915
R3	**Additional Classrooms**	0	0
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	0	0
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	15	1050
R4.1	Toilets Upper Primary	10	100
R4.2	Toilets Primary	0	0
R5.1	Drinking Water Primary	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	1057	5285
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	159	795
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	0	0
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	0	0
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	0	0
R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	75	1012.5
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	1084	14634
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	18	36
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	239	478
R12	**Promoting Girls Education**	0	0
R12.	Summer Camps	0	0
R12.	MCDA	0	0
R12.	Meena Manch	0	0
R12.	SUPW for Girls Per School	0	0
R12.	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0	0
	Opening of ECCE centers	0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0
R13	Development & Distribution of ECCE Materials	0	0
R13.	TLM(per center)	0	0
R13.	Additional Honr. Of Instructor + Worker(per mth.)	0	0
R13.	Contigency(per center)	0	0
R13.	Training	0	0
R13.	Induction & Recurring	0	0

R16	Community Mobilization	0	0
R16	MTA/PTA training for 2 days per person	0	0
R16.	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	0	0
R16	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0	0
R17	Award to Best VEC (2 no)	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	0	0
R20	Computer Edu. For UPS(equip)/UPS-Innovative Prog	0	5000
R21	School Health Check up/School PS+UPS	0	0
	RETENTION Sub Total	0	30305 5
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**	0	0
Q1	**Training Programmes**	0	0
Q1 1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	25	52 5
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0	0
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	121	169 4
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	305	320.25
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0	0
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0	0
Q1.9	*Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)*	0	0
Q 10	ABSA/SDI Trg (/person for 5 days)	0	0
Q2	IED Provision for disable children	737	884 4
Q2.1	IED-Medical Assessement	0	0
Q2.2	Printing of Modules	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	0	0
Q2 4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	0	0
Q2 5	Support Services	0	0
Q2 6	Training of Master Trainers	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17 2 th /batch of 32 teachers	0	0
Q2.6	Aids and Appliances	0	0
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	0	0
Q2 1	Awareness workshop	0	0
Q2 1	Extra Curricular Activities	0	0
Q2.1	Foundation Course by RCI	0	0
Q2.1	Master Trainer training @ 1 31x2x2	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	0	0
Q5	Teacher Learning Material	0	0
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0	0
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	305	152.5
Q5 3	Free Text book PS	1137	56 85
Q5.4	Free Text book UPS	10880	1632
Q5.5	School Library	9	0
Q5 6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	0	0
Q5 8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	0	0
Q5.9	Schools Awards	0	0
	QUALITY Sub Total	0	3267 9
C	**CAPACITY BUILDING**	0	0
C1	DIET Capacity Building	0	0
C1.1	*Equipments/Furniture/Computer*	0	0
C1.2	Telephone/Fax	0	0
C1 3	Maintenance of Computer Room	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	0	0
C1 5	Travelling Allowance	0	0
C1 6	Hiring	0	0
C1 7	POL and Maintenance of Vihicle	0	0
C1 8	Seminar	0	0
C1 9	Research/Action Research	0	0
C1 1	Exposure Visit	0	0
C1 1	Salary of Computer Operator	0	0
C1 1	Salary of Driver (where applicable)	0	0
C1.1	Consumable/Computer Stationary	0	0
C1 1	Contingency	0	0
C2	Block Resource Center	0	0
C2.1	Civil Construction	0	0

C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	7	42
C2.7	Maintenace of Equipment	0	0
C2.8	Maintenace of Building	0	0
C2.9	TLM(per center)	7	35
C2.1	Consumables	0	0
C2.1	Contigency	7	87.5
C2.1	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0	0
C2.1	Contigency - ABSA	0	0
C3	School Complex (NPRC)	0	0
C3.1	Construction	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	75	75
C3.4	Contingency	75	187.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	75	180
C4	District Project Office/Management	0	1430
C4.1	Staffing	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	0	0
C4.3	Salary of AE	0	0
C4.4	Equipment Maintenance	0	0
C4.5	Furniture/Fixtures	0	0
C4.6	Books/Magazine/News papers	0	0
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	0	0
C4.8	Travelling Allowances	0	0
C4.9	Consumaables	0	0
C4.1	Telephone/FAX	0	0
C4.1	Vehicle Maintenance & POL	0	0
C4.1	Pay to JE	0	0
C4.1	Hiring of Vehicle	0	0
C4.1	Supervision & Monitoring per school PS	0	0
C4.1	Supervision & Monitoring per school UPS	159	222.6
C4.1	Contingency	0	0
C4.1	AWP & B	0	0
	Total	0	2259.6
C5	MIS	0	0
C5.1	MIS Cell Furnishing	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	0	0
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	0	0
C5.5	Furnishing of MIS ceil	0	0
C5.6	Computer Software	0	0
C5.7	Upgradation and Networking	0	0
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	0	0
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	0	0
C5.1	Computer Consumable	0	0
C5.1	Training Of Computor Staff	0	0
C5.1	Monitoring, Management & Collection of Formats	0	0
	CAPACITY Sub Total	0	2459.6
	GRAND TOTAL	**0**	**122607**

224

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
RAMPUR

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Actlvity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	75	19425	0	0	5	1280	0	0	80	20705
A2	New Upper Primary Schools	451	24	10824	99	27720	0	0	5	1400	0	0	128	39944
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	72	7920	72	8640	72	8640	72	8640	72	8640	360	42480
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	75	1012.5	75	1856.25	80	1980	80	1980	310	6828.75
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	75	4050	75	8100	80	8640	80	8640	310	29430
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	297	17820	297	35640	312	37440	312	37440	1218	128340
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0	0	0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	75	750	0	0	5	50	0	0	80	800
A8.2	UPS	50	44	2200	99	4950	0	0	5	250	0	0	148	7400
A9	TLE UPS not covered OBB	50	73	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	73	3650
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**24594**	0	**84367.5**	0	**54236.25**	0	**59680**	0	**56700**		**279577.75**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	115	2429.375	115	2429.375	115	2429.375	345	7288.125
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	115	115	115	115	115	115	345	345
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	115	172.5	115	172.5	115	172.5	345	517.5
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	115	53.82	115	53.82	115	53.82	345	161.46
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	75	132	75	132	75	132	225	396
A11.6	Adm.& Management Cost	6.06	0	0	0	0	115	696.44	115	696.44	115	696.44	345	2089.32
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	115	2429.375	115	2429.375	115	2429.375	345	7288.125
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	14	504	29	1044	29	1044	29	1044	101	3636
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	40	2400	20	1200	20	1200	80	4800
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	0	0	0	0	0	0	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	75	2535	75	2535	75	2535	75	2535	300	10140
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	85	1304.75	85	1304.75	85	1304.75	255	3914.25
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	**24594.00**	0	**87586.50**	0	**67548.51**	0	**71792.26**	0	**68812.26**	**0**	**320333.53**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	25	4775	25	4775	0	0	50	9550
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	5	1915	0	0	0	0	0	0	5	1915
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	500	35000	500	35000	0	0	1000	70000
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	15	1050	34	2380	0	0	0	0	61	4270
R4.1	Toilets Upper Primary	10	15	150	10	100	10	100	10	100	0	0	45	450
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	50	500	50	500	0	0	100	1000
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	25	450	0	0	0	0	25	450
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	10	180	10	180	0	0	20	360
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1057	5285	1164	5820	1164	5820	1164	5820	4549	22745
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	139	695	159	795	279	1395	279	1395	279	1395	1135	5675
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 prn(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	1084	26829	1446	35788.5	1655	40961.25	4185	103578.75
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	336	80256	1045	100320	1259	120364	3140	301440
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1084	14634	362	8959.5	209	5172.75	214	5296.5	1869	34062.75
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	18	36	1217	2434	1219	2438	1219	2438	3673	7346
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	139	278	239	478	324	648	324	648	329	658	1355	2710
R12	**Promoting Girls Education**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	60	270	60	270	60	270	180	810
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	6	450	6	450	6	450	18	1350
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	20	80	20	80	20	80	60	240
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	22	550	22	550	22	550	66	1650
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	92	460	92	460	92	460	276	1380
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	136	510	136	510	136	510	408	1530
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	136	204	136	204	136	204	408	612
R13.6	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	1800	5040	1800	5040	1800	5040	5400	15120
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	75	375	75	375	75	375	225	1125
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	580	278.4	580	278.4	580	278.4	1740	835.2
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	12	300	12	300	12	300	36	900
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	60	300	60	300	60	300	180	900
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0	0	0	5	333.5	5	333.5	5	333.5	15	1000.5
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	1650	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	6650
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1443	3607.5	1443	3607.5	1443	3607.5	4329	10822.5
	RETENTION Sub Total		0	**5113**	0	**29293**	0	**182484.9**	0	**204895.65**	0	**190191.15**	**0**	**611977.7**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	25	52.5	75	157.5	5	10.5	0	0	105	220.5
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	132	277.2	0	0	297	623.7	20	42	0	0	449	942.9
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	121	169.4	1164	1629.6	1169	1636.6	1169	1636.6	3623	5072.2
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	305	320.25	504	529.2	519	544.95	519	544.95	1847	1939.35
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	534	747.6	1698	2377.2	1698	2377.2	3930	5502
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	28	58.8	28	58.8	28	58.8	84	176.4
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	12	8.4	12	8.4	12	8.4	36	25.2
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	75	52.5	75	52.5	75	52.5	225	157.5
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	12	16.8	12	16.8	12	16.8	36	50.4
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	12	4.2	12	4.2	12	4.2	36	12.6
Q2	IED Provision for disable children	1.2	757	302.8	737	884.4	737	4422	737	4422	737	4422	3705	14453.2
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	0	0	2684	1342	3225	1612.5	3510	1755	9419	4709.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	132	66	305	152.5	535	267.5	580	290	625	312.5	2177	1088.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	1137	56.85	112248	5612.4	117228	5861.4	119225	5961.25	349838	17491.9
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	31611	4741.65	10880	1632	16576	2486.4	18244	2736.6	19256	2888.4	96567	14485.05
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1443	216.45	1443	216.45	1443	216.45	4329	649.35
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	115	5.75	115	5.75	115	5.75	345	17.25
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1164	17460	1164	17460	1164	17460	3492	52380
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	279	2092.5	279	2092.5	279	2092.5	837	6277.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	50	1250	50	1250	50	1250	150	3750
	QUALITY Sub Total		0	**5387.65**	0	**3267.9**	0	**38983.3**	0	**40699.15**	0	**41063.3**		**129401.3**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0	0	0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	183	256.2	0	0	0	0	0	0	0	0	183	256.2
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	6	864	6	864	6	864	18	2592
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	12	792	12	792	12	792	36	2376
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	6	216	6	216	6	216	18	648
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	7	42	7	42	7	42	7	42	28	168
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	6	12	6	12	6	12	18	36
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	6	60	6	60	6	60	18	180
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	7	35	7	35	7	35	7	35	28	140
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	7	35	7	35	7	35	21	105
C2.11	Contigency	12.5	0	0	7	87.5	7	87.5	7	87.5	7	87.5	28	350
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	7	25.2	7	25.2	7	25.2	21	75.6
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	7	35	7	35	7	35	21	105
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	75	10800	75	10800	75	10800	225	32400
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	75	75	75	75	75	75	75	75	300	300
C3.4	Contingency	2.5	0	0	75	187.5	75	187.5	75	187.5	75	187.5	300	750
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	75	180	75	180	75	180	75	180	300	720
C4	District Project Office/Management		0	636	0	1430	0	0	0	0	0	0	0	2066
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	0	0	0	0	7	1260
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	12	216	12	216	12	216	36	648
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	6	720	6	720	0	0	12	1440
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1164	1629.6	1164	1629.6	1164	1629.6	3492	4888.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	0	0	159	222.6	279	390.6	279	390.6	279	390.6	996	1394.4
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**892.2**	0	**2259.6**	0	**17782.4**	0	**16522.4**	0	**15802.4**		**53259**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	0	0	0	0	1	144
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	0	0	0	0	1	90
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	1	30
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	0	0	0	0	1	40
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	1	25
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	1	10
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	**892.2**	0	**2459.6**	0	**18281.4**	0	**16522.4**	0	**15802.4**	**0**	**53958**
	GRAND TOTAL		0	**35986.9**	0	**122607.00**	0	**307298.11**	0	**333909.46**	0	**315869.11**	**0**	**1115670.53**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **RAMPUR**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	11814.0	50210.0	43385.0	43235.0	0.0	148644.0
Management	0.0	222.6	4835.2	3076.2	2356.2	10690.2
Programme	24172.9	72174.4	259077.9	287598.3	313512.9	956336.3
Total	**35986.9**	**122607.0**	**307298.1**	**333909.5**	**315869.1**	**1115670.5**
Percentage - Civil	**32.8**	**41.0**	**14.1**	**12.9**	**0.0**	**13.3**
Percentage - Management	**0.0**	**0.2**	**1.6**	**0.9**	**0.7**	**1.0**
Percentage - Programme	**67.2**	**58.9**	**84.3**	**86.1**	**99.3**	**85.7**
Percentage - Total	100	100	100	100	100	100